कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(चेन्नई पत्तन प्राधिकरण की एक कंपनी)

(पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय – भारत सरकार)

(सीआईएन : **U45203TN1999PLC043322**)

पच्चीसवां वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

कामराजर पोर्ट लिमिटेड
(चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कंपनी)
(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय - भारत सरकार)

निदेशक मण्डल	डीआईएन
श्री सुनील पालीवाल, अध्यक्ष	01310101
श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया, प्रबंध निदेशक	08839241
श्री एस. विश्वनाथन, नामिती निदेशक – सीएचपीए	09634577
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा, स्वतंत्र निदेशक	03531392
श्रीमति सरला बालगोपाल	01572718
श्री आर. एम. नारायणन, स्वतंत्र निदेशक (13.11.2024 से प्रभावी)	02853368
श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव, स्वतंत्र निदेशक (05.11.2024 तक)	02435597

प्रमुख अधिकारी

महा प्रबंधक (एमएस)
श्री जी. एम. बालन

महा प्रबंधक (वित्त)
श्रीमती कविता सत्वी

महा प्रबंधक
श्री यतिन किशोरभाई पटेल

महा प्रबंधक (प्रचालन)
श्री के. तिरुमुरुगन (28.11.2024 से प्रभावी)

प्रमुख वित्त अधिकारी
श्री सी. एस. वेमन्ना

उप महाप्रबंधक (एमएस)
श्री सी. उमा शंकर

उप महाप्रबंधक (सिविल)
श्री ए. करुप्पैय्या

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन (30.04.2025 तक)
श्रीमती आर. रूपा (07.07.2025 से प्रभावी)

पंजीकृत कार्यालय
2 तल (उत्तर खण्ड) एवं 3 तल
जवाहर बिल्डिंग, 17, राजाजी सालै
चेन्नई - 600 001.
दूरभाष : 044-25251666-70/ फैक्स : 044 – 25251665

रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेन्ट
एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
(पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)
सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग,
विक्रोली (पश्चिम), मुंबई – 400 083.
फ़ोन: 022 – 49186000

डिपॉज़िटरी
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

सांविधिक लेखा परीक्षक
मेसर्स जसमिंदर सिंह एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट

आंतरिक लेखापरीक्षक
मेसर्स जोसफ एवं राजाराम,
सनदी लेखाकार

सचिवीय लेखापरीक्षक
मेसर्स एस. धनपाल & असोसियेट्स
कंपनी सचिव

बैंकर्स
भारतीय स्टेट बैंक
ऐक्सिस बैंक
एचडीएफसी बैंक

उद्देश्य व लक्ष्य

उद्देश्य

"भारतीय पूर्वीय मार्ग पोर्ट बनाने के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ कामराजर पोर्ट को एक मेगा पोर्ट के रूप में विकसित करना"

लक्ष्य

"अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पोर्ट सेवाएं प्रदान करना"

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(चेन्नई पत्तन प्राधिकरण की कंपनी)

(पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय - भारत सरकार)

निदेशक बोर्ड
(13.08.2025 की अवधि तक)

श्री सुनील पालीवाल, आईएएस
अध्यक्ष

श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्थिया, आईएएस
प्रबंध निदेशक

श्री एस. विश्वनाथन, आईएएस
नामिती निदेशक

कैप्टन अनूप कुमार शर्मा
स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती सरला बालगोपाल, आईआरटीएस (सेवानिवृत्त)
स्वतंत्र निदेशक

श्री आर. एम. नारायणन
स्वतंत्र निदेशक

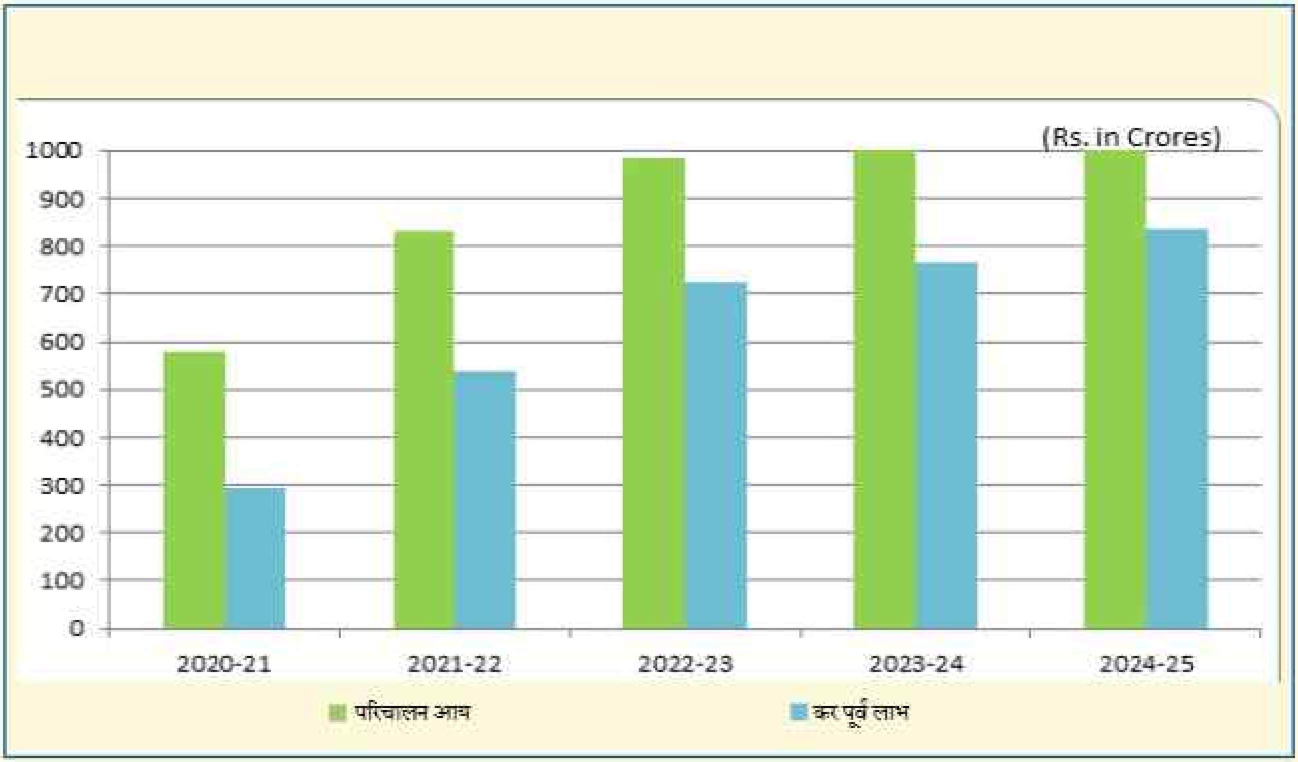

प्रचालित आय एवं पिछले 5 वर्षों की अवधि में पीबीटी

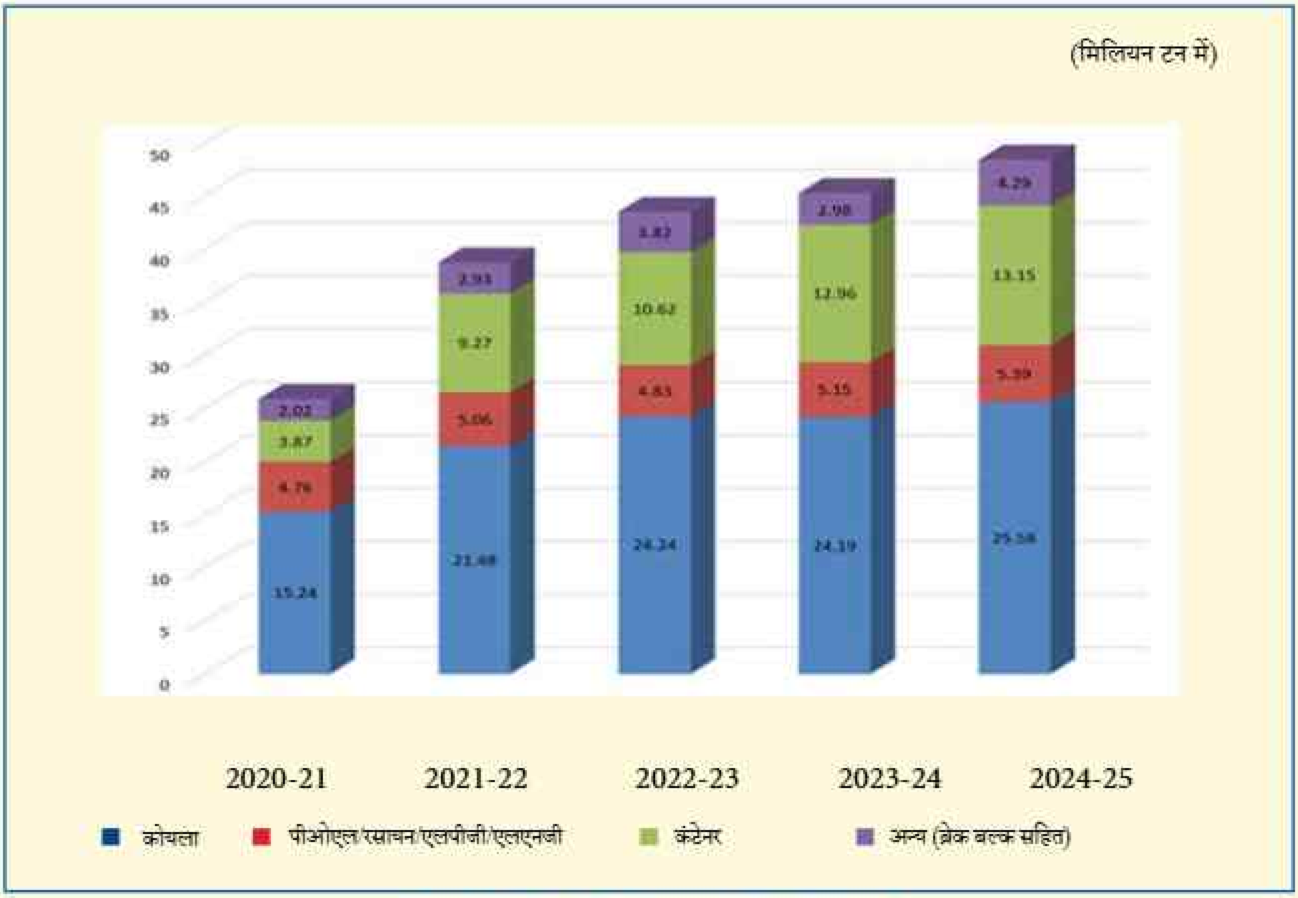

पिछले 5 वर्षों में संभाले गए कार्गो

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25

विषय सूची

क्रमांक	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	अध्यक्ष का भाषण	8
2.	सूचना	11
3.	मंडल का प्रतिवेदन	15
4.	सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन	37
5.	साचिविक संपरीक्षण प्रतिवेदन	42
6.	कंपनी प्रशासन पर प्रतिवेदन	48
7.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	53
8.	स्वतंत्र संपरीक्षकों का प्रतिवेदन	56
9.	सपंत्तियों व देयताओं का विवरण	66
10.	लाभ और हानि का विवरण	67
11.	नकदी प्रवाह विवरण	68
12.	वित्तीय विवरण के लिये नोट्स	70

अध्यक्ष का भाषण

प्रिय शेयरधारको,

मैं, कंपनी की इस 25वीं वार्षिक सामान्य सभा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुझे, आपके साथ उन प्रगति एवं उपलब्धियों को साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-2025 में आपकी कंपनी की यात्रा को परिभाषित किया है।

सर्वप्रथम, मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान अपना 25वाँ कॉर्पोरेट दिवस मनाया है। रजत जयंती समारोह के इस उपलक्ष्य में, आपके पोर्ट ने 10 मई 2024 को केपीएल का 25वें वर्ष का लोगो जारी किया। भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 7 दिसंबर 2024 को आपके पोर्ट के 9 से 27 बर्थ तक के विस्तार के साथ इसकी क्षमता 57.44 मीट्रिक टन को बढ़ाकर 254.52 मीट्रिक टन करने की परिकल्पना करते हुए मास्टर प्लान 2047 एवं केपीएल की 25 वर्षों की विरासत तथा उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाली कॉफी टेबल बुक जारी की। .

भौतिक निष्पादन एवं उपलब्धियां

मैं आपको यह भी बताते हुए अत्यंत प्रसन्न हूं कि आपकी कंपनी ने अपने 25वें वर्ष में 48.41 मिलियन टनों के कार्गो थ्रूपुट तथा आजतक अत्यधिक संख्या के 986 वेसलों को संभाला है।

प्रचलित मेयर्स्क लाइन ने कामराजर पोर्ट में दिनांक 08.02.2025 को अदानी ऐन्नोर कंटेयनर टर्मिनल में बर्थ्ड अपने प्रथम वेसल एम. वी. मेयर्स्क स्ट्राडूलहॉर्न एमई2 सर्विस (सीधे यूरोप से कनेक्ट करनेवाले) नामक नया साप्ताहिक सर्विस प्रारंभ किया है।

पीसीए ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कामराजर पोर्ट से दिनांक 11.04.2024 से प्रभावी सिट्रोयेन ईसी3 इलेक्ट्रिक कारों का निर्यात शुरु किया है। प्रथम लदान में सिट्रोयेन ईसी3 इलेक्ट्रिक कारों के 500 यूनिट इंडोनेशिया को निर्यात किया है।

निस्सान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 29.06.2024 को सामान्य कार्गो बर्थ-2 से अपने 11वां लाख कार के निर्यात की उपलब्धि प्राप्त की है।

कॉनकॉर ने केपीएल के माध्यम से अफ्रीकी देशों को निर्यात करने के लिए दिनांक 28.11.2024 को जोलारपेट से केपीएल रेलवे साइडिंग (केपीसीए) तक मेसर्स टीवीएस मोटर कंपनी के सीधे पोर्ट इंट्री (डीपीई) ऐक्सपोर्ट कंटेयनरों के साथ ''टीवीएस गो ग्रीन ऐक्सप्रेस'' का उद्घाटन किया।

इस वर्ष की अन्य उपलब्धियां हैं :

➢ सामान्य उपयोगकर्ता कोल टर्मिनल ने पहली बार अपनी

कार्गो थ्रूपुट की 10.00 मिलियन टनों की क्षमता से अधिक 10.19 मिलियन टन संभाला है।

➤ मल्टी कार्गो टर्मिनल ने पहली बार अपनी कार्गो थ्रूपुट की 2.00 मिलियन टन क्षमता से अधिक 2.12 मिलियन टन संभाला है।

➤ एलएनजी टर्मिनल ने पहली बार मिलियन टन क्षमता कार्गो थ्रूपुट की 1.22 मिलियन टन क्षमता से अधिक 1.22 मिलियन टन संभाला है।

- बीवाईडी इंडिया एवं टोयोटा किर्लोस्कर ने सामान्य कार्गो बर्थ (जीसीबी) में 3,739 ऑटोमोबाइल यूनिटों के आयात की अत्यधिक मात्रा को संभाला है।
- जीसीबी 1 & 2 से ऑटोमोबाइल/परियोजना कार्गो के निर्यात और आयात से प्राप्त होनेवाले कार्गो संबंधी प्रभारों से सबसे अधिक ₹.75.10 करोड़ का निवल राजस्व प्राप्त किया है।
- 3,111 गियर बॉक्स का निर्यात किया गया जो कि जीसीबी में अब तक का सबसे अधिक गियर बॉक्स निर्यात है।
- दिनांक 23.02.2025 को अदानी एन्नोर कंटेनर टर्मिनल में बर्थ किए गए वेसल एम.वी. कैप सैन सौनियो से 60 घंटे के बर्थ प्रवास के दौरान 8,231 टीईयू कंटेनरों का सर्वकालिक उच्च रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है।

वित्तीय निष्पादन

समीक्षाधीन 2024-25 वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने ₹.1062.22 करोड़ की तुलना में ₹.1138.42 करोड़ की आमदनी दर्ज किया है जो पूर्व वर्ष से 7.17% से अधिक वृद्धि दर्शाया है। तदनुसार, आपकी कंपनी ने ₹.766.59 करोड़ की तुलना में ₹. 837.54 करोड़ के उच्चतर कर से पहले लाभ दर्शाया है (9.26% की वृद्धि)।

लाभांश

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए ₹.90 करोड़ के समतुल्य 30% दर पर चुकता ईक्विटी शेयर पूंजी (जो ₹.3/- प्रति शेयर के समतुल्य) का अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है।

निदेशक बोर्ड ने आगामी वार्षिक सभा की बैठक में आपके अनुमोदन से @ 70% की दर पर ₹.7/- प्रति शेयर के समतुल्य ₹.210 करोड़ का चुकता ईक्विटी शेयर पूंजी का अंतिम लाभांश के भुगतान को संस्तुति प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए चुकता ईक्विटी शेयर पूंजी पर इस कुल लाभांश (प्रस्तावित अंतिम लाभांश के साथ) 100% लाभांश होगा जो पूर्व वित्तीय वर्ष 2024-25 में भुगतानित 100% लाभांश के अनुरूप है।

उपलब्धियां एवं पुरस्कार

मुझे, यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है कि आपकी कंपनी ने मुम्बई में आयोजित बजट पश्चात् उद्योग सम्मेलन 2025 में भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री, श्री सर्वानंद सोनोवाल से '5,00,000 टीईयू से अधिक कंटेयनरों को संभालनेवाले पोर्ट' के वर्ग में देश के उत्कृष्ट पोर्ट के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त आपकी कंपनी को 'उत्कृष्ट भारतीय पोर्ट की मान्यता' की ख्याति भी प्रदान की गई तथा उसे मुम्बई में 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह में प्रथम श्रेणी प्रदान किया गया है। आपकी कंपनी को मुम्बई में आयोजित 62वें राष्ट्रीय समुद्री समारोह में ''उत्कृष्ट भारतीय पोर्ट की मान्यता'' पुरस्कार प्रदान किया गया तथा उसे प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया। साथ ही, आपकी कंपनी को छोटे पोर्ट श्रेणी में सबसे अधिक कंटेयनरों (0.5 मिलियन टीईयू प्रतिवर्ष से कम थ्रूपुट) को संभालने के उपलक्ष्य में वैश्विक श्रेणीकरण में तृतीय स्थान प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक एवं एस एण्ड पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेन्स द्वारा प्रकाशित आपकी कंपनी को विश्व बैंक कंटेयनर पोर्ट निष्पादन सूचिका 2023 (सीपीपीआई 2023) में कंटेयनर पोर्ट वैश्विक श्रेणीकरण में पोर्ट में वेसल टाइम पर आधारित निष्पादन के लिए 47वीं श्रेणी प्रदान की गई।

कॉर्पोरेट प्रशासन

एक उत्कृष्ट कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में आपकी कंपनी ने अपने पणधारियों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन को पूर्व अपेक्षा मानता है। इस दिशा में आपकी कंपनी, स्पष्ट जवाबदेही, सत्यनिष्ठा एवं प्रशासन के उच्चतम मानकों के साथ सुदृढ़ नीतियों, प्रथाओं, प्रभावी प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों द्वारा अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखती है। अत:, कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट स्वेच्छा से प्रदान की जा रही है।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर)

आपकी कंपनी, अपनी सुविचारित सीएसआर नीति एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप सीएसआर परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के प्रति उत्सुक है तथा आपकी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा ₹.12.55 करोड़ मूल्य की सीएसआर पहल की संस्वीकृति इसका प्रमाण है। उक्त संस्वीकृति पिछले वर्ष के लिए निर्धारित ₹.9.65 करोड़ सीएसआर व्यय से ₹.2.90 करोड़ अधिक है। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के लिए ₹.7.45 करोड़ खर्च किया है। कंपनी द्वारा किए गए प्रमुख सीएसआर पहल इस प्रकार हैं:

- डीआरडीए तिरुवल्लूर को विभिन्न अवरसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए ₹.2.35 करोड़ का योगदान
- लोगनाथ नारायणस्वामी गवर्मेण्ट ऑर्ट्स कॉलेज, पोन्नेरी में कक्षाएं एवं खेलकूद सुविधा के निर्माण हेतु ₹.2.18 करोड़ ₹.65.55 लाख की शेष राशि का योगदान
- विशेष बच्चों के लिए तोण्डियारपेट के अंदर स्थापित चेन्नई पोर्ट एवं डॉक शैक्षणिक न्यास स्कूल के पूंजी एवं प्रचालनात्मक व्यय हेतु स्वबोधिनी ट्रस्ट के लिए ₹. 97.06 लाख का योगदान
- तमिलनाडु सरकार के नम्मा ऊरु नम्मा स्कूल न्यास द्वारा केपीएल के आसपास के सरकारी स्कूलों में अवरसंरचनात्मक विकास के लिए ₹. 87.07 लाख का योगदान

आभार

निदेशक बोर्ड की तरफ से मैं सर्वप्रथम, भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय एवं चेन्नई पोर्ट प्राधिकरण को उनके समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं तथा टीएनपीजीसीएल/ टीएनईबी, एनटीईसीएल, आईओसीएल, एवं तमिलनाडु सरकार एवं भारत सरकार को, विशेष रूप से पर्यावरण, वन एवं मौसम परिवर्तन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय रेल/दक्षिण रेल एवं भारतीय पत्तन असोसियेशन द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना करता हूं। मैं, भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक, सचिवीय परीक्षक, पोर्ट उपभोक्ता, बीओटी रियायतग्राही, ठेकेदार एवं बैंकरों को उनके सतत समर्थन एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। अंत में अत्यंत महत्वपूर्ण मैं, कंपनी के सभी कर्मचारियों द्वारा किए गए सतत उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन की सराहना करता हूं।

सादर,
ह/-
सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.,
अध्यक्ष

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(चेन्नई पोर्ट प्राधिकरण के पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी)

सीआईएन : U45203TN1999PLC043322

पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल (उत्तर खण्ड) & तृतीय तल, जवाहर बिल्डिंग,

17, राजाजी सालै, चेन्नई - 600 001.

दूरभाष : 044 - 25251666-70 फैक्स : 044 - 25251665.

वेबसाइट : www.kamarajarport.in, ईमेल : cs@kplmail.in

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि कामराजर पोर्ट लिमिटेड के सदस्यों की 24वीं वार्षिक सामान्य सभा, निम्नलिखित व्यवसाय के निष्पादन हेतु, दोतरफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा सोमवार, 29 सितंबर 2025 अपराह्न 15.00 बजे (आईएसटी) आयोजित की जा रही है:

सामान्य व्यवसाय

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 तक की लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा के विवरण तथा निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना।

2. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भुगतानित इक्विटी शेयर पूंजी (रु.3/- प्रति शेयर) के 30% की दर से भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश की पुष्टि तथा भुगतानित इक्विटी शेयर पूंजी (रु.7/- प्रति शेयर) पर 70% की दर से अंतिम लाभांश की घोषणा को संस्वीकृति। श्री सदगोपन कुमार बालाजीअरुण (डिन : 07526368) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति हेतु। वह नियमित आवर्तन में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्रताधारी होते हुए उन्होंने स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिये प्रस्तुत किया है।

3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये जाने वाले कंपनी के सांविधिक संपरीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारण हेतु एतद्द्वारा निदेशक मंडल को सौंपा जाता है।''

4. निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, सांविधिक लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक के भुगतान के लिए एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना :

"यह संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए जानेवाले कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक बोर्ड को अनुमोदन दिया जाता है।"

विशिष्ट व्यवसाय

5. श्री आर. एम. नारायणन (डीआइएन: 02853368) को श्री वी.एम.वी.सुब्बा राव, (डीआइएन: 02435597) के स्थान पर स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाने पर उसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

संकल्प किया जाता है कि अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149, 152, और 160 के प्रावधानों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014, एवं अन्य लागू नियम, यदि कोई हों, (किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित, जो इस समय लागू हैं) के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, तथा चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी के दिनांक 11 नवंबर, 2024 के पत्र संख्या सीएचपीए/केपीएल सेल/2024/एफ के अनुसार श्री आर.एम. नारायणन (डीआइएन : 02853368), जो अधिनियम की धारा 149(6) में प्रदत्त स्वतंत्रता के मानदण्डों को पूरा करते हैं और जिनकी नियुक्ति शर्तें सीएचपीए द्वारा दिए गए पत्र में निर्धारित हैं, और इस वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न अधिनियम की धारा 102 के अनुसार बयान में विस्तृत हैं, और जिनके संबंध में अधिनियम की धारा 160 के तहत नोटिस प्राप्त हुआ है, उन्हें दिनांक 13.11.2024 से 3 वर्ष की अवधि के लिए कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया जाता है तथा वे रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 13.8.2025

निदेशक मंडल के आदेश से
ह/-
आर. रूपा
कंपनी सचिव

टिप्पणियां :

ए) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी 19 सितंबर 2024 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024

तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") (जिसे आगे सामूहिक रूप से "परिपत्र" कहा जाएगा) द्वारा जारी 05 जून, 2025 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/डीडीएचएस/डीडीएचएस-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2025/83 के अनुसरण में कंपनियों को 30 सितंबर, 2025 तक सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना एक सामान्य स्थान पर वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य सभा ("एजीएम") आयोजित करने की अनुमति है। परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी की 25वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित की जा रही है। 25वीं एजीएम के लिए अनुमोदित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। 24वीं वार्षिक सामान्य सभा की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजी जा रही है, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। सदस्य कृपया ध्यान दें कि यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.kamarajarport.in पर भी उपलब्ध की जाएगी।

बी) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में एजीएम में उपस्थित होने तथा मतदान करने का हकदार सदस्य

अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है तथा प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। तथापि, यह एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, और सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है, इसलिए एजीएम को सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, अत: प्रॉक्सी फॉर्म, रूट मैप और उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किए गए है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्य सभा के दौरान प्रस्तावों पर हाथ उठाकर या मतदान के मामले में कंपनी के साथ पंजीकृत अपने ईमेल पतों के माध्यम से ईमेल भेजकर अपना वोट दे सकते हैं।

सी) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार बैठक में किए जाने वाले विशेष कारोबार से संबंधित ब्यौरा देने वाला प्रासंगिक व्याख्यात्मक वक्तव्य इसके साथ संलग्न है।

डी) वे कॉर्पोरेट सदस्य जो अपने प्रतिनिधियों को सभा में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत

करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे बोर्ड के प्रस्ताव/ऐसे अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति भेजें, जो उनके प्रतिनिधि को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करते हों।

ई) सदस्य, अधिसूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट

पहले वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

एफ) कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित वैधानिक रजिस्टर एजीएम के दौरान निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक

रूप से उपलब्ध रहेंगे/खुले रखे जाएंगे। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य cs@kplmail.in पर ईमेल भेज सकते हैं।

जी) सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरंत अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी को दें।

एच) इस वार्षिक सामान्य सभा में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले/नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों

के संक्षिप्त विवरण संलग्न हैं तथा यह अधिसूचना का एक भाग है।

वीसी द्वारा वार्षिक सामान्य सभा में भाग लेनेवाले व्यक्तियों के लिए निर्देश :

1) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए वेब-लिंक और लॉग-इन क्रेडेंशियल अधिसूचना और वार्षिक रिपोर्ट को अग्रेषित ई-मेल में प्रदान किए जाएंगे।

2. सदस्य मोबाइल/लैपटॉप/डेस्कटॉप के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं। में सम्मिलित हो सकते हैं।

सामान्य सभा पर सचिवीय मानक-2 के अनुसरण में आगामी वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के विवरण।

मद सं. 5

श्री आर. एम. नारायणन के संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

<table>
<tr><th>विशिष्टताएं</th><th colspan="2">विवरण</th></tr>
<tr><td>जन्मतिथि एवं उम्र</td><td colspan="2">04/06/1964 एवं 61 वर्ष</td></tr>
<tr><td>बोर्ड में प्रथम नियुक्ति की तारीख</td><td colspan="2">13/11/2024</td></tr>
<tr><td>शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यताएं</td><td colspan="2">एम.कॉमएम.कॉम, एफसीए, पीजीडीएम</td></tr>
<tr><td>अनुभव</td><td colspan="2">मेसर्स एस. विश्वनाथन एलएलपी, चार्टर्ड अकाऊण्टेण्ट्स, चेन्नई में साझेदार (वर्ष 1990 से)।
इस फर्म का नब्बे वर्ष की प्रतिष्ठा है, इसमें 7 साझेदार हैं तथा बेंगलूरु एवं कोयम्बत्तूर में अपनी शाखाएं हैं तथा लगभग 100 लेखापरीक्षक कर्मचारी कार्यरत हैं। बैंकिंग क्षेत्र के साथ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, दोनों के लिए लेखापरीक्षण एवं आश्वासन सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में इस फर्म का विस्तृत अनुभव है
फर्म, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के लेखापरीक्षण के साथ कॉर्पोरेट लेखापरीक्षण भी संभालता है। फर्म ने भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक एवं बैंक ऑफ इंडिया जैसे बृहत् सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए लेखापरीक्षण का कार्य किया है।
साथ ही, फर्म कई प्रसिद्ध धर्मार्थ एवं धार्मिक संस्थानों का लेखापरीक्षण कार्य करने के साथ उनके आयकर कार्यों को भी संभाला है।
फर्म, कराधान (अंतर्राष्ट्रीय कराधान, कर नियोजन और विवाद समाधान पैनल, आयकर अपील न्यायाधिकरण तथा निपटान आयोग जैसे विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष प्रतिनिधित्व सहित) का प्रबंधन भी करता है।
संयुक्त उद्यमों, अधिग्रहणों एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामलों में ग्राहकों को सहायता करता है। विलय और विभाजन, पारिवारिक समझौते एवं मध्यस्थता कार्यवाहियों से संबंधित परामर्श कार्यों में सक्रिय भाग लेता है।</td></tr>
<tr><td>केपीएल में सेक्यूरिटीज़</td><td colspan="2">कोई नहीं</td></tr>
<tr><td>निदेशक/केपील के केएमपी के साथ रिश्ता</td><td colspan="2">कोई नहीं</td></tr>
<tr><td rowspan="2">अन्य कंपनियों में निदेशक पद/ सदस्यता</td><td>कंपनी का नाम</td><td>रुचि की प्रकृति</td></tr>
<tr><td>योजना कॉर्पोरेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड</td><td>प्रोत्साहक</td></tr>
<tr><td>अन्य कंपनियों में विभिन्न समितियों की अध्यक्षता/ सदस्यता</td><td colspan="2">कोई नहीं</td></tr>
<tr><td>नियुक्ति की शर्तें एवं प्रतिबंध</td><td colspan="2">श्री वी. एम. वी. सुब्बा राव के स्थान पर आरंभिक स्तर पर तीन वर्ष के लिए स्वतंत्र निदेशक</td></tr>
<tr><td>अंतिम आहरित पारिश्रमिक</td><td colspan="2">लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति की संख्या</td><td colspan="2">कॉर्पोरेट शासी रिपोर्ट (बोर्ड रिपोर्ट का अनुबंध V) का संदर्भ लें।</td></tr>
</table>

मद सं. 3
श्री सुनील पालीवाल के संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

<table>
<tr><th>विशिष्टताएं</th><th colspan="2">विवरण</th></tr>
<tr><td>जन्मतिथि एवं उम्र</td><td colspan="2">25/11/1968; 56 वर्ष</td></tr>
<tr><td>बोर्ड में प्रथम नियुक्ति की तारीख</td><td colspan="2">16/09/2019</td></tr>
<tr><td>शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यताएं</td><td colspan="2">1. आइआइटी कानपुर से कम्प्यूटर साइन्स में बी.टेक, 2. मेरीलैण्ड विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइन्स में एम.एस. 3. यूके के बिर्मिंगहैम विश्वविद्यालय से एमबीए</td></tr>
<tr><td>अनुभव</td><td colspan="2">श्री सुनील पालीवाल ने अपना करियर कुड्डालूर जिले के उप कलेक्टर के रूप में शुरू किया तथा नागपट्टिनम जिले में अतिरिक्त कलेक्टर के रूप में कार्य किया। उन्होंने तिरुनेलवेली, तेनी एवं कन्याकुमारी जिलों के कलेक्टर के रूप में भी काम किया। उन्होंने तमिलनाडु सरकार में महत्वपूर्ण विभागों को भी संभाला जैसे कि प्रबंध निदेशक, चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (सीएमडबल्यूएसएसबी), प्रबंध निदेशक, तमिलनाडु रोड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (टीएनआरडीसी), प्रबंध निदेशक, तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम, सरकार के सचिव, वाणिज्यिक कर और पंजीकरण विभाग और दूध उत्पादन एवं डेयरी विकास आयुक्त और प्रबंध निदेशक, तमिलनाडु सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (आविन), सरकार के प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा विभाग और सरकार के प्रधान सचिव, श्रम और रोजगार विभाग में कार्य किया है। वर्तमान में वे चेन्नई पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं।</td></tr>
<tr><td>केपीएल में सेक्यूरिटीज़</td><td colspan="2">चेन्नई पत्तन प्राधिकरण में नामिती के रूप में रु.10/- का 1 ईक्विटी शेयर</td></tr>
<tr><td>निदेशक/केपील के केएमपी के साथ रिश्ता</td><td colspan="2">लागू नहीं</td></tr>
<tr><td rowspan="2">अन्य कंपनियों में निदेशक पद/ सदस्यता
अन्य कंपनियों में विभिन्न समितियों की अध्यक्षता/ सदस्यता</td><td>कंपनी का नाम</td><td>रुचि की प्रकृति</td></tr>
<tr><td>योजना कॉर्पोरेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड</td><td>प्रोत्साहक</td></tr>
<tr><td>नियुक्ति की शर्तें एवं प्रतिबंध</td><td colspan="2">कॉर्पोरेट शासी रिपोर्ट (बोर्ड रिपोर्ट का अनुबंध V) का संदर्भ लें।</td></tr>
<tr><td>अंतिम आहरित पारिश्रमिक</td><td colspan="2">गैर-कार्यकारी निदेशक रोटेशन पर सेवानिवृत्त हो सकते हैं। कोई सिटिंग शुल्क नहीं है।</td></tr>
<tr><td>वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति की संख्या</td><td colspan="2">कॉर्पोरेट शासी रिपोर्ट (बोर्ड रिपोर्ट का अनुबंध V) का संदर्भ लें।</td></tr>
<tr><td>जन्मतिथि एवं उम्र</td><td colspan="2">कॉर्पोरेट शासी रिपोर्ट (बोर्ड रिपोर्ट का अनुबंध V) का संदर्भ लें।</td></tr>
</table>

कामराजर पोर्ट लिमिटेड
बोर्ड की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यो,

आपके निदेशक बोर्ड को आपकी कंपनी के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणिकाओं के साथ व्यवसाय, प्रचालन, विकास एवं की गई प्रगति पर वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

1.0 निष्पादन एवं मुख्य विशेषताएं

1.1 वित्तीय निष्पादन

(i)(ए) वित्तीय मुख्य बिंदु

विवरण	2024-25	2023-24
प्रचालनों से आय	1138.42	1062.22
अन्य आय	21.83	19.22
कुल आय	**1160.25**	**1081.44**
प्रचालन व्यय	192.06	176.67
वित्त लागत	43.67	62.63
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	86.98	75.55
कुल व्यय	**322.71**	**314.85**
विशिष्ट मदों एवं कर से पूर्व लाभ	**837.54**	**766.59**
विशिष्ट मद	-	-
कर से पहले लाभ	**837.54**	**766.59**
कर	298.21	270.91
कर के बाद लाभ	**539.33**	**495.68**

1.2 वित्तीय मुख्य विशेषताएं

आपकी कंपनी ने लेखापरीक्षण वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की ₹1062.22 करोड़ की तुलना में ₹1138.42 करोड़ का प्रचालन आय दर्शाया है जिससे 7.17% की वृद्धि स्पष्ट है। यह पिछले वर्ष के ₹.45.28 मिलियन टन की तुलना में ₹48.41 मिलियन टन के उच्च उत्पादन के कारण है (लगभग 6.91% की वृद्धि)। परिणामस्वरूप, कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹766.59 करोड़ की तुलना में ₹837.54 करोड़ का कर-पूर्व लाभ अर्जित हुआ है (9.25% की वृद्धि)।

1.3 प्रचालनात्मक निष्पादन

(i) निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

- मेयर्स्क लाइन ने कामराजर पोर्ट से एमई2 सेवा नामक एक नई साप्ताहिक सेवा शुरू की है, जिसमें उनका पहला पोत एम.वी. मेयर्स्क स्टैडलहॉर्न, 08 फरवरी 2025 को अदानी एन्नोर कंटेनर टर्मिनल पर आ पहुंचा। केपीएल में प्रचालित मेयर्स्क लाइन ने अपनी मौजूदा साप्ताहिक सेवा, शटल सेवा को एमई2 सेवा (सीधे यूरोप से जोड़ने वाली) में अपग्रेड किया है।

एम. वी. मेयर्स्क स्टेडलहॉर्न

- पीसीए ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 11.04.2024 को कामराजर पोर्ट से सिट्रोएन ईसी3 इलेक्ट्रिक कारों का निर्यात प्रारंभ किया है। सिट्रोएन ईसी3 इलेक्ट्रिक कारों की 500 इकाइयों की पहली खेप का निर्यात इंडोनेशिया को किया गया।
- निस्सान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 29.06.2024 को केपीएल के जनरल कार्गो बर्थ 2 से अपनी 11 लाखवीं कार का निर्यात करके एक उपलब्धि हासिल की है।
- कॉनकॉर ने दिनांक 28.11.2024 को जोलारपेट से केपीएल रेलवे साइडिंग (केपीसीए) तक मेसर्स टीवीएस मोटर कंपनी के डायरेक्ट पोर्ट एंट्री (डीपीई) निर्यात कंटेनरों के साथ "टीवीएस गो ग्रीन एक्सप्रेस" कंटेनर ट्रेन का उद्घाटन किया, जिसका निर्यात केपीएल के माध्यम से अफ्रीकी देशों को किया जाएगा।

(ii) अन्य उपलब्धियां

- कॉमन यूजर कोल टर्मिनल ने पहली बार अपनी 10.00 मिलियन टन की क्षमता से अधिक 10.19 मिलियन टन कार्गो थ्रूपुट
- मल्टी कार्गो टर्मिनल ने पहली बार अपनी 2.00 मिलियन टन की क्षमता

से अधिक 2.12 मिलियन टन कार्गो थ्रूपुट का संचालन किया।

- एलएनजी टर्मिनल ने 1.22 मिलियन टन कार्गो का संचालन करके पहली बार 1.00 मिलियन टन कार्गो थ्रूपुट को पार कर लिया।
- आपकी कंपनी ने इसका कीर्तिमान रिकार्ड हासिल किया
  - बीवाईडी इंडिया तथा टोयोटा किर्लोस्कर द्वारा जनरल कार्गो बर्थ (जीसीबी) पर 3,739 ऑटोमोबाइल इकाइयों के आयात की उच्चतम मात्रा संभाला है
  - जीसीबी 1 और 2 से ऑटोमोबाइल/प्रोजेक्ट कार्गो के निर्यात और आयात के लिए कार्गो संबंधी शुल्क से रु. 75.10 करोड़ का सर्वकालिक उच्च (शुद्ध राजस्व) अर्जित किया है।
  - 3,111 गियर बॉक्स का निर्यात किया गया जो कि जीसीबी में अब तक का सबसे अधिक गियर बॉक्स निर्यात है।
  - दिनांक 23.02.2025 को अदानी एन्नोर कंटेनर टर्मिनल पर बर्थ किए गए पोत एम.वी. कैप सैन सौनियो से 60 घंटे के बर्थ प्रवास के दौरान 8,231 टीईयू कंटेनरों का सर्वकालिक उच्चतम रिकॉर्ड संभाला है।

(iii) कार्गो निष्पादन

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने निम्नांकित उच्चतम कार्गो को संभाला है

- मार्च 2025 में 4.58 मिलियन टन का प्रतिमाह कार्गो थ्रूपुट।
- दिसंबर 2024 के महीने में 62,530 टीईयू की कंटेनर मात्रा, तथा
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में 986 पोत का सर्वकालिक उच्चतम

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कार्गो थ्रूपुट के विवरण निम्नानुसार हैं

(टन मिलियन में)

क्र सं	टर्मिनल	2024-25		2023-24		Variation in Traffic Handled	
		कार्गो की मात्रा	वेसलों की संख्या	वेसलों की संख्या	वेसलों की संख्या	(+/-)	%
1.	कोल बर्थ 1	8.46	110	9.36	129	-0.90	-9.62
2.	कोल बर्थ 2	6.93	89	5.53	72	1.40	25.32
3.	सामान्य उपयोगकर्ता कोयला टर्मिनल	10.19	149	9.30	153	0.89	9.57
कुल कोयला		**25.58**	**348**	**24.19**	**354**	**1.39**	**5.75**
4.	समुद्री द्रव टर्मिनल 1	4.17	242	4.16	233	0.01	0.24
5.	सामान्य कार्गो बर्थ 1	0.89	46	1.48	109	-0.59	-39.86
6	सामान्य कार्गो बर्थ 2	1.28	79	0.03	1	1.25	4,166.67
7	कंटेयनर टर्मिनल (फेज 1, सूतर 1)	13.15	208	12.96	219	0.19	1.47
8	बहु कार्गो टर्मिनल	2.12	43	1.47	35	0.65	44.22
9	एलएनजी टर्मिनल	1.22	20	0.99	16	0.23	23.23
	पूर्ण कुल	**48.41**	**986**	**45.28**	**967**	**3.13**	**6.91**
10	संभाले गए आटोमोबाइल (सं. में)	1,61,384	125	1,14,604	110	46,780	40.82
11	संभाले गए कंटेयनर (टीईयू में)	6,81,124	208	6,71,393	219	9,731	1.45

(iv) कार्गो निष्पादन

- दिनांक 08.11.2024 को एमवी एमएससी टोपाज (एलओए 366 मीटर, जीआरटी 141754, ड्राफ्ट 14.2 मीटर) को सफलतापूर्वक बर्थ किया गया, जो इस वर्ष केपीएल में आने वाला सबसे बड़ा पोत ह।.

एमवी एमएससी टोपेज़, केपील में पहुंचा बृहत् वेसल

- एईसीटीपीएल में संभाले गए 43 बृहत् वेसल (एलओए > 325एम), जो पूर्व वर्ष से 19.4% की वृद्धि दर्शाता है
- 42.8% तक ईसीटीपीएल एवं ईबीटीपीएल में संभाले गए केप-आकार के वेसल, जो वांछित थ्रुपुट प्राप्त करने के लिए अवरसंरचनाओं में वृद्धि का संकेत देता है।
- 62 लाइन बर्थिंग प्रचालन प्राप्त किया गया, जो 44.18% की वृद्धि साबित करता है। यह उल्लेखनीय है कि एमएलटी, जीसीबी 2 तथा एईसीटीपीएल में द्वि-बर्थिंग एक महत्वपूर्ण प्रचालनात्मक उपलब्धि है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में 20 एलएनजी वेसल संभाले गए जिससे 25% की वृद्धि देखी जाती है।
- अगस्त 2024 की अवधि में सबसे अधिक प्रतिमाह वेसल ट्रेफिक रिकार्ड किया गया तथा उक्त अवधि में 95 वेसल संभाले गए। विशिष्ट समुद्री परिसंपत्तियों को संभालने की क्षमता प्रदर्शित करते हुए एफपीएसओ (प्लावित उत्पादन भण्डार एवं ऑफलोडिंग) को सफलतापूर्वक बर्थ किया गया।

स्वेता वेनिशिया - प्लावित उत्पादन भण्डार एवं ऑफलोडिंग वेसल

- सीबी3 एवं सीबी4 में एफपीएसओ स्वेता वेनेटिया परिचालनों के माध्यम से प्राप्त राजस्व, परिसंपत्ति अनुकूलन को सुदृढ़ करता है।

(v) सहजता से व्यवसाय

1. मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनर दिनांक 01.01.2025 से 24x7 आधार पर चालू है।
2. पोर्ट परिसर में पादप संगरोध प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु एक कमरे का आबंटन।
3. आरएफआईडी एवं एएनपीआर आधारित गेट कंट्रोल सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, एकीकरण, कमीशनिंग और संचालन एवं रखरखाव हेतु सिस्टम इंटीग्रेटर की नियुक्ति हेतु दिनांक 14.02.2025 को मेसर्स सेंटिनल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को रु. 6.54 करोड़ के मूल्य पर ठका प्रदान किया गया। आरएफआईडी एवं एएनपीआर आधारित गेट कंट्रोल सिस्टम की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
   - नवीनतम एक्सेस प्रौद्योगिकियां अर्थात् आरएफआईडी, एएनपीआर, संपर्क रहित फिंगरप्रिंट पहचान तथा व्यक्ति एवं वाहनों के पोर्ट प्रवेश/निकास के सत्यापन के लिए क्यूआर कोड।
   - वाहन से उतरे बिना ड्राइवरों के प्रवेश के वैधीकरण हेतु प्रावधान
   - फास्टैग तथा एएनपीआर कैमरे के साथ एकीकरण के माध्यम से वाहनों के प्रवेश के लिए दो सूतरीय प्रमाणीकरण।.
4. कार्गो के ठहराव समय कम करने तथा आयात/निर्यात सूवीकृति, कार्गो के गेट इन और आऊट, प्लांट बैक कार्गो, विलंब शुल्क की गणना आदि की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के निर्देशानुसार दिनांक 02.09.2024 से बिजनेस इंटरफेस पोर्टल (बीआईपी) में कार्गो निकासी से संबंधित दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) लागू किया गया।

2.0 लाभांश

निदेशक मंडल की संस्तुति के आधार पर दिनांक 28.03.2025 को कुल रु. 90 करोड़ के रु.3 प्रति शेयर के समतुल्य चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 30% की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया। निदेशक मंडल ने दिनांक 11.07.2025 को आयोजित अपनी बैठक में कुल रु.210 करोड़ के रु.7 /- प्रति शेयर के समतुल्य चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 70% की दर से अंतिम लाभांश प्रदान करने की संस्तुति प्रदान की है। यह भुगतान आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

3.0 रिजर्व में हस्तांतरण

3.1 सामान्य रिजर्व :

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान सामान्य रिजर्व में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की है क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लाभांश की घोषणा से पहले किसी भी राशि को हस्तांतरित करना अनिवार्य नहीं है। 31 मार्च 2025 तक शेष राशि रु.79.02 करोड़ है।

3.2 डिबेन्चर / बॉण्ड प्रतिदाय रिजर्व :

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 के अनुसार वर्ष के दौरान रु.4.57 करोड़ को डिबेन्चर / बॉण्ड प्रतिदाय रिजर्व में स्थानांतरित किया है और 31 मार्च 2025 तक शेष राशि रु. 55.02 करोड़ थी।

4.0 वित्त

आपकी कंपनी ने रिपोर्टिंग वर्ष की अवधि में सावधि ऋण की निर्धारित किश्तों को चुका दिया है

- एचडीएफसी बैंक को रु.10 करोड़ तथा रु.40 करोड़ की प्राप्त राशि में से दिनांक 31.03.2025 तक रु. 25 करोड़.
- चेन्नई पत्तन प्राधिकरण को रु.23.01 करोड़.

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्डों पर क्रमश: रु.0.88 करोड़ एवं रु. 25.45 करोड़ के वार्षिक ब्याज दायित्व के साथ नियत तिथियों पर तुरंत भुगतान किया है।

4.1 दरण

आपकी कंपनी ने जारी कर मुक्त बॉण्ड के प्रस्ताव दस्तावेज के अनुसार, क्रेडिट रेटिंग की वार्षिक अनुवीक्षण किया है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित रेटिंग प्रदान की गई हैं :

क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियां	रेटिंग/ आऊटलुक
क्रिसिल	एए/ स्टेबल
केयर	एए/ स्टेबल
आईसीआरए	एए-/ स्टेबल
ब्रिक वर्क	एए/ स्टेबल

4.2 संबद्ध पार्टियों के साथ किए गए लेन-देनों के विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अंतर्गत फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पक्ष लेनदेन का प्रकटीकरण आपकी कंपनी पर लागू नहीं होता है। सदस्य वित्तीय विवरण के नोट संख्या 30(12) का संदर्भ ले सकते हैं, जिसमें भारतीय लेखा मानक-24 के अनुसार संबंधित पक्ष प्रकटीकरण निर्धारित हैं।

4.3 वित्तीय वर्ष के अंत में तथा रिपोर्ट की तिथि के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करनेवाले सामग्री परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं

आपकी कंपनी को वित्तीय वर्ष के अंत में तथा रिपोर्ट की तिथि के बीच वित्तीय स्थिति प्रभावित करनेवाले सामग्री परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

4.4 व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन यदि कोई हो तो

वित्तीय वर्ष की अवधि में आपकी कंपनी के व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

4.5 ऋण, गारंटी के विवरण

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत न कोई ऋण दिया है न ही कोई गारंटी दी है।

4.6 निवेश

लेखापरीक्षण वर्ष की अवधि में आपकी कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है/ न ही निवेश से संबंधित कोई भुगतान किया है।

4.7 पूंजीगत व्यय

आपकी कंपनी ने पूर्व वर्ष में रु.327.39 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में पूंजीगत व्यय पर रु.201.16 करोड़ का व्यय किया है।

4.8 सावधि जमा

आपकी कंपनी ने दिनांक 31.03.2025 तक लेखापरीक्षण अवधि में किसी भी प्रकार के सावधि जमा को स्वीकृति नहीं प्रदान की है, न ही कोई दावा नहीं किए गए बकाया है अथवा न ही कोई अभुगतानित जमा हैं।

4.9 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आपकी कंपनी, निम्नांकित के लिए अपनाई जानेवाली नीतियां एवं प्रक्रणों का शतश: अनुसरण करता है

- कंपनी का व्यवस्थित एवं सक्षम व्यवसाय सुनिश्चित करना,
- धोखाधड़ी एवं गलतियों के होने से रोकने के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करना
- लेखांकन रिकार्डों की शुद्धता एवं पूर्णता बनाए रखना तथा
- समय के अंदर विश्वसनीय वित्तीय प्रकटनों को तैयार करना

आंतरिक नियंत्रण एवं प्रशासन प्रक्रियाओं की पर्याप्तता तथा प्रभावात्मकता के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक एवं लेखापरीक्षण समिति द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं को वित्तीय विवरणों की अखंड़ता और विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

5.0 25 वां कॉर्पोरेट दिवस समारोह

आपकी कंपनी ने बड़े उत्साह के साथ अपना 25वां कॉर्पोरेट दिवस मनाया। चेन्नई पत्तन प्राधिकरण तथा कामराजर पोर्ट लिमिटेड के अध्यक्ष, श्री सुनील पालीवाल, आईएएस ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई तथा केपीएल के कर्मचारियों को सफलता के शिखर तक पहुँचने के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी। प्रबंध निदेशक, श्री श्रीमती जे.पी. आइरीन सिंथिया, आईएएस ने समारोह की अध्यक्षता की और केपीएल के कर्मचारियों एवं पणधारियों के अथक प्रयास की सराहना की। उन्होंने हाल ही में पोर्ट की असाधारण उपलब्धियों की सराहना की और निरंतर विकास एवं उत्कृष्टता की आशा व्यक्त की।

रजत जयंती समारोह की पूर्व संध्या पर-

- आपकी कंपनी के अध्यक्ष, श्री सुनील पालीवाल, आईएएस ने 10 मई 2024 को केपीएल का "25वां वर्ष लोगो" का लोकार्पण

किया।

केपीएल के "25 वां वर्ष लोगो" का लोकार्पण

- तमिलनाडु के अत्तिपट्टु ग्राम एवं काट्टुपल्ली ग्रामों के लगभग 800

केपीएल द्वारा आयोजित चिकित्सकीय कैम्प

- श्री बाबू जगजीवनराम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, टोंडियारपेट में कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए क्रिकेट, बैडमिंटन, कैरम और शतरंज जैसे खेल कार्यक्रम आयोजित किए गए और आपकी कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने विजेताओं को ट्रॉफी, पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किया।

क्रिकेट दल के विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान किया गया

- 7 दिसंबर 2024 को आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्य अतिथि श्री सर्बानंद सोनोवाल, माननीय केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री, भारत सरकार ने मास्टर प्लान 2047 जारी किया, जिसमें पोर्ट के 9 से 27 बर्थ तक विस्तार और पोर्ट क्षमता 57.44 मीट्रिक टन से 254.52 मीट्रिक टन तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है तथा 25 वर्षों में केपीएल की विरासत और उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाली एक कॉफी टेबल पुस्तक जारी किया गया तथा उक्त अवसर की स्मृति में आधारशिला स्थापित किया गया। :
  - कैपिटल ड्रेड्जिंग फेज VI (₹.520 करोड़)
  - 1 एमएलडी आरओ विलवणीकरण संयंत्र (₹.37 करोड़)

- एकीकृत कमाण्ड एवं कंट्रोल सेन्टर (रु.25 करोड़)

तमिलनाडु सरकार के सार्वजनिक कार्य, राजमार्ग एवं छोटे पत्तन के माननीय मंत्री, श्री ई.वी. वेलू ने समारोह में भाग लिया।

भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के संघ मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने मास्टर संयंत्र 2047 का लोकार्पण किया

6.0 पुरस्कार

आपकी कंपनी के समीक्षा वर्ष की अवधि के दौरान

- ➤ ऐक्ज़िम इंडिया शिपिंग टाईम्स ने चेन्नई में दिनांक 11.07.2025 को व्यवसाय की सेवा में 25 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में 16वां दक्षिण पूर्व सीईओ कॉन्क्लेव एवं पुरस्कार 2025 समारोह आयोजित किया।
- ➤ पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल से मुंबई में पोस्ट बजट इंडस्ट्री मीट 2025 की अवधि में '5,00,000 टीईयू से अधिक कंटेयनरों को संभालने वाले पत्तन' की श्रेणी में देश के सर्वश्रेष्ठ पोर्ट उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया।
- ➤ कंपनी को मुंबई में दिनांक 05.04.2025 को आयोजित 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह में 'उत्कृष्ट भारतीय पोर्ट मान्यता' से सम्मानित किया गया तथा प्रथम श्रेणी प्रदान की गई।
- ➤ कंपनी, विश्व बैंक एवं एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा प्रकाशित विश्व बैंक के कंटेयनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 (सीपीपीआई 2023) द्वारा कंटेयनर पोर्ट्स की वैश्विक रैंकिंग में 47वें स्थान पर है; तथा
- ➤ उच्चतम कंटेयनरों (प्रति वर्ष 0.5 मिलियन टीईयू से कम का थ्रूपुट) को संभालने के लिए लघु पोर्ट श्रेणी में वैश्विक रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त किया, जो भारत में अन्य कंटेयनर पोर्टों की तुलना में अग्रणी है।

7.0 समझौता करार

वर्ष 2025-26 के लिए चेन्नई पत्तन प्राधिकरण के साथ दिनांक 15.07.2025 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एमओयू रेटिंग 'बहुत अच्छी' है।

कामराजर पोर्ट लिमिटेड ने चेन्नई पत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता करार 2024-25 पर हस्ताक्षर किया।

8.0 प्रचालन

वर्तमान में आपकी कंपनी में 9 टर्मिनल प्रचालित हैं, जिनमें से 4 बीओटी टर्मिनल हैं, तीन (3) कैप्टिव उपयोगकर्ता टर्मिनल हैं तथा दो (2) केपीएल के स्वामित्व वाले टर्मिनल हैं। सभी टर्मिनल 'अत्याधुनिक' बुनियादी ढाँचे से सुसज्जित हैं और तेज़ निकासी और प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए पूरी तरह से मशीनीकृत कार्गो हैंडलिंग संचालन प्रदान करते हैं। 9 चालू बर्थों की क्षमता 57.44 मिलियन टन है। मौजूदा टर्मिनलों के संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं :

i) कोयला बर्थ 1 एवं 2

8एमपीटीए की हैंडलिंग क्षमता वाले कोल बर्थ 1 और 2, 77,000 डीडबल्यूटी तक के 280 मीटर लंबे दो कोयला कैरियर को समायोजित किया जा सकता है तथा टीएनईबी (टैन्जेडको) और उसकी जेवी कंपनियों के थर्मल पवर प्लांट्स के लिए थर्मल कोल को हैंडल करते हैं। अनलोड किए गए कोयले को सीधे कन्वेयर सिस्टम के माध्यम से पास के नॉर्थ चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन (एनसीटीपीएस) में स्थित स्टैकयार्ड में ले जाते हैं, जहाँ से इसका एक हिस्सा रेल संपर्क के माध्यम से मेट्टूर तक ले जाते हैं। व्यवसाय मॉडल के अनुसार, आपकी कंपनी ने बर्थिंग संरचना का निर्माण किया और टैन्जेडको ने थर्मल कोयला हैंडल करने के लिए शोर अनलोडर्स, कन्वेयर सिस्टम आदि जैसी सभी टॉप साइड सुविधाओं में निवेश किया है तथा उनका संचालन और रखरखाव कर रहा है।

ii) समुद्री द्रव टर्मिनल

3 एमपीटीए कार्गो हैंडलिंग क्षमता वाले मैरीन लिक्विड टर्मिनल को बीओटी के तहत मेसर्स एन्नोर टैंक टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड (ईटीटीपीएल) द्वारा

विकसित किया गया तथा 16 जनवरी 2009 से वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ शुरु किया गया। व्यवसाय में मांग पूरा करने के लिए, बीओटी ऑपरेटर ने अतिरिक्त भण्डारण टैंक का विकास किया तथा एलपीजी हैंडलिंग उपकरण लगाए। टर्मिनल पीओएल, एलपीजी, सीबीएफएस, रसायन और अन्य को संभालता है। जहाजों की भीड़ को कम करने के लिए, मेसर्स ईटीटीपीएल ने अतिरिक्त डॉक लाइनें लगा दीं तथा मैरीन अनलोडिंग आर्म्स लगाए जिससे वेसल प्रतीक्षा समय कम हो गया है। टैंक, फार्म बर्थ से लगभग 3.7 किमी दूर 33 एकड़ के पोर्ट-लीज प्लॉट पर स्थित है, जिसकी कुल भण्डारण क्षमता लगभग 247,990 केएल है तथा इसमें ए/बी/सी पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रो रसायन पदार्थ, वनस्पति जेल, जैव ईंधन, अम्ल एवं सुरक्षित वर्ग द्रवों का भण्डारण किया जा सकता है। पूरे टर्मिनल में एक एकीकृत अग्निशमन व्यवस्था है जो ओआईएसडी की आवश्यकताओं के अनुकूल है।

iii) सामान्य उपयोगकर्ता कोयला टर्मिनल

मेसर्स चेट्टीनाड इंटरनेशनल कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड ने बीओटी आधार पर 10 एमपीटीए कार्गो हैंडलिंग क्षमता वाले कॉमन यूजर कोयला टर्मिनल का विकास किया तथा 11 मार्च 2011 से वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ किया गया। केप आकार के वेसलों को संभालने के लिए, बीओटी ऑपरेटर ने 16 मीटर के ड्राफ्ट के साथ बर्थ की लंबाई 22.5 मीटर तक बढ़ा दी। 48.0 हेक्टेयर का स्टैकयार्ड क्षेत्र पोर्ट कंपाउंड वॉल से लगभग 2.50 किमी दूर स्थित है। 59 वैगनों (3500टी) के एक पूरे रेक लोड करने के लिए एक इन-मोशन वैगन लोडिंग स्टेशन स्थापित किया। ट्रकों के जरिए निकासी के लिए ट्रक लोडिंग स्टेशन प्रदान किए गए। प्रदूषण कम करने के लिए धूल दमन तंत्र के साथ एक कन्वेयर स्थापित किया गया।

iv) सामान्य कार्गो बर्थ सह ऑटोमोबाइल निर्यात टर्मिनल

बर्थ में विश्व के सबसे बड़े कार कैरियर वेसल लगाया जा सकता है तथा इसमें लगभग बहुत ही विस्तारित कार पार्किंग यार्ड तथा 25,000 कारों के लिए ट्रांसिट पार्किंग के साथ बैकअप क्षे के रूप में 3,70,313 वर्गमीटर का क्षेत्र उपलब्ध किया गया है, जिसमें किसी भी भारतीय पोर्ट की सबसे बड़ी सुविधा है। इसके प्रारंभिक अवधि से दिनांक 31.03.2025 तक जीसीबी के माध्यम से ऑटोमोबाइल यूनिटों के निर्यात ने 23.80 लाख यूनिटों को पार किया जा चुका है।

आपकी कंपनी ने आपके पोर्ट के माध्यम से ऑटोमोबाइल निर्यात के लिए प्रमुख ओईएम अर्थात मेसर्स निस्सान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स टोयोटा किर्लोस्कर मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स इज़ुज़ु मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा मेसर्स जेडीएफ विंड पवर कोयंबत्तूर प्राइवेट लिमिटेड (विंडमिल कंपोनेंट्स), मेसर्स मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, मेसर्स कैटरपिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स पीसीए ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ दीर्घकालिक समझौता किया गया हैं। आपका पोर्ट वार्फेज शुल्क पर मात्रा आधारित छूट भी प्रदान कर रहा है।

v) कंटेयनर टर्मिनल

आपकी कंपनी ने चरणबद्ध तरीके से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत 1.40 मिलियन टीईयू प्रति वर्ष की हैंडलिंग क्षमता वाले कंटेयनर टर्मिनल के विकास हेतु मेसर्स अदानी एन्नोर कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक रियायत समझौता किया है। कंटेनर टर्मिनल के लिए कुल बैकअप क्षेत्र 36.5 हेक्टेयर है। चरण-I बर्थ में चार रेल माऊण्टेड क्रेन लगाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक की पहुँच 62 मीटर है तथा 12 ईआरटीजीएस हैं। दूसरे चरण के कार्यान्वयन के दौरान तीन और रेल माऊण्टेड क्रेन और 9 ईआरटीजीएस जोड़े जाएँगे। कंटेयनर निकासी सड़क और रेल मार्ग से होती है। कंटेयनर टर्मिनल (चरण-I) का वाणिज्यिक संचालन वित्तीय वर्ष 2017-18 से शुरू हुआ।

vi) बहु कार्गो टर्मिनल

मेसर्स चेट्टीनाड इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड ने डीबीएफओटी के आधार पर 2.0 मिलियन टन क्षमता के साथ इस टर्मिनल का विकास किया है। यह टर्मिनल स्टील, उर्वरक, जिप्सम, बेराइट्स और चूना पत्थर का प्रसंस्करण करता है। टर्मिनल का कुल बैकअप क्षेत्र 13.5 हेक्टेयर है। बर्थ में 100 टन क्षमता वाले दो (2) हार्बर मोबाइल क्रेन लगाए गए हैं तथा यार्ड भंडारण सुविधाओं से सुसज्जित है। माल की निकासी सड़क और रेल मार्ग से होती है। दिनांक 05.08.2017 से टर्मिनल का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया गया। मेसर्स जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड समूह ने दिनांक 13.11.2020 को अधिग्रहण के बाद टर्मिनल का नाम बदलकर मेसर्स एन्नोर बल्क टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया।

vii) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) निर्यात टर्मिनल

जेवी के प्रमुख साझेदार मेसर्स आईओसीएल ने 5 एमपीटीए (10 एमपीटीए तक विस्तार योग्य) क्षमता युक्त पुन: गैसीकरण सुविधाओं के साथ एलनजी

टर्मिनल सृथापित किया है। पुन: गैसिफिकेशन टर्मिनल में प्रति टैंक की क्षमता 1,80,000m3 की कुल क्षमता दो टैंक हैं। उक्त टर्मिनल को दिनांक 26.02.2019 को कमिशन किया गया तथा रु.3834.51 करोड़ की लागत की परियोजना है।

(viii) ऑटोमोबाइल निर्यात/ आयात टर्मिनल-2 (3 एमपीटीए)

आपकी कंपनी ने संभावित 3 एमटीपीए क्षमता युक्त द्वितीय ऑटोमोबाइल निर्यात/आयात टर्मिनल का विकास करने के लिए मेसर्स एल एण्ड टी जियोस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया है। आदेश जारी की गई परियोजना की कुल लागत रु. 149.36 करोड़ है। भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने 2 जनवरी 2024 को उक्त टर्मिनल का उद्घाटन किया और यह मार्च 2024 से प्रचालित है। \

9.0 परियोजनाएं :

अपने ग्राहकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए पोर्ट की क्षमता में वृद्धि करने हेतु विभिन्न बर्थों/टर्मिनलों का विकास करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई है तथा उक्ति विकास की स्थिति निम्नानुसार है :

(i) कोयला बर्थ 3 एवं 4 (18 एमटीपीए)

आपकी कंपनी ने टीएनपीजीसीएल (पूर्व में टैनजेडको) के अनुरोध पर 500 करोड़ रुपये के निवेश से दो अतिरिक्त कोल बर्थ (सीबी3 और सीबी4) का निर्माण किया है। दोनों नए कोयला बर्थ की क्षमता 9 एमटीपीए है और ये 18 मीटर ड्राफ्ट वाले केप आकार के वेसल को जगह दे सकते हैं। अनलोडर, कन्वेयर सिस्टम आदि जैसी टॉप अनलोडिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए बर्थ टीएनपीजीसीएल को सौंप दिए गए हैं। सीबी-3 का मशीनीकरण कार्य चल रहा है और वित्तीय वर्ष 2025-26 में चालू होने की उम्मीद है। सीबी-4 के संबंध में, मशीनीकरण कार्य जो पहले अनुबंध की समाप्ति के कारण रुका हुआ था, हाल ही में एक नए ठेकेदार को दिया गया है और इसके वित्तीय वर्ष 2026-27 में चालू होने की उम्मीद है।

(ii) आईओसीएल कैप्टिव जेट्टी (3 एमटीपीए)

आपकी कंपनी ने पीओएल एवं एलपीजी उत्पादों को संभालने के लिए कैप्टिव जेट्टी के निर्माण के लिए मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के साथ रु.921 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत पर रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया है तथा मेसर्स एस्सिस्टम इंडिया लिमिटेड (पूर्व में एलएंडटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लिमिटेड) को स्वतंत्र इंजीनियर नियुक्त किया है। मेसर्स आईओसीएल ने जेट्टी निर्माण के लिए ईपीसी ठेकेदार के रूप में मेसर्स आईटीडी सीमेंटेशन लिमिटेड, मुंबई का चयन किया है। आपकी कंपनी ने पाइपलाइन कॉरिडोर के लिए भूमि भाग, जल फ्रंट और आरओडब्ल्यू, मेसर्स आईओसीएल को आवंटित किया है तथा दिनांक 02.03.2022 से रियायत के पुरस्कार की तारीख घोषित की है। जेट्टी निर्माण का कार्य दिनांक 31.12.2024 को पूर्ण किया गया।

(iii) सामान्य उपयोगकर्ता कोयला (12 एमपीटीए) संभालने के लिए "जैसा है जहां है आधार" पर आयर्न ओर टर्मिनल में रूपांतरण

आपकी कंपनी ने सितंबर 2006 में परियोजना कंपनी मेसर्स एसआईसीएएल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड (एसआईओटीएल) के साथ बीओटी आधार पर 30 वर्षीय लौह अयस्क टर्मिनल के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया। बीओटी संचालक ने वर्ष 2010-11 की अवधि में 6 एमटीपीए क्षमता का पहला चरण विकसित किया। हालाँकि, लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण, टर्मिनल कभी उपयोग में नहीं लाया जा सका। परिणामस्वरूप, मौजूदा लौह अयस्क टर्मिनल को "जैसा है जहाँ है" के आधार पर संशोधित करने पर विचार किया गया ताकि सामान्य उपयोगकर्ता कोयले का भी प्रबंधन किया जा सके और केपीएल एवं एसआईओटीएल के बीच दिनांक 11.07.2016 को लाइसेंस समझौता पर हस्ताक्षर हुआ।

तथापि, रियायतग्राही द्वारा वित्तीय चूक की घटना के कारण आपकी कंपनी ने मेसर्स एसआइटीओएल को दिनांक 22.03.2021 को 'समाप्ति नोटिस' जारी किया तथा दिनांक 20.06.2021 को उनके साथ अनुबंधित लइसेन्स करार समाप्त किया गया। तथापि, एसआइटीओएल पर वर्तमान में आईबीसी कोड के अंतर्गत एनसीएलटी कार्रवाई की जारी है तथा मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(iv) समुद्री देव टर्मिनल – 2 (3 एमटीपीए)

आपकी कंपनी ने पीओएल की लगातार बढ़ती मांग पूरा करने के लिए 393 करोड़ रुपये के निवेश से डीबीएफओटी मोड में बर्थ और टैंकेज सुविधाओं से युक्त दूसरे समुद्री तरल टर्मिनल के विकास हेतु कार्रवाई शुरु की है। प्रतिस्पर्धी बोली के बाद, आपकी कंपनी ने दिनांक 14.02.2018 को बीपीसीएल-एचपीसीएल के कन्सॉर्टियम को लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया। तथापि, एमएलटी-1 के मौजूदा बीओटी ऑपरेटर द्वारा मुकद्दमा के कारण, रियायत

समझौते पर हस्ताक्षर और वाटरफ्रंट का आबंटन कार्य लंबित है। मामला सुलह और निपटान समिति (सीएससी) को भेज दिया गया है।

(v) कंटेनर टर्मिनल-फेज़ 1(सूतर 2)(6,00,000टीईयू/11.58 एमटीपीए)

रियायत समझौते के अनुसार, रियायतग्राही मेसर्स एईसीटीपीएल को दिनांक 19.01.2019 को चरण-2 का निर्माण कार्य शुरु करना था। तथापि, चरण-2 शुरु होने में देरी के कारण, रियायतग्राही पर निश्चित क्षतिपूर्ति लागू की गई। रियायतग्राही ने दिनांक 16.8.2020 को मध्यस्थता विवाद लगाया। दिनांक 28.5.2024 को बहुमत से निर्णय से उसे पारित किया गया। आपकी कंपनी ने मध्यस्थता निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की और यह माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित है।

इस बीच, मेसर्स एईसीटीपीएल ने दिनांक 01.04.2025 से चरण-1 (चरण-2) का निर्माण कार्य पुनः शुरु किया।

10.0 अवरसंरचनात्मक विकास

एक कॉर्पोरेट पोर्ट के रूप में, जो "भूस्वामी" मॉडल पर कार्य करता है, आपके पोर्ट को सड़क और रेल संपर्क, ड्रेज्ड बेसिन/चैनल, समुद्री सेवाएँ और अन्य सामान्य उपयोगिताएँ जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करनी होती हैं। इस उद्देश्य से आपकी कंपनी ने राष्ट्रीय राजमार्ग तक सड़क और रेल संपर्क के प्रभावी नेटवर्क के लिए कार्य शुरु किया है ताकि माल की शीघ्र प्राप्ति और निकासी सुनिश्चित हो सके जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है :-

10.1 रोड कनेक्टिविटी

(i) आंतरिक रोड कनेक्टिविटी

पोर्ट के अंदर आईओसीएल रीगैसिफिकेशन टर्मिनल तक बेहतर सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए आपकी कंपनी ने रु.17.43 करोड़ की लागत से 2 लेन कंक्रीट सड़क के निर्माण हेतु टीएनआरडीसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। सड़क की कुल लंबाई 2.4 किमी है तथा इसे सेवा के लिए समर्पित किया गया है।

(ii) बाह्य रोड कनेक्टिविटी

(a) दक्षिणी पोर्ट ऐक्सस रोड

वर्तमान में आपके पोर्ट, पोर्ट एक्सेस रोड में से एनसीटीपीएस पहुंच मार्ग तीन राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच5, एनएच4 और एनएच45) से तिरुवोटियूर - पोन्नेरी - पंचेट्टी (टीपीपी) रोड, इन्नर रिंग रोड (आईआरआर) और चेन्नई बाईपास रोड के माध्यम से कनेक्टेड है। कार्गो के आयात/निर्यात के बढ़ते हुए सड़क यातायात को ध्यान में रखते हुए, वल्लूर जंक्शन (टीपीपी रोड) से कामराजर पोर्ट मुख्य प्रवेश द्वार तक मौजूदा दो लेन वाली सड़क को टीएनआरडीसी द्वारा 195 करोड़ रुपये की लागत से टर्नकी आधार पर चार लेन वाली सड़क तक बढ़ा दिया गया है।

सड़क कार्य टीएनआरडीसी द्वारा 2 खंडों में कार्यान्वित किया गया। खंड-1 में वल्लूर जंक्शन से एनसीटीपीएस जंक्शन तक 4.8 किमी लंबाई में सड़क चौड़ा करने/सुधार कार्य शामिल हैं। पोर्ट, पत्तन एवं जलमार्ग मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालस के माननीय मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने दिनांक 23.04.2023 को आयोजित किया गया।

(b) उत्तरी पोर्ट ऐक्सस रोड (एनपीएआर)

आपके पोर्ट को एनएच5 से जोड़ने वाले उत्तरी पोर्ट ऐक्सस रोड की लंबाई 21.148 किलोमीटर है, जिसमें 4.35 किलोमीटर लंबी सूपर रोड भी शामिल है जो मौजूदा चेन्नई ओआरआर तक जाती है। यह उत्तरी पोर्ट ऐक्सस रोड, चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड (सीपीआरआर) के खंड-1 का हिस्सा है। राज्य सरकार ने राजमार्ग और लघु पोर्ट (एचडबल्यू2) विभाग के दिनांक 8.3.2019 के सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 37 के तहत इस सड़क के निर्माण के लिए रु.3339 करोड़ की प्रशासनिक संस्वीकृति प्रदान की है। टीएनआरडीसी, इस परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है तथा जीआईसीए इसका वित्त पोषण कर रहा है। मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स को ठेकेदार के रूप में चुना गया है। निर्माण कार्य जनवरी 2022 में शुरु किया गया तथा दिसंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद की जाती है।

(c) स्टेकयार्ड रोड

आपकी कंपनी ने अगस्त 2024 में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी, मेसर्स तमिलनाडु रोड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (टीएनआरडीसी) के साथ वल्लूर एनसीटीपीएस कैंप राउंडटाना से ईसीटीपीएल स्टैक यार्ड तक कंक्रीट सड़क के विकास के लिए एक ठेका समझौता पर हस्ताक्षर किया है। टीएनआरडीसी ने जनवरी 2025 में मेसर्स ओम शक्ति कंस्ट्रक्शन्स को यह कार्य सौंपा। ईसीटीएल के कोयला स्टैकयार्ड से ट्रक द्वारा विभिन्न गंतव्यों तक कोयले की निर्बाध निकासी को सुगम बनाना इस परियोजना का उद्देश्य है।

प्रमुख सिविल कार्य में मौजूदा बिटुमेन/कंक्रीट सड़कों, पुलियों, नालियों एवं स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और पुनर्वास के साथ-साथ ईसीटीपीएल स्टैक यार्ड

एवं केपीएल मुख्य द्वार के बीच स्थित दो प्रमुख पुलों का पुनर्निर्माण शामिल है। इसके दायरे में 4.39 किलोमीटर कंक्रीट सड़क का निर्माण और पुलों के लिए किनारे के तटबंधों को मजबूत करने के कार्य शामिल है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत रु.58.21 करोड़ है, जिसकी निर्धारित पूर्णता अवधि 24 महीने है।

10.2 रेल कनेक्टिविटी

वर्तमान में आपकी कंपनी, चेन्नई-दिल्ली/कोलकाता मार्ग पर दक्षिण रेलवे के चेन्नई-गुडूर खंड में स्थित अतूतिपट्टू और अत्तिपट्टू पुदुनगर स्टेशनों पर मुख्य लाइन से रेल द्वारा जुड़ी हुई है। आपकी कंपनी ने कोयला और लौह अयस्क टर्मिनलों को मौजूदा एनसीटीपीएस रेलवे लाइन से जोड़ने वाली रेलवे सुविधाओं का विकास किया है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी के दायित्वों के अंतर्गत कंटेनर और मल्टी कार्गो टर्मिनलों को रेल संपर्क प्रदान किया गया है।

रेल यातायात में भीड़भाड़ कम करने के लिए आपकी कंपनी ने निम्नलिखित रेल संपर्क परियोजनाओं के लिए कार्रवाई शुरु की है :

(i) दक्षिणी रेल कनेक्टिविटी

आपकी कंपनी ने होल्डिंग यार्ड संख्या 1 से कंटेनर यार्ड तक मौजूदा सिंगल लाइन रेल संपर्क को दोगुना करने के लिए मेसर्स इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ रु.88.81 करोड़ की परियोजना लागत पर समझौता करार पर हस्ताक्षर किया है। दोहरीकरण रेल संपर्क की कुल लंबाई 2.65 किलोमीटर है। इस परियोजना पर पहले ही कार्य प्रारंभ किया गया तथा पोर्ट के अंदर इंटरलॉकिंग लेवल क्रॉसिंग संख्या 4 जैसे संबद्ध कार्य फरवरी 2025 के दौरान चालू किए जाएँगे।

(ii) उत्तरी रले कनेक्टिविटी

उत्तरी रेल लिंक (एनआरएल) आपके पोर्ट को मिंजूर स्टेशन के उत्तरी भाग यानी चेन्नई-गूडूर रेलवे मेनलाइन से जोड़ता है। एनआरएल कनेक्टिविटी की कुल लंबाई 11.211 किमी है। आपकी कंपनी और कट्टुपल्ली पोर्ट ने एनपीएआर के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा अधिग्रहित 100 मीटर आरओडब्ल्यू में से 30 मीटर आरओडब्ल्यू (प्रत्येक 15 मीटर) के लिए सहमति प्रदान की है। आपकी कंपनी ने इस एनआरएल कनेक्टिविटी परियोजना को एक दीर्घकालिक परियोजना माना है।

(iii) केपीएल और एनसीटीपीएस रेलवे लाइनों का एकल उन्नयन

आपकी कंपनी ने होल्डिंग यार्ड II में संशोधन कार्य (पावर वे, ओएचई और एस एंड टी) सहित केपीएल ट्रैक (होल्डिंग यार्ड I, II तथा केपीसीए) और एनसीटीपीएस रेलवे ट्रैक (कॉमन रेलवे ट्रैक) के एकल उन्नयन के लिए मेसर्स इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता करार पर हस्ताक्षर किया है। रेल संपर्क की कुल उन्नयन लंबाई 26.38 ट्रैक किमी है, जिसकी अनुमानित लागत रु.35.20 करोड़ है। सिविल, ओएचई और एस एंड टी जैसे कार्यों का मूल दायरा पूर्ण किया गया है। अत्तिपट्टू स्टेशन में एस एंड टी का अतिरिक्त कार्य प्रगति पर है। यह कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद की जाती है।

10.3 ड्रेड्जिंग योजना

(i) पूंजीगत ड्रेड्जिंग फेज़-V

रो-रो सह जनरल कार्गो बर्थ-II और आईओसीएल कैप्टिव टर्मिनल जैसे बर्थों के लिए (-) 16 मीटर सीडी की जल गहराई प्रदान करने के लिए रु.156,08,56,760/- (जीएसटी छोड़कर) मूल्य पर मेसर्स जॉन दे नुल ड्रेजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई को प्रदान किया गया तथा अक्टूबर 2023 की अवधि में कैपिटल ड्रेजिंग चरण-V का कार्य पूर्ण किया गया।

(ii) पूंजीगत ड्रेड्जिंग फेज़-VI

एक्जिम ट्रेड की मांग में वृद्धि के साथ ट्रेड की प्राथमिकता की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए गहरे ड्राफ्ट जहाजों को तैनात करना होगा। MIV-2030 पहल के साथ संरेखित करने के लिए, आपकी कंपनी ने पोर्ट के बेसिन और चैनल क्षेत्र में (-)18 मीटर गहरे ड्राफ्ट देने के लिए कैपिटल ड्रेजिंग चरण-VI को पूरा करने की कार्रवाई फिर से शुरु की है। पीआईबी द्वारा अनुमोदित अनुमानित ड्रेजिंग लागत रु.513.83 करोड़ का वित्तपोषण आंतरिक और अतिरिक्त बजट संसाधनों के माध्यम से किया जाएगा। निविदा प्रक्रिया पूरी करने के बाद दिनांक 24.10.2024 को जीएसटी छोड़कर रु.440.70 करोड़ के ठेका मूल्य पर मेसर्स वैन ओर्ड मरीन कॉन्ट्रैक्टर्स बीवी, मुंबई को काम सौंपा गया। कार्य प्रगति पर है। जून 2026 तक पूरा होने की उम्मीद की जाती है।

11.0 औद्योगिक संबंध

आपकी कंपनी ने वर्ष 2024-2025 की अवधि में सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखा। वर्ष की अवधि किसी भी हड़ताल या कार्य-स्थगन के कारण किसी भी कार्यव दिवस नष्ट नहीं हुआ है। पोर्ट पर श्रमिकों की स्थिति सामान्य रही है।

12.0 मानव संसाधन विकास

12.1 कार्मिक शक्ति

दिनांक 31.03.2025 तक, आपकी कंपनी में कुल 92 कर्मचारी थे जिनमें निम्नलिखित वर्गीकरण के तहत 74 पुरुष कर्मचारी, 18 महिला कर्मचारी तथा 0 ट्रांसजेंडर कर्मचारी शामिल थे।

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	अन्य	कुल
अधिकारी	11	2	30	21	64
कर्मचारी	9	1	10	8	28
कुल	20	3	40	29	92

12.2 अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व

आपकी कंपनी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक आदि के पक्ष में पद/लाभ के आरक्षण का समय-समय पर केंद्र सरकार के राष्ट्रपति के निर्देशों और आदेशों का सावधानीपूर्वक पालन करती है। अनुसूचित जाति के कर्मचारी कुल कार्मिकशक्ति के 22% है तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी कुल कार्मिकशक्ति के 3% हैं तथा उनके प्रतिनिधित्व के विवरण निम्नानुसार हैं:

संगठन में आरक्षण आदेशों के अनुपालन और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

12.3 प्रशिक्षण

चूँकि, आपकी कंपनी का मानना है कि अपने कर्मचारियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान से अवगत रखने के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है, इसलिए इस वर्ष के दौरान कर्मचारियों को 153 कार्यदिवसों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसके लिए लगभग ₹.17.59 लाख का व्यय हुआ।

प्रस्तुत वर्ष की अवधि में कर्मचारियों ने स्मार्ट पोर्ट टेक्नोलॉजीज और पोर्ट एवं टर्मिनल ऑप्टिमाइजेशन, पोर्ट पर्यावरण प्रबंधन और स्थिरता, पोर्ट और समुद्री सेवाएं, ड्रेजिंग टेक्नोलॉजी, आईएमओ लेवल I और II प्रशिक्षण, ग्रीन पोर्ट्स, सेबी, साइबर खतरा खुफिया, एनआईडीएम के साथ आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पीपीपी फ्रेमवर्क, पर्यावरण, सामाजिक और शासन स्थिरता के तरीके, सीएसआर, पोर्ट और हार्बर इंजीनियरिंग, आरक्षण, पोर्ट सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा लेखा परीक्षा, हिंदी कार्यशालाएं आदि कार्यक्रमों में भाग लिया।

12.4 शिकायत निवारण पद्धति

आपकी कंपनी ने कार्यकारी और गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण प्रक्रिया लागू की है। समीक्षाधीन वर्ष में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

13.0 समुद्री

13.1 समुद्री प्रचालन

आपके पोर्ट ने निम्नलिखित पहल के माध्यम से प्रचालन उत्कृष्टता और समुद्री सुरक्षा निरूपित करता है:

- सभी महासमुद्री वेसलों के लिए 24 x 7 त्वरित पयलटेज, टर्नराऊण्ड टाइम करम करता है तथा बर्थ उपयोग में सुधार
- 4 टग, 2 पायलट लॉन्च और 2 मूरिंग बोट के अत्यधिक चुस्त फ्लीट बनाए रखते हुए सक्षम पोत पतन समर्थन
- सभी टग, फई-फई (अग्निशमन) व्यवस्थाओं से सज्ज हैं जो एलपीजी/एलएनजी वेसलों को संभालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल हैं।
- आईएसपीएस कोड अनुपालन एवं सुरक्षित समुद्री अवरसंरचना सुनिश्चित करने के लिए साआईएसएफ कार्मिकों से सज्ज एक समर्पित पैट्रोल बोट जो समुद्र तट पर वर्ष के 365 दिन, चौबीसों घंटे प्रचालित है।

13.2 वेसल ट्राफिक सर्विसस (वीटीएस)

नौवहन सुरक्षा एवं पर्यावरण सुरक्षा प्रोत्साहित करने के लिए आपके पोर्ट ने स्वदेश में विकसित अत्याधुनिक वेसल ट्रेफिक सर्विस सेवा को कार्यान्वित किया है। इसके द्वारा निम्नांकित सेवाएं प्रदान की जाती हैं :

- स्तविक समय सूचना सेवाएँ
- सक्रिय नौवहन सहायता
- पोर्ट में आनेवाले या पोर्ट से जानेवाले सभी वेसलों के लिए संयोजित समुद्री ट्राफिक प्रबंधन

13.3 वेसल संभालने के महत्वपूर्ण बिन्दु

आपका पोर्ट सुरक्षित, व्यवस्थित एवं स्केलेबल शिपिंग संचालन का कार्य सतत प्रदान करता है :

- कुशल समुद्री पायलट एवं आधुनिक नौवहन समर्थन द्वारा असंख्य पायलटेज एवं बर्तिंग सेवाएं प्रदान किया है जिससे त्वरित टर्नराऊण्ड सुनिश्चित करते हुए विभिन्न प्रकार के बृहत् एवं विशिष्ट वेसल संभाले गए।
- आक्रामक जलीय प्रजातियों के पैदा होने की प्रक्रिया रोकने, पर्यावरणीय संरक्षण सुदृढ़ करते हुए पूर्ण रूप से आइएमओ बल्लास्ट जल प्रबंधन प्रक्रण का अनुपालन करता है।
- दिसंबर 2022 से समुद्री एकल विण्डो (एमएसडबल्यू) युक्त एनएलपी (सागर सेतु) का पूर्ण अनुपालन तथा जनवरी 2025 से एक राष्ट्र एक

पोत पत्तन की ओर अग्रसर

- वेसल दस्तोवज़ीकरण के विस्तुत डिजिटाइज़ेशन का प्रारंभ करते हुए विभागों में पारदर्शिता में और सक्षमता सुधार
- चक्रवात एवं भारी वर्षा की तैयारी हेतु वास्तविक समय मौसम अनुवीक्षण को सक्षम बनाते हुए पोर्ट स्वचालित मौसम स्टेशन (एडबल्यूएस) को संस्थापित करने के लिए आइएमडी के साथ संयोजन कार्य जिससे कि सही समय एवं शुद्ध मौसम मूल्यांकन को निश्चित किया जा सकता है।

14.0 पोर्ट सुरक्षा

आइएसपीएस विनियमनों एवं डीजी पोत पत्तन नियम अनुपालन के अनुकूल सुरक्षा एक मुख्य प्राथमिकता है :

- प्रमाणित आइएसपीएस अनुपालन
- सभी संबद्ध एजेन्सयों के सहयोग में डीजी पोत पत्तन द्वारा सुरक्षा परीक्षण
- सतत पुनरीक्षण एवं सुधार सुनिश्चित करने के लिए तिमाही पोर्ट सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति (पीएफएसएसी) की बैठकों का आयोजन
- सुरक्षा संबंधी सूचना के लिए आसूचना ब्यूरो (आइबी) सहित सभी सुरक्षा एजेन्सियों के साथ संयोजन
- सीआईएसएफ, टर्मिनल प्रचालक, भारतीय नौसेना तटरक्षक एवं राज्य प्राधिकारियों के साथ नियमित बहु-एजेन्सी ड्रिल
- आपदा तैयारी एवं भीड़ प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए विश्व टूसुनामी जागरूकता दिवस मनाने हेतु आइटीईडबल्यूसी एवं एनडीएमए द्वारा आयोजित राष्ट्रीय टूसुनामी नकली अभ्यास (5 नवंबर 2024) में भाग लिया।
- पोर्ट को निम्नलिखित द्वारा विस्तृत सुरक्षा प्रदान की गई है :
  - ➢ विस्तुत सीसीटीवी निगरानी
  - ➢ आरडीईं सिस्टम्स
  - ➢ बैगेज स्केनर
  - ➢ ऐक्सेस कंट्रोल उपकरण
  - ➢ अन्य सुरक्षा उपकरण

15.0 सर्वेक्षण एवं ड्रेड्ज़िंग

15.1 कामराजर पोर्ट में बाथमेट्री सर्वेक्षण :

समुद्री सतह एवं जल के नीचे की स्थलाकृति को सटीक रूप से मूल्यांकित एवं अनुवीक्षण करने के लिए वर्षा के मौसम से पहले और बाद की अवधि में बाथमेट्रिक सर्वेक्षण किया जाता है। यह, सुरक्षित नौवहन, ड्रेड्जिंग क्रियाकलापों के लिए प्रभावशाली योजना तैयार करने तथा घोषित नौवहन गहराइयों को बनाए रखने के लिए अत्यंत अनिवार्य है। डेटा, पोर्ट प्रचालनों के लिए कार्यनीति युक्त निर्णय करने में समर्थन प्रदान करता है, नौवहन खतरों को कम रता है, विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करता है तका अवरसंरचनात्मक योजना एवं रखरखाव में योगदान देता है।

15.2 तटरेखा अनुवीक्षण अनुपालन

तट में होनेवाले परिवर्तनों, अपरदन, अभिवृद्धि पैटर्नों एवं तटरेखा की समग्र स्थिरता को मूल्यांकेत करने के लिए कामराजर पोर्ट में तटरेखा अनुवीक्षण की किया जाता है। नियमित अनुवीक्षण से विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है, तटवर्ती अवरसंरचना की सुरक्षा में सहायता प्रदान करता है, दीर्घकालिक पोर्ट प्रचालनों को समर्थन प्रदान करता है तथा पोर्ट क्रियाकलापों के कारण पर्यावरणीय प्रभावों को समय से पहले पहचान करने में सहायता प्रदान करता है। यह, पर्यावरण संरक्षण एवं खतरा प्रबंधन में एक मुख्य पहलू बन जाता है।

15.3 नौवहन चार्ट अपडेट

पोर्ट समुद्री सुरक्षा, विनियामक अनुपालन एवं कुशल पोत संचलन सुनिश्चित करने के लिए सटीक नौवहन तथा इलेक्ट्रॉनिक नौवहन चार्ट (ईएनसी) के महत्व को समझता है। यह चार्ट जल की गहराई, नौवहन सहायता, समुद्र तल की विशेषताओं तथा अवरसंरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इस प्रकार पोर्ट, महत्वपूर्ण ड्रेड्जिंग, ड्रेड्जिंग एवं अन्य समुद्री अवरसंरचना परियोजनाओं को पूर्ण करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए चार्टों के समय समय पर अपडेट और संशोधन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय (एनएचओ), देहरादून के साथ काफी निकट संबंध बनाए रखता है। ड्रेड्जिंग, बर्थ निमार्ण एवं नौवहन सहायक उपकरणों को पुनर्स्थापित करने जैसे मानव निर्मित परिवर्तनों तथा गाद और समुद्र तल में परिवर्तन, दोनों की दृष्टि से नियमित अपडेट अनिवार्य हैं। अद्यतनित चार्टों से अपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए भी अत्यंत सहायक हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक चार्ट प्रदर्शन एवं जानकारी व्यवस्थाओं (ईसीडीआईएस) से युक्त वेसलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इनके लिए अद्यतन ईएनसी डेटा की आवश्यकता होती है। इस पद्धति के अनुसरण से पोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा मानकों के अनुरूपता सुनिश्चित की जा सकता है तथा आनेवाले सभी वेसलों के लिए नौवहन विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है।

15.4 पारंपरिक ज्वारीय डेटा प्रबंधन

भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून के साथ निकट स्तर से कार्य करने से ज्वारीय डेटा संग्रहण के लिए एक व्यवस्थित प्रोग्राम बनाए रखता है। देहरादून स्थित भारतीय सर्वेक्षण को उक्त प्रतिदिन स्तर पर अनुवीक्षिण किए गए ज्वारीय डेटा को प्रतिमाह स्तर पर अग्रेषित किया जाता है जो भारतीस ज्वार सारिणी में प्रकाशित पूर्वानुमानित ज्वारों को वार्षिक स्तर पर तैयार करने के लिए इस्तेमाल करता है। उक्त सारिणी, नौवहन, पोर्ट विकास एवं तटवर्ती सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। संग्रहीत ज्वारीय डेटा, पोर्ट के आंतरिक प्रचालन योजना तैयार करने तथा अन्य समुद्री क्रियाकलापों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

15.5 स्वचालित ज्वार गेज अनुवीक्षण

पोर्ट, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान जानकारी सेवा केन्द्र (आइएनसीओआइएस) के संयोजन में अपने स्वचालित ज्वार गेज व्यवस्था के प्रचालन के माध्यम से ज्वारीय डेटा के सतत और व्यवस्थित रिकार्डिंग एवं रखरखाव सुनिश्चित करता है। वास्तविक समय डेटा, आंतरिक योजना तैयार करने, नौवहन सुरक्षा, अवरसंरचनात्मक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है तथा यह जल सर्वेक्षण एवं अन्य समुद्री प्रचालनों को समर्थन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त ज्वारीय डेटा को राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सुरक्षा संबंधी उद्देश्य से प्रतिमाह स्तर पर भारतीय नौसेना, राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, देहरादून को अग्रेषित करता है।

स्वचालित ज्वार गेज अनुवीक्षण व्यवस्था

15.6 जीएनएसएस संस्थापन

उक्त पायलट परियोजना के एक भाग के रूप में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान जानकारी सेवा केन्द्र (आइएनसीओआइएस) द्वारा पोर्ट में एक वैश्विक नौवहन उपग्रह व्यवस्था (जीएनएसएस) संस्थापित की गई है। यह संस्थापन, जल सर्वेक्षण, ज्वारीय वीक्षण एवं पोजिशनिंग डेटा की शुद्धता एवं विश्वसनीयता को बढ़ाता है। सुरक्षित नौवहन, सक्षम पोर्ट प्रचालन, ड्रेड्जिंग क्रियाकलाप और अवरसंरचनात्मक विकास के लिए सटीक पोजिशनिंग अत्यंत अनिवार्य है। जीएनएसएस की सेट-अप, वास्तविक समय डेटा प्राप्ति को समर्थन देता है तथा पोर्ट में समुद्री एवं तटवर्ती डेटा प्रबंधन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करता है।

वैश्विक नौवहन उपग्रह व्यवस्था

15.7 रखरखाव ड्रेड्जिंग

पोर्ट ने सीबी1, सीबी2 एवं ईसीटीपीएल में बर्थों के साथवाली जगहों में शेड्यूल्ड गहराई बनाए रखते हुए नौवहन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रखरखाव ड्रेड्जिंग कार्य करता है। इन गहराइयों का अनुवीक्षण करने तथा

इनका वैधीकरण करने के लिए वर्षाकाल से पहले (मार्च/अप्रैल) और बाद (सितंबर/अक्तूबर) की अवधि में जल सर्वेक्षण बाथमेट्रिक सर्वेक्षण अर्द्ध वार्षिक स्तर पर किया जाता है।

15.8 भू-स्थानिक मानचित्रण

कामराजर पोर्ट के जलक्षेत्र और समुद्री क्षेत्राधिकार को सटीक रूप से परिभाषित और सीमांकित करने के लिए, भू-स्थानिक मानचित्रण किया गया है। यह सर्वेक्षण, पोर्ट की स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित करने, नियामक अनुपालन को बढ़ावा देने पोर्ट की योजना तैयार करने, विकास एवं संसाधन प्रबंधन में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिणामस्वरूप, प्राप्त अद्यतन पोर्ट सीमा रेखाचित्र, अवरसंरचना के विस्तार, समुद्री सुरक्षा तथा वैधानिक प्राधिकरणों के साथ समन्वय कार्य के लिए एक आधारभूत संदर्भ के रूप में कार्य करता है।

16.0 स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण

आपका पोर्ट, अपने कर्मचारियों एवं पणधारियों के लिए एक सकारात्मक सुरक्षा संस्कृति तथा सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा तथा पोर्ट संचालन को स्थिर रूप देने के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी पद्धतियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

आपका पोर्ट, कार्यस्थल में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामलों से संबंधित सभी लागू कानून और विनियमन की आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा कार्यस्थल पर इनका पालन करने हेतु सभी पणधारियों के लिए एक उदाहरण स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त, यह मान्यता है कि कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा एक साझा ज़िम्मेदारी है और सभी से अच्छी सुरक्षा प्रथाओं का पालन करने तथा उन्हें बढ़ावा देने की अपेक्षा की जाती है।

16.1 स्वास्थ्य

आपके पोर्ट ने 8 मार्च 2025 को मनाए जाने वाले महिला दिवस के अवसर पर, तिरुवल्लूर जिले की राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) समन्वयक डॉ. पुनीता द्वारा महिला कर्मचारियों और स्वयं सहायता समूह की महिला कार्यकर्ताओं के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पैदा करने हेतु एक स्वास्थ्य सत्र का आयोजन किया है।

आपके पोर्ट ने किसी भी चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति से निपटने के लिए एक व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र (ओएचसी) स्थापित किया है, जिसमें 24x7 प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ और सभी कार्य दिवसों में सामान्य पाली में एक चिकित्सक मौजूद है। इसके अतिरिक्त, आपके पोर्ट में कर्मचारियों एवं अन्य पणधारियों की किसी भी प्राथमिक चिकित्सा संबंधी आवश्यकता पूरा करने के लिए 24x7 एक एम्बुलेंस भी उपलब्ध है।

16.2 सुरक्षा

आपके पोर्ट ने वर्ष 2024-25 (टर्मिनल प्रचालकों को छोड़कर) की अवधि में प्रचालनों में शून्य घातक घटना एवं शून्य खोया समय घटना प्राप्त किया है।

आपका पोर्ट, कार्यस्थल में वांछित प्रचालनात्मक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवधिक प्रशिक्षण एवं ड्रिलों के आयोजन द्वारा सुरक्षा शैली को प्रोत्साहित करता है। आपके पोर्ट ने स्वस्थ कार्य वातावरण के लिए सुरक्षा के अनुपालन के महत्व और उसकी आवश्यकता की दिशा में कर्मचारियों, पणधारियों तथा पोर्ट उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह एवं रोड सुरक्षा सप्ताह आयोजित करता है।

आपके पोर्ट ने पोर्ट उपयोगकर्ताओं के लिए अग्निशमन पर आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है, केपीएल और बीओटी संचालकों के लिए मॉक ड्रिल आयोजित आयोजित किया है। साथ ही आपके पोर्ट ने ऑयल एवं गैस तथा ताप विद्युत संयंत्र क्षेत्रों में निकटवर्ती उद्योगों के साथ पारस्परिक सहायता अभ्यासों में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

आपके पोर्ट में किसी भी अप्रत्याशित आपात स्थिति के दौरान प्रभावी प्रतिक्रिया और कार्रवाई के लिए एक स्वीकृत आपदा प्रबंधन योजना और संकट प्रबंधन योजना अपनाई जाती है। आपका पोर्ट, पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों से सज्ज है जिनका रखरखाव मानकों के अनुसार किया जाता है। आपके पोर्ट में कर्मचारी एवं पणधारी व्यक्तिगत सुरक्षा का पालन करते हैं तथा आपात स्थितियों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के महत्व को समझते हैं।

आपका पोर्ट, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) की सहायता से गैर-ज्वलनशील उत्पादों को संभालने वाले बर्थ/टर्मिनलों/भंडारण सुविधाओं का सुरक्षा परीक्षण और अनुवर्ती ऑडिट करता है।

साथ ही, आपका पोर्ट, निकटवर्ती चूकों/घटनाओं/दुर्घटनाओं का विश्लेषण करते हुए अच्छी पद्धतियों को सुनिश्चित करता है तथा जोखिम कम करने हेतु कार्यस्थल पर सुरक्षा संस्कृति बढ़ाने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई के रूप में प्राप्त किए गए सबक लागू करता है।

आपके पोर्ट में राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना (एनओएस-डीसीपी) के दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप टियर I – ऑयल रिसाव रेसपॉन्स उपकरणों से सज्ज है। पोर्ट ने राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना (एनओएस-डीसीपी) दिशानिर्देशों के अनुसार आईएमओ स्तर I, II और III में प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा किया है।

16.3 पर्यावरण

आपका पोर्ट, लागू पर्यावरण नियमों का अनुपालन किया जाता है तथा एमओईएफसीसी, सीपीसीबी एवं टीएनपीसीबी को पोर्ट परियोजनाओं से संबंधित भिन्न पर्यावरण अनापत्तियों में निर्धारित शर्तों के अंतर्गत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

एमएआरपीओएल के विनियमनों के अनुपालन के एक भाग के रूप में आपके पोर्ट ने एमएआरपीओएल के अंतर्गत अनुबंध I, II, IV, V & VI के अंतर्गत प्राप्ति सुविधाओं को स्थापित किया है। साथ ही, पोर्ट ने जहाजों द्वारा पैदा किए जानेवाले ऑयली अपशिष्टों के संग्रहण एवं निपटान हेतु तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित के आठ रीसाइक्लरर्स को मनोनीत किया है।

आपका पोर्ट, जोखिम अपशिष्टों के पैदा होने, संग्रहण और निपटान के लिए प्राधिकृत है। साथ ही, आपका पोर्ट पूर्व वर्ष में संभाले गए जोखिम अपशिष्टों की मात्रा के लिए जोखिम एवं अन्य अपशिष्टों (सीमा पार और प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करता है।

आपका पोर्ट, चक्रीय अर्थव्यवस्था के सृजन में दिलचस्पी रखता है तथा दीर्घकालिक पोर्ट प्रचालनों के लिए घटाना, पुनरुपयोग एवं पुनश्चक्रण (आरआरआर) सिद्धांत का अनुपालन करता है। आपके पोर्ट ने पोर्ट परिसरों में एकल उपयोग प्लास्टिकों के उपयोग का निषेध किया है तथा जहाजों और पोर्ट में विभिन्न स्थानों से संगृहीत अन्य ठोस व्यर्थ पदार्थों को भिन्न भिन्न वर्गों में पृथक किया जाता है तथा उन्हें प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा अनुमोदति पुनश्चक्रण उद्योगों में आगे के लाभदायक उपयोग के लिए भेजा जाता है।

आपके पोर्ट ने अपने परिसरों में कार्बनिक अपशिष्ट परिवर्तक संस्थापित किया है जो पोर्ट और जहाजों से पैदा होनेवाले कार्बनिक / खाद्य पदार्थ अपशिष्टों का उपचार किया जाता है और उसे हरित बेल्ट में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

आपका पोर्ट, सतत रूप से एक सौहार्दपूर्ण एवं हरित पोर्ट के रूप में बने रहने के लिए सतत प्रयास करता रहता है। पोर्ट ने वायु की गुणवत्ता, वातावरणिक ध्वनि स्तर, समुद्री जल गुणवत्ता, सतही जल गुणवत्ता, भू-तल जल गुणवत्ता तथा एसटीपी आऊटलेट जल गुणवत्ता जैसे विभिन्न पर्यावरणीय प्राचलों के सैम्पलिंग और परीक्षण हेतु एक एनएबीएल प्रत्यायित एवं एमओईएफ तथा सीसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, मेसर्स नित्या प्रयोगशाला को नियुक्त किया है।

आपका पोर्ट यह सुनिश्चित करता है कि बीओटी प्रचालक पोर्ट के अंदर भी अपने संबद्ध टर्मिनलों में पर्यावरण का अनुवीक्षण कर रहे हैं। राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को नियमित रूप से पर्यावरण गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाते हैं। वायु गुणवत्ता स्तरों के साथ सभी पर्यावरणीय प्राचलों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर ही बनाए रखा जा रहा है।

आपके पोर्ट ने मुख्य द्वार, सिग्नल स्टेशन तथा सामान्य कार्गो बर्थ क्षेत्रों में तीन सतत वातावरणिक वायु गुणवत्ता स्टेशन स्टेशन संस्थापित किया है तथा उक्त स्टेशनों से प्राप्त डेटा को वास्तविक समय अनुवीक्षण के लिए सीपीसीबी एवं टीपीसीबी के सर्वरों से सिंक्रोनाइज़ किया गया है।

आपके पोर्ट ने वर्तमान मौजूदा 9.6 एमटीपीए से 11 एमटीपीए तक की दूरी में बढ़ती कोयले मांग पूरा करने के लिए एन्नोर कोयला टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड में कोयला संभालने की क्षमता में वृद्धि करने हेतु पर्यावरणीय एवं सीआरज़ेड अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।

आपके पोर्ट ने ऐन्नोर बल्क टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड में अतिरिक्त वस्तुओं को संभालने के लिए कार्गो प्रोफाइल में परिवर्तन करने के लिए पर्यावरणीय एवं सीआरज़ेड अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है जिससे हमें बेहतर सर्विस सुविधा और प्रचालनात्मक क्षमता मिलती है।

आपके पोर्ट ने मौजूदा परिचालन समुद्री तरल टर्मिनल की क्षमता को 3 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 6 मिलियन टन प्रति वर्ष करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संदर्भ की शर्तें प्राप्त की थीं।

आपके पोर्ट ने बीओटी प्राचलकों के साथ 1.320MW के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (सौर ऊर्जा) संस्थापित किया है तथा उक्त नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से उसके कैप्टिव उपभोग से 50% प्राप्त करता है।

आपके पोर्ट और बीओटी प्रचालकों ने अपने अपने परिसरों में 113केएलडी क्षमता युक्त सीवर उपचार संयंत्रों को संस्थापित किया है। आपका पोर्ट शून्य द्रव उत्सर्जन (ज़ेडएलडी) एवं पुनश्चक्रित जल के पुनरुपयोग

सिद्धांत में दिलचस्पी रखता है।

जहाज से पैदा होनेवाले उत्सर्जन स्तरों में कमी लाने के एक भाग के रूप में आपका पोर्ट, पहले से ही पोर्ट क्राफ्टों को निष्क्रिय अवस्था में तटीय विद्युत आपूर्ति प्रदान कर रहा है, जिससे उत्सर्जन में कमी हो रही है। आपके पोर्ट ने कोल बर्थ 1 एवं 2 में तट पवर आपूर्ति सुविधा के संस्थापन कार्य को पूर्ण किया है और अब उसका कमिशन किया जाना है। आपके पोर्ट ने कार्गो संभालने के उपकरण का 80% को इलेक्ट्रीकृत किया है जिससे काफी हद तक उत्सर्जनों को कम किया जा रहा है।

आपके पोर्ट ने कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए पोर्ट के क्षेत्रों में 6 ई-वाहनों को लागू किया है। उक्त नियोजित ई-वाहनों को कार्मिकशक्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि के परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त कंटेयनर टर्मिनलों में प्रयुक्त 24 आइटीवीयों का पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीकृत किया गया है। साथ ही पोर्ट ने अपने परिसरों में पत्तन, पोत पत्तन एवं जलमार्ग मंत्रालय के लक्ष्यों के अनुरूप 5 ई-चार्जिंग स्टेशनों का विकास किया है

आपके पोर्ट ने पवर उपभोग कम करने के लिए सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायेन्सों को उच्च दरित अप्लायेन्सों के साथ प्रतिस्थापित किया है।

आपके पोर्ट ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के माध्यम से बीओटी टर्मिनलों सहित अपने सभी प्रचालनात्मक क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय एवं जल परीक्षण किया है।

आपके पोर्ट ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है। इस समारोह के एक भाग के रूप में कई जागरूकता क्रियाकलाप आयोजित किए गए। साथ ही आपके पोर्ट ने विभिन्न पणधारियों के साथ में दो लेन के कंक्रीट रोड के दोनों तरफ वृक्षारोपण कार्य किया है।

17.0 कार्यस्थल में महिलाओं के उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन तथा महिला सशक्तीकरण

कंपनी में कार्यस्थलों में महिलाओं को यौन उत्पीड़न के प्रति सुरक्षा प्रदान करने तथा शिकायतों के निपटान के लिए कार्यस्थल में महिलाओं के उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रावधानों को कार्यान्वित किया है। समीक्षाधी वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अत: नब्बे दिनों से अधिक अवधि के लिए कोई भी शिकायत का निवारण नहीं किया गया है / लंबित नहीं हैं।

कंपनी ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का भी अनुपालन किया है तथा अर्हक कर्मचारियों को सांविधिक योग्यताओं को सुनिश्चित किया है।

कंपनी के रोल में 31 मार्च 2025 तक कुल 18 महिला कर्मचारी हैं जिनमें से कर्मचारी संवर्ग में 3% हैं तथा अधिकारी संवर्ग में 16% हैं। वर्ष में 50वें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सुअवसर पर अपनी महिला कर्मचारियों के सम्मान में महिला सशक्तीकरण के लिए विस्तृत प्रयासों के साथ सप्ताह अवधि के कार्यक्रम आयोजित किए गए।

18.0 कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

आपकी कंपनी, एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में सीएसआर नीति एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। सीएसआर वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआ समिति, सीएसआर नीति एवं वर्षभर में किए गए प्रयासों से संबंधित वांछित प्रकटन संलग्नक – I के रूप में सम्मिलित किया गया है तथा यह बोर्ड रिपोर्ट का एक भाग है।

19.0 सार्वजनिक क्रय नीति

सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सार्वजनिक क्रय नीति को अधिसूचित किया है। आपकी कंपनी ने सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यमों (अनुसूचित जाति/जनजाति के स्वामित्व एमएसई सहित एवं महिला उद्यमियों) से 26.87% के वार्षिक मूल्य के वस्तुओं का क्रय एवं सेवाओं को प्राप्त किया है।

20.0 खतरा प्रबंधन नीति

आपकी कंपनी ने प्रबंधकों को संभाव्य खतरे एवं मौकों की पहचान करने, मूल्यांकित करने तथा सूचित निर्णय लेने में खतरा प्रबंधन नीति को अपनाया है। खतरा प्रबंधन नीति के कुछ उद्देश्यों का फेमवर्क निम्नानुसार है :

- ➢ बाधाओं की पहचान करने और उन्हें प्रबंधित करने में एक केंद्रित दृष्टिकोण, जिससे संगठन के बेहतर निष्पादन में मदद मिल सके।
- ➢ पूरे संगठन में एक संरचित खतरा प्रबंधन प्रयास शुरु करने के लिए संगठन के उद्देश्यों पर पड़नेवाले प्रतिकूल प्रभाव युक्त संभाव्य खतरों की पहचान करने तथा आवंटित विशिष्ट जिम्मेदारियों से युक्त उनके निवारण के लिए योजना
- ➢ कार्यनीति युक्त निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार
- ➢ व्यावसायिक कार्य-निष्पादन में सुधार
- ➢ प्रचालन संबंधी चौकन्ना करनेवाले तथा हानियों को कम करना
- ➢ पूंजी के नियोजन में सुधार
- ➢ उत्कृष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेन्स के घटकों के रूप में समेकित खतरा प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करना .

खतरों की पहचान की जाती है, उन्हें मूल्यांकित किया जाता है तथा समय समय पर उनका अनुवीक्षण किया जाता है।

21.0 व्हिसल ब्लोअर नीति

आपकी कंपनी ने कर्मचारियों के लिए एक "व्हिसल ब्लोअर नीति" लागू की है ताकि वे प्रबंधन को व्यावसायिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाते हुए अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना दे सकें। वर्ष की अवधि में इस नीति के दायरे में आने वाली कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। व्हिसल ब्लोअर नीति आपकी कंपनी की वेबसाइट http://www.kamarajarport.in/upload/uploadfiles/files/blower.pdf में उपलब्ध किया गया है।

22.0 नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति

में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण निदेशकों की नियुक्ति, निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों सहित अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर एक नीति तैयार की है। नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति वेबलिंक https://kamarajarport.in/upload/uploadfiles/files/Nomination_ RemunerationPolicy.pdf में उपलब्ध किया गया है।

23.0 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन कर रही है तथा उसने आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुपालन की देखभाल के लिए एक सार्वजनिक सूचना अधिकारी तथा अपील प्राधिकारी को नामित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के अनुसार प्रदान की जाने वाली आवश्यक जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.kamarajarport.in में उपलब्ध की गई है। वर्ष के दौरान प्राप्त 42 आवेदन तथा एक अपील का निपटान निर्धारित समय के अंदर किया गया।

24.0 सूचना प्रौद्योगिकी

आपकी कंपनी तकनीकी अपनाने में अग्रणी है, व्यावसायिक प्रक्रिया दक्षता बढ़ाने तथा उत्कृष्ट मूल्य प्रदान करने के लिए डिजिटल उपकरणों का लाभ उठा रही है। भारत सरकार की डिजिटल परिवर्तन पहलों के अनुरूप, आंतरिक संचालन सुव्यवस्थित करने तथा पणधारियों की सेवाओं में सुधार के लिए कई आईटी-संचालित परियोजनाएँ कार्यान्वित की गई हैं। वर्ष की अवधि में एसएपी प्रणालियों ने 99.5% से अधिक अपटाइम बनाए रखा, जिससे महत्वपूर्ण व्यावसायिक अनुप्रयोगों की उच्च उपलब्धता सुनिश्चित हुई।

आपकी कंपनी ने प्रचालन दक्षता को और बेहतर बनाने के लिए एसएपी-प्रमाणित नो कोड/लो कोड अप्लिकेशन डेवलपमेंट प्लेटफ़ॉर्म, मेंडिक्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाया है। इस प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हुए विकसित प्रमुख अप्लिकेशन निम्नानुसार हैं:

(i) पोर्ट प्रचालन सिस्टम (पीओएस)

यह, सभी समुद्री और कार्गो परिचालन गतिविधियों की योजना बनाने, अनुवीक्षण करने तथा प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किया गया एक आंतरिक अनुप्रयोग है। पीओएस को सागर सेतु (एनएलपी-एम) प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे शिपिंग एजेंटों, लाइनों तथा सीमा शुल्क दलालों जैसे बाहरी पणधारियों के साथ निर्बाध डेटा विनिमय संभव हो पाता है।

(ii) व्यवसाय इंटर्फेस पोर्टल (बीआइपी)

एक ग्राहक-उन्मुख पोर्टल है जो कर चालान, खाता सारांश, गेट-इन/गेट-आऊट आवेदन, सेवा फीडबैक आदि तक ऐक्सस प्रदान करता है।

(iii) अन्य अनुप्रयोग

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने मेंडिक्स प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हुए कई अन्य डिजिटल पहल शुरु किया है, जिनमें निम्नानुसार शामिल हैं:

बढ़ी हुई पारदर्शिता और हितधारकों की सुविधा के लिए सतर्कता शिकायत प्रबंधन प्रणाली, कंपनी के कर्मचारियों के लिए विस्तारित कर्मचारी स्व-सेवा (ईईएसएस) एप्लिकेशन, कैपेक्स परियोजना निगरानी तथा प्रगति प्रबंधन प्रणाली, पास जारी करने की प्रणाली एवं व्यापक उपयोगकर्ता ऐक्सस करने के लिए मोबाइल अप्लिकेशन।

भविष्य की ओर अग्रसर होते हुए आपकी कंपनी ने अगले वित्त वर्ष 25-26 में निम्नलिखित प्रमुख आईटी पहलों की योजना बनाई है:

24.1 वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रमुख आईटी पहल

(i) 'राइज़ विद एसएप' की ओर प्रवसन

एसएपी परिवेश का निजी क्लाऊड इन्फ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन। आपदा पुनर्प्राप्ति (डीआर) सेटअप पहले से ही प्रचालित है, तथा उत्पादन परिवेश को वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही तक पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है।

(ii) समेकित कमाण्ड एवं कंट्रोल केन्द्र (आइसीसीसी)

निम्नलिखित कवर करते हुए अनुवीक्षण एवं प्रबंधन हब :

वीडियो प्रबंधन – सीसीटीवी फीड

(ii) वीडियो विश्लेषक द्वारा सुरक्षा प्रबंधन
(iii) इलेक्ट्रिसिटी वितरण एवं स्मार्ट स्ट्रीट लाइटों का अनुवीक्षण
(iv) पेयजल वितरण का अनुवीक्षण
(v) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
(vi) पब्लिक अड्रेस सिस्टम
(vii) आपदा प्रबंधन एवं आपातकाल रेसपॉन्स
(viii) ज़ीआईएस में ड्रोन आधारित सर्वेक्षण एवं परिसंपत्तियों का मैपिंग

(ix) मौजूदा सिस्टमों का एकीकरण :

a. वातावरणिक वायु गुणवत्ता अनुवीक्षण स्टेशन
b. वेसल ट्रेफिक प्रबंधन सिस्टम (वीटीएमएस)
c. अनुमति एवं गेट व्यवस्था

आपकी कंपनी ने आईसीसीसी के विकास के लिए मेसर्स आईटीआई लिमिटेड (एक सीपीएसई) को ठेका प्रदान किया है, आईसीसीसी के वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है और इससे प्रशासनिक निरीक्षण, स्थितिजन्य जागरूकता और समग्र पोर्ट सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

25.0 राजभाषा का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रचार-प्रसार एवं कार्यान्वियन के लिए गहन प्रयास किया है।

- राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वियन समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में आयोजित की गई।
- सभी नियम/ विनियमन/ मैन्युअल / प्रपत्र द्विभाषी किए गए हैं।
- सभी रबड़ की मुहरें, साइन बोर्ड, सील, पत्रशीर्ष, नाम पट्ट, वाहनों पर कार्यालय विवरण, विजिटिंग कार्ड आदि द्विभाषी हैं।
- सभी संकल्पों को द्विभाषी रूप में दिया गया है।
- हिंदी के प्रगामी प्रयोग को सार्वजनिक स्तर पर प्रचार करने के लिए हर तिमाही हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- मंत्रालय के उप निदेशक (हिंदी) एवं वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने दिनांक 21.11.2024 को केपीएल में राजभाषा कार्यान्वयन कार्यों का निरीक्षण किया तथा कृत प्रयासों की सराहना की।

25.1 हिंदी पखवाड़ा समारोह

- पोर्ट ने 27 अगस्त 2024 से 9 सितंबर 2024 तक हिंदी दिवस को पखवाड़े के रूप में मनाया। हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में 27 अगस्त 2024 को चेन्नई पत्तन प्राधिकरण में कामराजर पोर्ट लिमिटेड एवं चेन्नई पत्तन प्राधिकरण द्वारा एक संयुक्त हिंदी कार्यशाला भी आयोजित की गई। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की प्रोफेसर श्रीमती संतोषी मुख्य अतिथि थीं। चेन्नई पत्तन प्राधिकरण के सचिव श्री इद्रनील हाजरा ने इसका उद्घाटन किया।

केपीएल एवं चेन्नई पत्तन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से हिंदी कार्यशाला आयोजित किया

9 सितंबर 2024 को "हिंदी दिवस" के आयोजन के साथ हिंदी पखवाड़ा संपन्न हुआ। गृह मंत्रालय के चेन्नई स्थित हिंदी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक, श्रीमती वी. रजनी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थीं।

श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस. ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हिन्दी इस देश की सबसे सरल एवं सुलभ भाषा तथा सम्पर्क भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी है।

कामराजर पोर्ट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक श्रीमती जे. पी. आइरीन सिंथिया, आई.ए.एस. ने अपने संबोधन में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्रीमती वी. रजनी ने सभी को हिंदी दिवस की बधाई दी और कहा कि हिंदी हमारी राजभाषा है और हमें इसे राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

27 अगस्त से 9 सितम्बर 2024 तक की अवधि में कर्मचारियों के लिए गायन, समाचार पत्र वाचन, हिंदी में एक मिनट का भाषण जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और हिंदी दिवस समारोह के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया।

गृह मंत्रालय के हिंदी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक, श्रीमती वी रजनी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि

26.0 वर्ष की अवधि में तथा रिपोर्ट की तिथि तक नियुक्त या इस्तीफा दे चुके/कार्यरत निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण

26.1 निदेशक

वर्ष की अवधि में सदस्यों ने निदेशकों की निम्नलिखित नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति को संस्वीकृति प्रदान की :

- श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव (डीआईएन: 02435597) के स्थान पर स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री आर.एम. नारायणन (डीआईएन: 02853368) की नियुक्ति, दिनांक 13.11.2024 से 3 वर्ष की अवधि तक के लिए।
- श्री सुनील पालीवाल, आईएएस (डीआईएन: 01310101) की नियुक्ति, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

26.2 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

➢ अधिनियम की धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार, श्रीमती जे.पी. आइरीन सिंथिया, आई.ए.एस., प्रबंध निदेशक, श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन, कंपनी सचिव और श्रीमती कविता सात्वी, मुख्य वित्तीय अधिकारी 31 मार्च 2025 तक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक हैं।

➢ श्रीमती कविता सात्वी को चिकित्सा आधार पर अनुपस्थिति के कारण, निदेशक मंडल द्वारा श्री सी.एस. वेमन्ना को 26.05.2025 से 8.6.2025 की अवधि तक के लिए मुख्य वित्तीय अधिकारी (प्रभारी) नियुक्त किया गया। श्रीमती कविता सात्वी को 09 जून 2025 से मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में पुन: नियुक्त किया गया।

➢ कंपनी सचिव, श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त हो गई और इस तिथि से कंपनी की कंपनी सचिव नहीं रहीं। निदेशक मंडल ने 26 मई 2025 को आयोजित बैठक में श्रीमती आर. रूपा को उनकी कार्यभार ग्रहण की तिथि से कंपनी सचिव नियुक्त किया। श्रीमती आर. रूपा ने 7 जुलाई 2025 की दोपहर से कंपनी सचिव का कार्यभार ग्रहण किया।

26.3 रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होनेवाले निदेशक :

➢ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के अनुसार, श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस., (डीआईएन: 01310101) आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं और पात्र होने के कारण, वे पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। उनका संक्षिप्त बायोडाटा अन्य आवश्यकताओं सहित 25वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न है।

26.4 बोर्ड/ समिति की बैठकों के विवरण एवं गठन

➢ बोर्ड को बोर्ड स्तरीय समितियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। कंपनी सचिव सभी बोर्ड स्तरीय समितियों के सचिव के रूप में कार्य करता है। बोर्ड/समिति की बैठकों और उनकी संरचना का विवरण कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। समितियों की सभी सिफारिशों को बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

26.5 वार्षिक मूल्यांकन

➢ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के अनुसार, निदेशकों द्वारा व्यक्तिगत निदेशकों, समग्र रूप से बोर्ड के कार्य-निष्पादन एवं इसकी समितियों का वार्षिक मूल्यांकन किया गया, जिसमें सभी निदेशकों को प्रतिभागिता सूतर, पर्याप्त समय समर्पण जैसे विभिन्न मापदण्ड प्रश्नावली के आधार पर मूल्यांकित किया गया।

27.0 स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

➢ आपकी कंपनी ने वर्ष की अवधि में कंपनी के प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त की जिसमें यह पुष्टि की गई है कि वे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियम 2015 के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदण्डों को पूरा करते हैं।

28.0 सतर्कता

➢ चेन्नई पत्तन प्राधिकरण के मुख्य सतर्कता अधिकारी, श्री एस. मुरली कृष्णन, आईडीएएस, ने दिनांक 25.04.2022 से कामराजर पोर्ट लिमिटेड के सीवीओ का अतिरिक्त प्रभार का कार्यभार संभाला। योजना विभाग के एक प्रबंधक उक्त सीवीओ की सहायता करते हैं।

➢ कंपनी का सतर्कता विभाग, अन्य विभागों द्वारा निष्पादित कार्य ठेकों से संबंधित दस्तावेज़ों की जांच करते हैं। उनमें निहित प्रक्रियागत चूक, निविदा मानदण्डों से विचलन तथा ठेका कार्यों में कमियों की पहचान करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई एवं व्यवस्था में सुधार के लिए संबंधित विभागों को सूचित किया जाता है। उपयुक्त मामलों में धन की वसूली की भी सलाह दी जाती है।

➢ सीवीसी के दिशानिर्देशों/ अधिसूचनाओं को विभागों में परिचालित किया जाता है। सतर्कता विभाग में केपीएल के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अचल संपत्ति विपवरणिकाओं की जांच की जाती है। यदि कोई असामान्यताएं देखी जाती हैं तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगी जाती है। सतर्कता विभाग में परीक्षण रिपोर्टों का अध्ययन किया जाता है तथा विभागों को सलाह दी जाती है कि वे जहां भी आवश्यक हो वहां सुधारात्मक कार्रवाई करें।

➢ मई 2024 की अवधि में सतर्कता संबंधी शिकायतों से निपटने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल (सीएमपी) लॉन्च किया गया है।

28.1 सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2024

कामराजर पोर्ट लिमिटेड में 28 अक्तूबर 2024 से 3 नवंबर 2024 की अवधि में ''राष्ट्रीय समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति'' विषय पर सतर्कता जागरूकता दिवस मनाया गया।

उक्त जागरूकता सप्ताह समारोह के अंतर्गत कॉलेज एवं स्कूल के विद्यार्थियों, कर्मचारियों के लिए कई कार्यशालाएं, वॉकथॉन, प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, समापन समारोह में विशिष्ट अतिथि भाषण आयोजित किया गया तथा अन्य सतर्कता क्रियाकलाप आयोजित किए गए। कंपनी में दिनांक 21.10.2024 को दक्षिण रेलवे से सेवानिवृत्त श्री वी. सुब्रह्मण्यम, प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक (सेवानिवृत्त) ने सतर्कता पर

आयोजित कार्यशाला में अनुशासनात्मक कार्रवाई विषय पर कुछ गहन विषय प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।

स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए सतर्कता शपथ

पोर्ट कर्मचारियों के लिए चेन्नई पत्तन कार्यालय में नैतिक मूल्य एवं प्रशासन , सांइबर स्वच्छता एवं सुरक्षा, क्रय एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024

28.2 सत्यनिष्ठा संधि का अनुपालन

केंद्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता प्रशासन एवं अधीक्षण के एक अंग के रूप में, सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेन-देन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, समानता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देता रहा है। सार्वजनिक खरीद केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए चिंता का एक प्रमुख विषय है तथा उचित व्यवस्थाएँ स्थापित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

आयोग ने सत्यनिष्ठा संधि अपनाने की संस्तुति दी है तथा सरकारी संगठनों में प्रमुख क्रय के संबंध में इसके कार्यान्वयन हेतु आधारभूत दिशानिर्देश प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन हेतु स्वतंत्र बाह्य निरीक्षकों (आईईएम) की नियुक्ति की संस्तुति दी है तथा संगठनों को ठेका/क्रय के लिए एक सीमा मूल्य निर्धारित करने की भी सलाह दी है जिन्हें सत्यनिष्ठा संधि के अंतर्गत लाया जाना है।

केपीएल बोर्ड ने दिनांक 21.02.2015 को आयोजित बोर्ड बैठक में सतर्कता विभाग के सत्यनिष्ठा संधि के प्रस्ताव को संस्वीकृति प्रदान की है। सत्यनिष्ठा समझौते के अंतर्गत ठेके/क्रय के लिए न्यूनतम मूल्य रु.1 करोड़ और उससे अधिक मूल्य तक निर्धारित किया है। सीवीसी ने दिनांक 25.06.2024 को केपीएल में सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित दो नए आईईएम नियुक्त किया है।

1. श्री जतिन्दर सिंह, आईएएस (सेवानिवृत्त)

2. श्री मुव्वाला कोण्डला राव, आइएफओएस (सेवानिवृत्त)

सत्यनिष्ठा संधि में निविदा आमंत्रण सूचना (एनआइटी) से लेकर ठेके की समाप्ति तक सभी चरणों को कवर किया गया है। सभी विभागों को रु.1 करोड़ की अधिकतम सीमा मूल्य के वर्क्स/क्रय के निविदा दस्तावेज़ों में सत्यनिष्ठा संधि सम्मिलित करने की सलाह दी गई।

28.3 आईईएम की पुनरीक्षण बैठक :

सीवीसी के एसओपी के अनुसार हर तिमाही केपीएल के पणधारियों को आमंत्रित करते हुए पुनरीक्षण बैठकें आयोजित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में क्रमश: दिनांक 12.06.2024, 25.09.2024 एवं 03.01.2025 3 आईईएम पुनरीक्षण की बैठकें आयोजित की गई। बैठक में आईईएम द्वारा ठेकेदार/ विक्रेता/ परामर्शदाता द्वारा उठाए गए मामलों में से आईईएम के कार्यक्षेत्र में निहित मामलों के लिए समाधान किया जाता है।

29.0 कंपनियों के नाम जो वर्ष की अवधि में सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां बन गईं या नहीं रहीं

वर्ष की अवधि में कोई भी कंपनी, उसकी सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां नहीं बनी अथवा न ही नहीं रहीं।

30.0 निदेशक का उत्तरदायित्व कथन

आपके निदेशक का कहना है कि :-

(a) वार्षिक लेखा तैयार करते समय सामग्री निकास से संबंधित विषयों के लिए उचित स्पष्टीकरणों के साथ लागू लेखांकन मानकों को अपनाया गया है ;

(b) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है जिन्हें सुसंगत रूप से लागू करते हुए ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

(c) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने

के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती;

(d) निदेशकों ने चालू व्यवसाय के आधार पर वार्षिक खाते तैयार किया;

(e) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किया तथा यह सुनिश्चित किया कि उक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी थे।

(f) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों को तैयार किया और यह सुनिश्चित किया कि वे पर्याप्त एवं प्रभावी थे।

31.0 कंपनी अधिनियम की धारा 197 और कंपनियों की आवश्यकताएं (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसार प्रकटीकरण।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अनुसार अपेक्षित विवरण, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित, बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा है और इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है।

32.0 लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ने 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लेखा पुस्तकों का लेखापरीक्षण करने के लिए मेसर्स जसमिंदर सिंह एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

32.1 सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट

मेसर्स जसमिंदर सिंह एण्ड असोसियेट्स, सनदी लेखाकार के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के लेखाओं पर एक अप्रयोग रिपोर्ट प्रदान किया है। लेखापरीक्षक रिपोर्ट में संदर्भित वित्तीय विवरणिका पर मामले एवं टिप्पण पर उल्लिखित रिपोर्ट स्वत: स्पष्ट हैं तथा उनपर आगे की टिप्पणी आवश्यक नहीं है।

33.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा का पुनरीक्षण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां तथा प्रबंधन के उत्तर बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्नित हैं और ये इस रिपोर्ट के एक भाग हैं।

33.0 सचिवीय परीक्षण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आपकी कंपनी के सचिवीय परीक्षण कराने के लिए व्यावसायिक कंपनी सचिव, मेसर्स एस. धनपाल एण्ड असोसियेट्स को कार्य सौंपा गया। सचिवीय परीक्षकों ने अप्रयोग रिपोर्ट प्रदान किया है तका तथा उक्त रिपोर्ट को संलग्नक-III के रूप में सलग्न किया गया है।

34.0 विनियामक या न्यायालय द्वारा पारित महत्वपूर्ण एवं सूचक आदेश

विनियामक, न्यायालय या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण एवं सूचक आदेश पारित नहीं किए गए जो कंपनी की चालू स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करे।

35.0 वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) एवं धारा 134(3)(ए) के अनुसार वार्षिक रिटर्न निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध किया गया है: http://www.kamarajarport.in/content/innerpage/annual-return.php

36.0 डिबेन्चर ट्रस्टी

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 की अवधि में जारी कर-मुक्त बॉण्ड के लिए क्रमश: मेसर्स एसबीआईकैप ट्रस्टीज़ कंपनी लिमिटेड और मेसर्स कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड (पूर्व में जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड के नाम से प्रचलित) को डिबेंचर ट्रस्टी नियुक्त किया गया। डिबेंचर ट्रस्टियों के संपर्क विवरण निम्नानुसार हैं :-

डिबेन्चर ट्रस्टी	
एसबीआईकैप ट्रस्टीज़ कंपनी लिमिटेड, मिस्त्री भवन, चतुर्थ तल, 122, दिनशॉ वाच्चा रोड, चर्चगेट, मुम्बई – 400 020. दूरभाष : 022 – 43025555 फैक्स : 022 - 43025500	कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड, जीडीए हाऊस, प्लॉट नंबर 85, भूसरी कॉलोनी (दायां), पौड़ रोड, कोतरूड, पुणे – 411 038 दूरभाष : 020 – 66807200

37.0 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश, विदेशी मुद्रा आय और व्यय रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधानों के अनुसार

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित जानकारी इस रिपोर्ट के संलग्नक-IV के रूप में संलग्न किया गया है।.

38.0 कॉर्पोरेट प्रशासन

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर एक स्वैच्छिक सूतर पर जारी रिपोर्ट इसके साथ संलग्नक-V के रूप में संलग्न किया गया है।

38.1 सचिवीय मानक

आपकी कंपनी ने निदेशक मंड्ल की बैठकों में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक (एसएस-1) और सामान्य बैठकों के सचिवीय मानकों (एसएस-2) का अनुपालन किया है।

39.0 लागत रिकार्ड

केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत कंपनी के लिए लागत अभिलेखों के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है।

40.0 अभिस्वीकृति

आपके निदेशकगण, भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय तथा चेन्नई पत्तन प्राधिकरण से प्राप्त सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं तथा टीएनजीपीसीएल/टीएनईबी, एनटीईसीएल, आईओसीएल, टीएनपीसीबी, तमिलनाडु सरकार तथा भारत सरकार को, विशेष रूप से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय रेलवे/दक्षिणी रेलवे और भारतीय पत्तन संघ से प्राप्त सहयोग की सराहना करते हैं।

आपके निदेशकगण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक तथा सचिवीय लेखा परीक्षक से प्राप्त निरंतर समर्थन एवं सहयोग के लिए कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। अंत में, आपके निदेशकगण, पत्तन उपयोगकर्ता, बीओटी रियायतग्राही, ठेकेदार और बैंकरों को उनके निरंतर समर्थन और सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं तथा वर्ष के दौरान कंपनी के सभी कर्मचारियों द्वारा किए गए निरंतर उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हैं।

निदेशक बोर्ड के लिए तथा उनकी तरफ से
कामराजर पोर्ट लिमिटेड
ह/-
सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.,
अध्यक्ष
(डीआईएन: 01310101)

स्थान : चेन्नई
दिनांक: 13.08.2025

संलग्नक-I

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन

[कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 135 ('अधिनियम') एवं तद्तंर्गत निर्मित नियमावली के अनुसार]

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा :

केपीएल निरंतर रूप से कॉर्पोरेट मामला मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सीएसआर नियमों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135; कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के प्रावधानों के अनुरूप पारिस्थितिकी के मुद्दों पर समझौता किए बिना, समाज/समुदाय के मूलभूत ढांचे/जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए गए पहल का समर्थन करते हुए समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। सामाजिक रूप से उत्तरदायी निगम पत्तन के रूप में कंपनी प्रयास करती है

केपीएन, सामाजिक तौर पर जिम्मेदार कॉर्पोरेट पोर्ट, निम्नंकित के लिए सतत प्रयास करता है -

- सामाजिक एवं पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाली वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना तथा उनका लाभ उठाना।
- राष्ट्रीय विकास अजेंडा में शामिल सीएसआर नियमों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नीति निर्देशों के अनुरूप पर सुरक्षित पेयजल, विशेष रूप से लड़कियों के लिए शौचालयों का प्रावधान, स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा आदि जैसी सीएसआर परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार क्रियाकलापों का प्रारंभ तथा जिसका वंचितों, वंचितों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना ही मुख्य उद्देश्य है।

2. सीएसआर समिति का गठन (31.03.2025 तक)

क्रम सं	निदेशक का नाम एवं पदनाम	निदेशक कार्यक्षेत्र की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1	श्री सुनील पालीवाल	अध्यक्ष केपीएल एवं सीएसआर समिति का अध्यक्ष	4	4
2	श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्थिया	प्रबंध निदेशक, केपीएल तथा सीएसआर समिति का सदस्य	4	4
3	श्री एस. विश्वनाथन	नामिती निदेशक एवं सीएसआर समिति का सदस्य	4	4
4	श्री आर. एम. नारायणन	गैर कार्यालयी स्वतंत्र निदेशक एवं सीएसआर समिति का सदस्य	2	2
5	कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	गैर कार्यालयी स्वतंत्र निदेशक एवं सीएसआर समिति का सदस्य	4	4
6	श्री वी. एम. वी. सुब्बा राव*	गैर कार्यालयी स्वतंत्र निदेशक एवं सीएसआर समिति का सदस्य	2	2

* श्री वी. एम. वी. सुब्बा राव दिनांक 05.11.2024 से प्रभावी समिति के सदस्य नहीं रहे तथा उनके स्थान पर दिनांक 13.11.2024 से प्रभावी श्री आर. एम. नारायणन को सदस्य के रूप में नामित किया गया।

3. बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति के गठन, सीएसआर नीति एवं सीएसआर परियोजनाओं को कंपनी वेबसाइट में प्रकट किया हो तो विवरण दें, वेबलिंक निम्नानुसार है:

सीएसआर समिति के गठन का लिंक : http://www.kamarajarport.in/content/innerpage/board-level-committee.php

सीएसआर नीति का लिंक : https://kamarajarport.in/upload/uploadfiles/files/csr_Policy_Revised_26072021.pdf

सीएसआर परियोजना लिंक : http://www.kamarajarport.in/content/innerpage/corporate-social-responsibility-csr.php

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन वेब-लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें, यदि लागू हो तो: लागू नहीं है

5 (a) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसरण में कंपनी का निवल लाभ: ₹.62752.11 लाख

(b) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसरण में कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत : ₹.1255.05 लाख

(c) पूर्व वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाएं या कार्यक्रम या क्रियाकलापों से अधिशेष : कोई नहीं

(d) वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ करने के लिए आवश्यक रकम, यदि कोई हो तो : कोई नहीं

(e) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर उत्तरदायित्व [(b)+(c)-(d)] : ₹.12,55,04,208/-

6 (a) सीएसआर परियोजनाओं पर व्ययित रकम (दोनों चालू परियोजना एवं चालू परियोजना से अन्य): ₹. 7,43,87,168.00/- (आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी को छोड़कर)

(b) व्ययित प्रशासनिक उपरि की रकम : कोई नहीं

(c) प्रभाव मूल्यांकन पर व्ययित रकम, यदि कोई हो तो : ₹.1,24,254/ -

(d) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर उत्तरदायित्व [(a)+(b)+(c)] : ₹.7,45,11,422/-
(आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी को छोड़कर)

(e) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित अथवा अव्ययित रकम :

वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित कुल रकम (रुपयों में)	अव्ययित रकम (रुपयों में)				
	धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसरण में अव्ययित सीएसआर लेखा को हस्तांतरित रकम		धारा 135 की उप-धारा (5) के द्वितीय प्रावधान के अनुसरण में शेड्यूल VII के अंतर्गत निर्धारित किसी भी निधि में हस्तांतरित रकम		
	रकम (रुपयों में)	हस्तांतरण की तिथि	निधि का नाम	रकम (रुपयों में)	हस्तांतरण की तिथि
₹.7,45,11,422/-	₹.5,09,92,786/-	30.04.2025	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(f) सेट-ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो तो :

अव्ययित रकम (रुपयों में)	अव्ययित रकम (रुपयों में)	अव्ययित रकम (रुपयों में)
(1)	**(2)**	**(3)**
(i)	धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसरण में आपकी कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	₹.12,55,04,208/-
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित कुल रकम	₹.7,45,11,422/-
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित अतिकिरक्त रकम [(ii)-(i)]	0
(iv)	पूर्व वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रम या क्रियाकलापों से होनेवाला अधिशेष, यदि कोई हो	0
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन हेतु उपलब्ध रकम [(iii)-(iv)]	0

7. पूर्व तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के विवरण :

1	2	3	4	5		6	7	8
क्र सं	पूर्व वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसरण में अव्ययित सीएसआर लेखा में हस्तांतरित रकम (रुपयों में)	धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसरण में अव्ययित सीएसआर लेखा में हस्तांतरित शेष रकम (रुपयों में)	वित्तीय वर्ष में व्ययित रकम (रुपयों में) (रुपयों में)	धारा 135 की उप-धारा (5) के द्वितीय प्रावधान के अनुसरण में शेड्यूल VII के अंतर्गत निर्धारित किसी भी निधि में हस्तांतरित रकम, यदि कोई हो तो		आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन हेतु उपलब्ध रकम (रुपयों में)	अभाव यदि कोई हो तो
1	वित्तीय वर्ष 2021 – 22	1,49,70,952/-	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0
2	वित्तीय वर्ष -2022– 23	3,88,19,827/-	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0
3	वित्तीय वर्ष -2023 – 24	5,10,79,560/-	5,10,79,560/-	4,76,96,860/-	लागू नहीं	लागू नहीं	33,82,700/-	

8. क्या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई है वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि : नहीं

यदि हां तो, सृजित/प्राप्त की पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें : लागू नहीं

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से सृजित या अर्जित ऐसी परिसंपत्तियों से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें। वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि: लागू

क्र सं	*संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित*	*संपत्ति या परिसंपत्ति (यों) का पिनकोड*	*सृजन की तिथि*	*व्ययित सीएसआर रकम की राशि*	*पंजीकृत स्वामि के अस्तित्व / प्राधिकरण/ हिताधिकारी के विवरण*		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					सीएसआर पंजीकरण की संख्या, यदि लागू हो तो	नाम	पंजीकृत पता
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

9. यदि कंपनी ने धारा 135 की उप-धारा (5) के अंतर्गत औसत निवल लाभ में से दो प्रतिशत का व्यय नहीं कर पाया हो तो कारण बताएं :

लागू नहीं, क्योंकि पैसे को चालू परियोजनाओं के लिए सीएसआर खाते में अव्ययित रकम को हस्तांतरित किया जा चुका है.

ह/- श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया आई.ए.एस (प्रबंध निदेशक)	ह/- श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस. (अध्यक्ष, सीएसआर समिति)

संलग्नक -II

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अंतर्गत जानकारी

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित

1. वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कर्मचारियों के औसत पारिश्रमिक से प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का अनुपात:टिप्पण देखें।
2. वित्तीय वर्ष में प्रत्येक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कंपनी सचिव या प्रबंधक, यदि कोई हों, तो उनके पारिश्रमिक में वृद्धि का प्रतिशत .

वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
1	श्री सुनील पालीवाल – अध्यक्ष	टिप्पण देखें #
2	श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया – प्रबंध निदेशक	44.73%*
2	श्रीमती कविता सात्वी, सीएफओ	-0.40%
3	श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन, सीएस	2.90%

3. वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों के माध्य पारिश्रमिक में वृद्धि का प्रतिशत

माध्य पारिश्रमिक	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	प्रतिशत
	15357837	1364422.63	10.2%

4. कंपनी के रोल में स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या :

31 मार्च 2025 तक कंपनी के रोल में स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 92 है।

5. पिछले वित्तीय वर्ष में प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा अन्य कर्मचारियों के वेतन में पहले से की गई औसत प्रतिशत वृद्धि तथा प्रबंधकीय पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि के साथ इसकी तुलना एवं इसके औचित्य के साथ यह बताएं कि क्या प्रबंधकीय पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए कोई असाधारण परिस्थितियां थीं।

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों सहित पारिश्रमिक में औसत प्रतिशत वृद्धि (5)-(10)% के बीच रही है। कंपनी की नीति के अनुसार, कंपनी के कर्मचारियों के मूल वेतन में 3%वार्षिक वृद्धि की जाती है। महंगाई भत्ते में सरकारी नियमों के अनुसार वृद्धि की जाती है। इसके अतिरिक्त, संबंधित वर्ष के दौरान कंपनी में उनके कार्य के निष्पादन आधार पर लागू नियमानुसार कार्य-निष्पादन संबंधी भुगतान किया जाता है।

6. पुष्टि की जाती है कि पारिश्रमिक कंपनी की पारिश्रमिक नीति के अनुसार है।

कंपनी के सभी कर्मचारियों का पारिश्रमिक कंपनी की पारिश्रमिक नीति के अनुसार है।

7. कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं भर्ती) नियम 2014 के नियम 5(2) के तहत वर्ष 2024-25 के लिए अपेक्षित विवरण।

कोई भी कर्मचारी निर्धारित सीमा से अधिक रकम अर्जित नहीं कर सकता।

टिप्पण : # श्री सुनील पालीवाल द्वारा चेन्नई पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद, उन्हें दिनांक 10.11.2021 से कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, अत: अनुपात/प्रतिशत निर्धारित नहीं किया जा सकता।

* चूँकि प्रबंध निदेशक ने दिनांक 21.08.2023 को ही कार्यभार ग्रहण किया, पिछले वर्ष वेतन का केवल एक भाग ही प्राप्त हुआ।
अत: प्रतिशत में अंतर है।

31.03.2025 तक की अवधि में आहरित पारिश्रमिक के संदर्भ में शीर्ष दस कर्मचारी

क्र सं	नाम व पद	पारिश्रमिक* प्राप्त	योग्यता व अनुभव	नियोजन के प्रारंभ की तिथि	आयु	अंतिम पदस्थापन
1.	श्री जी एम बालन, महाप्रबंधक (समुद्री सेवाएं)	47,90,395/-	बी. एससी भौतिकी एवं स्नातकोत्तर – एफजी विभिन्न पदों में 29 वर्षों का अनुभव	16-08-2013	52	एलपी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया प्रबंध निदेशक	44,34,838/-	एमबीए (वित्त) विभिन्न पदों में 17 वर्ष का अनुभव	21-08-2023	42	अखिल भारतीय सेवा
3.	श्री सी. एस. वेमन्ना, उप महानिदेशक (वित्त)	44,09,587/-	बी.कॉम, एआइसीडबल्यूए, मात्स्यकी प्रौद्योगिकी एवं नौवहन अभियांत्रिकी में डिप्लोमा विभिन्न पदों में 33 वर्षों का अनुभव	05-03-2012	57	आइओसीएल
4.	श्री एस.पी. देसिकामणि मुख्य प्रबंधक (डॉक मास्टर)	42,49,295/-	बीई (सिविल) एवं एमई प्रबंधन, विभिन्न पदों पर 35 वर्षों का अनुभव	27.04.2018	54	मेकन लिमिटेड
5.	सुब्रह्मण्यम मागेस्वरन मुख्य प्रबंधक (डॉक मास्टर)	40,18,048/-	एफजी में स्नातकोत्तर 19 वर्ष का अनुभव	02-05-2018	54	वल्लभ शिप मैनेजमेण्ट
6.	श्री ए. करुप्पैय्या उप महाप्रबंधक (सिविल)	38,83,058/-	बी. ई. (सिविल) एवं एम.टेक (समुद्री अभियांत्रिकी) 27 वर्ष का अनुभव	01-02-2007	58	चेन्नई पत्तन प्राधिकरण
7.	श्री निर्भीक सिंह पुआर वरिष्ठ प्रबंधक (पायलट)	38,12,541/-	एफजी में स्नातकोत्तर 21 वर्ष का अनुभव	01-08-2018	50	हापाग लॉयिड प्राइवेट लिमिटेड
8.	श्री यतिन किशोरभाई पटेल, महाप्रबंधक (सीएस&बीडी)	37,28,048/-	बी.एससी (रसायन) व्यवसाय विकास एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में 24 वर्ष का अनुभव	07-08-2023	48	तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम
9.	श्री सी उमा शंकर उप महाप्रबंधक (समुद्री सेवाएं)	37,08,148/-	बी.ई (मेकेनिकल) / एफजी में स्नातकोत्तर 32 वर्ष का अनुभव	02-05-2018	57	डीपी वर्ल्ड चेन्नई कंटेयनर टर्मिनल
10	श्री पी. ओम प्रगाश मुख्य प्रबंधक (ट्रेफिक)	36,46,652/-	बी.कॉम, एमबीए पीजीडीएम (पीएम) 30 वर्ष का अनुभव	25-02-2002	52	केन्द्र सरकार, पोत पत्तन मंत्रालय

संलग्नक-III

सुइट नंबर 103, प्रथम तल, कावेरी कॉम्प्लेक्स नंबर 96/104,
नुंगमबाक्कम हाई रोड (नाबार्ड और आईसीआईसीआई बैंक के बगल में), नुंगमबाक्कम, चेन्नै - 600034
फोन नंबर 044-45530256, 4553 0257/4265 2127
ई-मेल: csdhanapal@gmail.com वेबसाइट: www.csdhanapal.com

एस. धनपाल एंड एसोसिएट्स एलएलपी
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव

एलएलपीआईएन एसीबी – 0368

(एलएलपी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत सीमित देयता के साथ पंजीकृत)

नामित भागीदार:

एस. धनपाल, बी.कॉम., बी.ए.बी.एल., एफ.सी.एस.

एन. रामनाथन, बी.कॉम., एफ.सी.एस.

प्रपत्र संख्या एमआर-3
सचिवीय परीक्षण रिपोर्ट
31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के क्रम में]

सेवा में,
सदस्य,
कामराजर पोर्ट लिमिटेड

हमने मेसर्स कामराजर पोर्ट लिमिटेड (जिसे आगे कंपनी कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में तथा अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन के लिए सचिवीय लेखा-परीक्षण किया है। सचिवीय लेखा-परीक्षण हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के आधार पर इस प्रकार किया गया है जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उन पर अपने मत/समझ व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्राप्त हुआ है।

कंपनी की पुस्तकें, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म तथा रिटर्न एवं कंपनी द्वारा बनाए गए और हमें उपलब्ध किए गए अन्य अभिलेखों और सचिवीय परीक्षण के दौरान कंपनी, एवं उसके अधिकारी, एजेन्ट तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी एवं हमारे सत्यापन के आधार पर, हम उन अभिलेखों तथा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे मत एवं समझ में कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष कवर करने वाले परीक्षण अवधि में यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा हमारी सीमित समीक्षा में भी कंपनी में उचित और आवश्यक बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र अपनाए जाते हैं, जो इस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं।

हमने, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए तथा हमें उपलब्ध किए गए बहीखाते, कागजात, मिनट बुक, दाखिल फॉर्म और रिटर्न तथा अन्य रिकॉर्ड की जांच निम्नलिखित लागू प्रावधानों के अनुसार की है :

i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत निर्धारित नियम, जैसा लागू हो;

ii) प्रतिभूति ठेका (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा उसके अंतर्गत निर्धारित नियम;

iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 तथा उसके अंतर्गत निर्धारित विनियम और उपनियम;

iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत निर्धारित नियम और विनियम, लागू सीमा तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी।

v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश, जो वर्ष के दौरान लागू होंगे:-

ए) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

बी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;

सी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम तथा प्रकटीकरण जारी आवश्यकताएं) विनियम, 2018;

डी) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;

इ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021;

एफ) कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम

रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 1993;

जी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021;

एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018

vi) पोर्ट प्रबंधन से संबंधित अधिनियम, नियम और विनियम, जैसा कि प्रबंधन द्वारा पहचाना गया है और हमें सूचित किया गया है

हमने निम्नलिखित लागू खण्डों के अनुपालन की भी जांच की है:

i) निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) सामान्य सभा की बैठकों (एसएस-2) के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक, और

ii) कंपनी द्वारा बीएसई लिमिटेड तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के साथ किया गया सूचीकरण समझौता

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक आदि के लागू प्रावधानों का अपेक्षित सीमा तक अनुपालन किया है।

हमें सूचित किया जाता है कि कंपनी ने जहाँ भी आवश्यक हो, वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों एवं कंपनी पर लागू विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को प्राप्त पत्रों/सूचनाओं के समाधान हेतु उपाय शुरु किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, उपरोक्त के अधीन, संबंधित दस्तावेज जो हमें प्राप्त किए गए, वे दर्शाते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशक, गैर-कार्यकारी निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है तथा समीक्षाधीन अवधि में निदेशक मंडल के गठन में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में किए गए।

बोर्ड की बैठकों की समय-सारणी बनाने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पण कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं तथा बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर आगे की जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक प्रतिभागिता के लिए एक प्रणाली हवद्यमान है।

बहुमत से लिए गए निर्णय द्वारा लागू किया जाता है, जबकि असहमत सदस्यों के विचार, यदि कोई हों, तो उन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि सहयोगी कंपनी, मेसर्स कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड (केकेपीएल) के खातों को कंपनी के खातों के साथ समेकित नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी का केकेपीएल प्रबंधन पर नियंत्रण नहीं है, अत: इसके वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखांकन मानक -110 - समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार समेकित करने की आवश्यकता नहीं है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि हमारी सीमित समीक्षा के आधार पर, कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र, कंपनी में लागू कानून, नियम, विनियम और दिशानिर्देश के अनुपालन का अनुवीक्षण सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की साइज़ और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी ने वार्षिक सामान्य में किसी विशेष कार्य के लिए अपने सदस्यों का अनुमोदन नहीं लिया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि हमारा परीक्षण केवल उन प्रणालियों और

प्रक्रियाओं की पर्याप्तता की पुष्टि करने के लिए किया गया जो कंपनी द्वारा उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाए जाते हैं तथा हम कंपनी की ओर से इन अनुपालनों में किसी भी प्रकार के चूक के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं। प्रबंधन द्वारा पहचान किए गए पोर्ट प्रबंधन से संबंधित अन्य परीक्षण/समीक्षा और अधिनियम, नियम और विनियम के अधीन लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन की हमारे द्वारा स्वतंत्र रूप से समीक्षा नहीं की गई है तथा इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हमें उपलब्ध किए गए लेखा-परीक्षण/अनुपालन रिपोर्टों पर भरोसा किया गया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि हमने इस रिपोर्ट जारी करने के लिए कंपनी के अनुरोध पर तथा प्रदत्त सुविधानुसार ऑनलाइन वैधीकरण तथा रिकार्डों की जांच द्वारा सचिवीय परीक्षण किया है।

एस धनपाल एण्ड असोसियेट्स एलएलपी के लिए
कार्यशील कंपनी सचिव)
(फर्म पंजीकरण सं. एल2023टीएन014200)
एलएलपीआईएन: एसीबी 0368

ह/-
रामनाथन नाचियप्पन
(नामित साझेदार)
एफसीएस. 6665
सीपी संख्या. 11084
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या.1107/2021
यूडीआइएन: F006665G000988701

स्थानः : चेन्नई
दिनांक: 13.8.2025

(इस रिपोर्ट को हमारी उसी तारीख की गवाही के साथ पढ़ा जाए जो अनुलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

सेवा में
सदस्य,
कामराजर पोर्ट लिमिटेड
चेन्नई

संलग्नक A

परीक्षकों की जिम्मेदारी

परीक्षण के आधार पर, कंपनी द्वारा लागू कानूनों के अनुपालन और अभिलेखों के रखरखाव पर अपनी राय व्यक्त करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ("आईसीएसआई") द्वारा निर्धारित परीक्षण मानक, सीएसएएस 1 से सीएसएएस 4 ("सीएसएएस") के अनुसरण में अपना परीक्षण किया है। इन मानकों के अनुसार परीक्षक को वैधानिक और विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा तथा लागू कानूनों के अनुपालन और अभिलेखों के रखरखाव के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए परीक्षण योजना बनानी होगी तथा उसे कार्यान्वित करना होगा।

आंतरिक, वित्तीय तथा प्रचालन नियंत्रणों सहित लेखापरीक्षण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, एक अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ गलतबयानी या भौतिक गैर-अनुपालन का पता न चल पाए, भले ही परीक्षण सीएसएएस के अनुसार उचित रूप से नियोजित और निष्पादित की गई हो। हमारी सम तिथि की रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए।

1. सचिवीयअभिलेखोंकारखरखावकंपनीकेप्रबंधनकीज़िम्मेदारीहै।हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने परीक्षण के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपना मत व्यक्त करें।

2. हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासनप्राप्तकरनेकेलिएउपयुक्तपरीक्षणपद्धतियोंऔरप्रक्रियाओंकापालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य दर्शाए गए हैं, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ एवं पद्धतियाँ हमारे मत के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों, वित्तीय विवरणों एवं लेखा पुस्तकों की शुद्धता एवं उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है, जिसके लिए हमने सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

4. जहां भी आवश्यक हुआ, हमने कानून, नियम और विनियम के अनुपालन तथा घटित घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेटऔरअन्यलागू कानून, नियम, विनियम, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी जाँच परीक्षण का आधार प्रक्रियाओं को सत्यापित करने तक सीमित था।

6. सचिवीयपरीक्षणरिपोर्टनतोकंपनीकीभावीव्यवहार्यताकेबारेमेंआश्वासन देता है, नही उस प्रभावात्मकता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

एस धनपाल एण्ड असोसियेट्स एलएलपी के लिए
(कार्यशील कंपनी सचिव)
(फर्म पंजीकरण सं. एल2023टीएन014200)
एलएलपीआईएन: एसीबी 0368
ह/-
रामनाथन
नाचियप्पन
(नामित साझेदार)
एफसीएस. 6665, सीपी संख्या. 11084
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या.1107/2021
यूडीआइएन: F006665G000988701

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 13.8.2025

संलग्नक IV

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के अंतर्गत सूचना परीक्षकों की जिम्मेदारी

A) ऊर्जा संरक्षण :

(i) ऊर्जा संरक्षण की दिशा में उठाए गए कदम अथवा उसका प्रभाव :

(ए) विद्युत ऊर्जा के प्रभावी उपयोग हेतु मेसर्स ग्रीनसर्व एनर्जी ने ऊर्जा परीक्षण किया तथा जून-2020 की अवधि में परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किया गया। परीक्षक ने निम्नलिखित ऊर्जा संरक्षण उपायों की संस्तुति दी है :

- जवाहर भवन के पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय की दूसरे एवं तीसरे तल पर फॉल्स सीलिंग के अंदर एयर कंडीशनर डक्ट में लीकेज को रोकना।
- शौचालय एवं बोर्ड रूम में ऑक्यूपेन्सी सेंसर तथा चेयरमैन कॉरिडोर एवं अन्य पैदल मार्गों में मोशन सेंसर लगाना, ताकि प्रकाश व्यवस्था प्रचालन के प्रभाव में सुधार हो सके।
- सिग्नल स्टेशन में अतिरिक्त 40 किलोवाट के नए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना तथा मौजूदा भंड़ारण प्रणाली का नवीनीकरण
- वितरण हानि कम करने में सहायता के लिए सिग्नल स्टेशन के पास नया सबस्टेशन स्थापित करना

(बी) प्रदत्त संस्तुतियों पर कृत कार्रवाई निम्नानुसार है :

- सितंबर 2020 की अवधि में पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय में जवाहर भवन के द्वितीय एवं तृतीय तल में झूठी छत के अंदर एयर कंडीशनर डक्ट लीकेज को रोका गया।
- अक्टूबर - 2022 की अवधि में सिग्नल स्टेशन पर स्थापित 20 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र की मौजूदा भंड़ारण प्रणाली का ₹.5,90,360/- की लागत से नवीनीकरण किया गया।
- सिग्नल स्टेशन के पास 11केवी/433वी सबस्टेशन संस्थापित किया गया है तथा मार्च 2025 की अवधि में ₹.3.97 करोड़ की लागत पर उसे प्रचालित किया गया है।
- प्रकाश प्रचालन प्रभावात्मकता में सुधार के लिए शौचालय और बोर्ड रूम में अधिभोग सेंसर और चेयरमैन कॉरिडोर और अन्य पैदल मार्गों के मार्ग में मोशन सेंसर की स्थापना पर कार्यान्वयन के लिए विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे कार्यान्वयन लागत की तुलना में ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा का संरक्षण नहीं होगा।
- विद्युत ऊर्जा के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मेसर्स ईईएस ऑडिट मैनेजमेंट्स, कोयंबटूर ने अप्रैल 2025 की अवधि में ऊर्जा परीक्षण किया तथा अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

प्रभाव

- कार्बन फुटप्रिंट कम करना
- उपभोगता बिलों को काफी हद तक कम करना
- पर्यावरण की सुरक्षा करना
- ऊर्जा सक्षमता
- जीवाश्म ईंधनों के अस्तित्व में वृद्धि करना
- वितरण हानियों को कम करना

(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग हेतु कंपनी द्वारा उठाए गए कदम :

वर्ष 2024-2025 की अवधि में डीजल जनरेटर के माध्यम से उत्पादित लगभग 37800 किलोवाट घंटा (यूनिट) बिजली तथा सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पादित लगभग 3,99,918 किलोवाट घंटा (यूनिट) बिजली का उपयोग किया गया।.

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत निवेश :

सिग्नल स्टेशन के पास नए सबस्टेशन के संस्थापन हेतु ₹.3.97 करोड़

B) प्रौद्योगिकी समावेश :

(i) प्रौद्योगिकी समावेश की दिशा में किए गए गए :

(a) एसएपी ईआरपी व्यवस्था

बजट, लेखा एवं वित्त, मानव संसाधन एवं वेतन, सामग्री प्रबंधन, परियोजना प्रणालियाँ आदि जैसे विभिन्न कार्य क्षेत्रों को कवर करने वाली एसएपी एस S/4 एचएएनए 1610 ईआरपी प्रणाली को नवंबर 2017 के दौरान सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया और तत्पश्चात वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान इसेएसएपी एस S/4 एचएएनए 2020 में अपग्रेड किया गया। आपकी कंपनी एसएपी राइज़ क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म अपनाकर एसएपी ईआरपी प्रणाली को क्लाउड पर स्थानांतरित करने के लिए भी कदम उठा रही है।

(b) मेण्डिक्स प्लेटफॉर्म

आपकी कंपनी ने वेब और मोबाइल एप्लिकेशन के विकास के लिए एसएपी प्रमाणित नो कोड/लो कोड अप्लिकेशन डेवलपमेंट प्लेटफ़ॉर्म (मेण्डिक्स) को भी सफलतापूर्वक लागू किया है। पीओएमएस, बीआईपी, विजिलेंस ऑनलाइन शिकायत पोर्टल आदि जैसे विभिन्न अप्लिकेशनों को सफलतापूर्वक विकसित और कार्यान्वित किया है।

इन समग्र प्रयासों से न केवल आईटी उपयोग में एवं समग्र उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है, अपितु ग्राहक सेवाओं, सेवा स्तर प्रतिबद्धताओं, इष्टतम स्तर पर संसाधनों के उपयोग आदि में भी वृद्धि हुई है।

(ii) प्राप्त लाभ

मानव संसाधन/पेरोल, वित्त एवं लेखा, क्रय एवं अनुबंध और परियोजना प्रणाली (डब्ल्यूबीएस), कर्मचारी अनुरोध/दावा और ऋण प्रक्रियाओं की व्यावसायिक प्रक्रियाएं और कार्यात्मकताएं कर्मचारी स्व-सेवा (ईएसएस) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर दी गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप लेनदेन दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि हुई है, जिससे लागत में कमी आई है।

iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित)

ए) आयातित प्रौद्योगिकी के विवरण : लागू नहीं

बी) आयात का वर्ष : लागू नहीं

सी) क्या उस प्रौद्योगिकी को पूर्ण रूप से अपनाया गया है : लागू नहीं

डी) यदि उसे पूर्ण रूप से नहीं अपनाया गया है, तो उन क्षेत्रों का विवरण प्रदान करें जिनका नहीं हो सका और उसके कारण : लागू नहीं

(iv) अनुसंधान एवं विकास में किया गया व्यय : कोई नहीं

सी) <u>विदेशी मुद्रा विनिमय से अर्जन एवं व्यय :</u>

विदेशी मुद्रा विनिमय से कोई अर्जन नहीं है तथा विदेशी मुद्रा विनिमय से ₹ .5.70 लाख का व्यय हुआ है।

स्थान : चेन्नई
दिनांक :13.08.2025

निदेशक बोर्ड के लिए तथा बोर्ड की तरफ से
कामराजर पोर्ट लिमिटेड

ह/-
सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.,
अध्यक्ष
(डीआईएन : 01310101)

संलग्नक– V

कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट

1.0 प्रशासन के कोड पर कंपनी की धारणा पर संक्षिप्त कथन

आपकी कंपनी का मानना है कि कॉर्पोरेट प्रशासन का अभ्यास से ही एक मज़बूत कंपनी सृथापित किया जा सकता है। अत: कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट स्वेच्छा से प्रदान किया जा रहा है। आपकी कंपनी की व्यावसायिक रणनीतियाँ आपूर्तिकार, उपभोक्ता, कर्मचारी, निवेशक, नियामक एवं समग्र समुदाय सहित सभी संबंधित पक्षों के लिए नैतिक संचालन और निष्पक्षता की गारंटी देती हैं। अपने लक्ष्य प्राप्त करते की दिशा में आपकी कंपनी पणधारियों के हितों को ध्यान में रखती है।

2.0 निदेशक के बोर्ड

2.1 31.03.2025 तक निदेशक बोर्ड का गठन एवं वर्ग

क्रम सं	नाम	वर्ग
1	श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस	अध्यक्ष
2	श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया, आई.ए.एस	प्रबंधन निदेशक
3	श्री एस. विश्वनाथन, आई.ए.एस	नामिती निदेशक
4	कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	सृवतंत्र निदेशक
5	श्रीमती सरला बालगोपालन आई.आर.टी.एस (सेवानिवृत्त)	सृवतंत्र निदेशक
6	श्री आर. एम. नारायणन, एफसीए, पीजीडीएम	सृवतंत्र निदेशक

वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक निदेशक मंडल की संरचना और श्रेणी :

क्रम सं	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	प्रतिशत	समाप्ति की तिथि
1	श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस	अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी)	10.11.2021	सेवा जारी
2	श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया, आई. ए. एस*	प्रबंध निदेशक	21.08.2023	सेवा जारी
3	श्री एस. विश्वनाथन, आई. ए. एस*	नामिती निदेशक	27.04.2023	सेवा जारी
4	श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव, एफसीए, डीआइएसए (आइसीएआइ)	सृवतंत्र निदेशक	06.11.2022 (द्वितीय कार्यावधि)	05.11.2024
5	कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	सृवतंत्र निदेशक	10.11.2023 (द्वितीय कार्यावधि)	सेवा जारी
6	श्रीमती सरला बालगोपालन आई.आर.टी.एस (सेवानिवृत्त)	सृवतंत्र निदेशक	10.11.2023 (द्वितीय कार्यावधि)	सेवा जारी
7	श्री आर. एम. नारायणन, एफसीए, पीजीडीएम	सृवतंत्र निदेशक	13.11.2024	सेवा जारी

* श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया, आई.ए.एस, श्री एस. विश्वनाथन, आई.ए.एस की पत्नी हैं।

2.2 बैठकों की तिथियों के साथ आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या :

वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में बोर्ड की 09 (नौ) बैठकें क्रमश:	22.05.2024, 11.07.2024, 12.08.2024, 30.09.2024, 23.10.2024, 13.11.2024, 30.12.2024, 10.02.2025, 27.03.2025 को आयोजित की गई।

2.3 वर्ष के दौरान बैठकें तथा उनमें उपस्थिति

कंपनी/समिति को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/विवरण के अनुसार सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (केपीएल सहित) की लेखापरीक्षण समिति (एसी) तथा पणधारी संबंध समिति (एसआरसी) की अध्यक्षता/सदस्यता के साथ प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति नीचे दी गई है :

निदेशक का नाम	निदेशक का पदनाम	संबंधित निदेशक की कार्यावधि में द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या	बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या	पिछले वार्षिक सामान्य सभा की उपस्थिति	31 मार्च 2025 तक अन्य संगठनों/ कंपनियों में निदेशक पद कार्यभार	सभी कंपनियों में समितियों की संख्या	
						31 मार्च 2025 तक सदस्यता	31 मार्च 2025 तक अध्यक्ष
श्री सुनील पालीवाल	अध्यक्ष	09	09	हां	2	एसी – केपीएल एसआरसी – केपीएल एसी – एससीएल	कोई नहीं
श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया	प्रबंध निदेशक	09	09	हां	4	एसी – एससीएल एसआरसी – केपीएल	कोई नहीं
श्री एस. विश्वनाथन	नामिती निदेशक	09	07	हां	3	कोई नहीं	कोई नहीं
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	09	09	हां	1	एसी – एससीएल	कोई नहीं
श्रीमती सरला बालगोपाल	स्वतंत्र निदेशक	09	09	हां	कोई नहीं	एसी – एससीएल	एसआरसी – केपीएल
श्री आर. एम. नारायणन*	स्वतंत्र निदेशक	04	04	नहीं	1	कोई नहीं	एसी – एससीएल
श्री वी. एम. वी. सुब्बा राव *	स्वतंत्र निदेशक	05	05	हां	1	कोई नहीं	कोई नहीं

टिप्पण : केपीएल – कामराजर पोर्ट लिमिटेड, एससीएल – सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

* श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव की कार्यावधि दिनांक 05.11.2024 से समाप्त हो गई तथा उनके स्थान पर 13 नवंबर 2024 को आयोजित बोर्ड की बैठक में 13.11.2024 से प्रभावी तीन वर्ष की अवधि तक के लिए श्री आर. एम. नारायणन को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

3.0 लेखापरीक्षण समिति

लेखा परीक्षण समिति की भूमिका, कार्य-अवधि और संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार है। वित्त प्रमुख, आंतरिक लेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षक एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को लेखा परीक्षण समिति के सदस्यों के साथ बातचीत के लिए लेखा परीक्षण समिति की बैठकों में आमंत्रित किया गया जाता है। लेखा परीक्षण समिति के सदस्य वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, लेखा परीक्षण प्रक्रिया, कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं कानूनों एवं विनियमों के अनुपालन पर कड़ी निगरानी रखते हैं।

ए. लेखा परीक्षण समिति का गठन

कंपनी में दिनांक 31.03.2025 को निम्नांकित सदस्यों की लेखा परीक्षण समिति गठित की गई

श्री आर. एम. नारायणन - अध्यक्ष

श्री सुनील पालीवाल - सदस्य

श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया - सदस्य

कैप्टन अनूप कुमार शर्मा - सदस्य

श्रीमती सरला बालगोपाल - सदस्य

श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव के निदेशक के रूप में 5 नवंबर 2024 से प्रभावी कार्यकाल समाप्त होने के कारण श्रीमती सरला बालगोपाल ने 13 नवंबर 2024 को आयोजित लेखा परीक्षण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री आर.एम. नारायण को बोर्ड की दिनांक 13.11.2024 को आयोजित बैठक में स्वतंत्र निदेशक लेखा परीक्षण समिति के अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया।

बी. वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें एव उनमें उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में लेखा परीक्षण समिति की क्रमशः 22.05.2024, 11.07.2024, 12.08.2024, 13.11.2024, 10.02.2025 5 (पांच) बैठकें आयोजित की गई तथा सदस्यों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार है:

सदस्य	कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	सदस्यों की उपस्थिति	
		बैठकों की संख्या	%
श्री आर. एम. नारायणन	1	1	100
श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव	3	3	100
श्री सुनील पालीवाल	5	5	100
श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया	4	4	100
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	5	5	100
श्रीमती सरला बालगोपाल	5	5	100

4.0 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की भूमिका, संदर्भ की शर्तें और संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार हैं तथा समिति निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक एवं वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए बोर्ड को सिफारिश की जाती है।

ए. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन

31.03.2025 तक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सदस्यों के विवरण निम्नानुसार है :

कैप्टन अनूप कुमार शर्मा - अध्यक्ष

श्री सुनील पालीवाल - सदस्य

श्री एस. विश्वनाथन - सदस्य

श्रीमती सरला बालगोपाल - सदस्य

बी. वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें एव उनमें उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की क्रमशः 11.07.2024, 23.10.2024, एवं 13.11.2024 3 (तीन) बैठकें आयोजित की गई तथा सदस्यों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार है :

सदस्य	कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	सदस्यों की उपस्थिति	
		बैठकों की संख्या	%
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	3	3	100
श्री सुनील पालीवाल	3	3	100
श्री एस. विश्वनाथन	3	3	100
श्रीमती सरला बालगोपाल	3	3	100

सी. प्रकार्य निदेशकों द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक

वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए प्रकार्य निदेशकों को भुगतानित पारिश्रमिक के विवरण :

निदेशकों का नाम	वेतन तथा अन्य भत्ते (रुपयों में)	बोनस/ कमिशन/ पीआरपी (रुपयों में)	कुल (रुपयों में)
श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया	₹.35.85 लाख	₹.8.72 लाख	₹.44.57 लाख

5.0 पणधारी संबंध समिति

पणधारी संबंध समिति, बॉण्डधारकों की ब्याज न मिलने/बॉण्ड के हस्तांतरण/प्रेषण तथा अन्य विविध शिकायतों के निवारण पर विचार करती है। कंपनी सचिव, श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन, अनुपालन अधिकारी हैं। मेसर्स एमयूजीएफ इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड), मुंबई, कंपनी का रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट है तथा वे सभी निवेशक सेवा अनुरोधों पर ध्यान देते हैं। बॉण्डधारकों से प्राप्त शिकायतों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है तथा तुरंत निवारण कार्रवाई की जाती है।

ए. पणधारी संबंध समिति का गठन

31.03.2025 तक पणधारी संबंध समिति के सदस्यों के विवरण निम्नानुसार है:

श्रीमती सरला बालगोपाल - अध्यक्ष

श्री सुनील पालीवाल - सदस्य

श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया - सदस्य

बी. वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें एव उनमें उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में पणधारी संबंध समिति की क्रमशः 22.05.2024, 12.08.2024, 13.11.2024 और 10.02.2025 4 (चार) बैठकें बैठकें आयोजित की गई तथा सदस्यों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार है :

सदस्य	कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	सदस्यों की उपस्थिति	
		बैठकों की संख्या	%
श्रीमती सरला बालगोपाल	4	4	100
श्री सुनील पालीवाल	4	4	100
श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया	4	4	100

6.0 सीएसआर एवं दीर्घकालिक विकास पर बोर्ड स्तर की समिति

समिति की भूमिका, संदर्भ की शर्तें और संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार है।

ए. सीएसआर एवं दीर्घकालिक विकास पर बोर्ड स्तर की समिति का गठन

कंपनी की सीएसआर एवं दीर्घकालिक विकास पर बोर्ड स्तर की समिति दिनांक 31.03.2025 तक समिति के सदस्यों के विवरण निम्नानुसार है:

श्री सुनील पालीवाल - अध्यक्ष

श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया - सदस्य

श्री एस. विश्वनाथन - सदस्य

श्री आर. एम. नारायणन - सदस्य

कैप्टन अनूप कुमार शर्मा - सदस्य

श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव के निदेशक के रूप में 5 नवंबर 2024 से प्रभावी कार्यकाल समाप्त होने के कारण श्री दिनांक 13.11.2024 से प्रभावी आर.एम. नारायण को बोर्ड की आयोजित बैठक में शामिल किया गया।

बी. वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें एव उनमें उपस्थिति

पुनरीक्षण वर्ष 2024-25 की अवधि में कंपनी की सीएसआर एवं दीर्घकालिक विकास पर बोर्ड स्तर की समिति की क्रमशः 22.05.2024, 12.08.2024, 10.02.2025 और 27.03.2025 4 (चार) बैठकें आयोजित की गई तथा सदस्यों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार है :

सदस्य	उपस्थित होने के लिए अर्हक	सदस्यों की उपस्थिति	
		बैठकों की संख्या	%
श्री सुनील पालीवाल	4	4	100
श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया	4	4	100
श्री एस. विश्वनाथन	4	2	50
श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव	2	2	100
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	4	4	100
श्री आर. एम. नारायणन	2	2	100

7.0 स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठकें

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अनुसार कंपनी के गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों की बैठक 10 फरवरी, 2025 को आयोजित की गई जिसमें सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया। उक्त बैठक में उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार है :

सदस्य	उपस्थित होने के लिए अर्हक	सदस्यों की उपस्थिति	
		बैठकों की संख्या	%
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	1	1	100
श्रीमती सरला बालगोपाल	1	1	100
श्री आर. एम. नारायणन	1	1	100

8.0 सामान्य सभा की बैठक

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तिथि, समय और स्थान तथा उसमें पारित विशेष प्रस्ताव निम्नानुसार हैं:

वर्ष	तिथि	समय	स्थान	पारित विशिष्ट संकल्प
2023-24	30.09.2024	अपराह्न 3:00 बजे	दोतरफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ अन्य दृश्य-श्रव्य (ओएवीएम) के माध्यम से	कोई नहीं
2022-23	29.09.2023	अपराह्न 3:00 बजे	दोतरफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ अन्य दृश्य-श्रव्य (ओएवीएम) के माध्यम से	कोई नहीं
2021-22	28.09.2022	अपराह्न 3:00 बजे	दोतरफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ अन्य दृश्य-श्रव्य (ओएवीएम) के माध्यम से	कोई नहीं

9.0 प्रकटन

(i) संबंधित पक्ष लेनदेन, वार्षिक रिपोर्ट में 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोटों के नोट संख्या 30 (12) में निर्धारित किए गए हैं।

(ii) सांविधिक प्राधिकारियों ने भी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी अधिनियम/नियम के अंतर्गत कंपनी पर कोई सख्त आदेश पारित नहीं किया है या जुर्माना नहीं लगाया है।

(iii)आपकी कंपनी में व्हिसल ब्लोअर नीति है तथा कंपनी के किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षण समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

(iv)लेखा-बही में किसी भी ऐसे व्यय को डेबिट नहीं किया गया जो व्यवसाय के उद्देश्य से संबंधित न हो। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल तथा शीर्ष प्रबंधन के लिए कोई ऐसा व्यय नहीं किया गया जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो।

(v) कंपनी के किसी भी अंशकालिक निदेशक का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं है।

(vi)समीक्षाधीन वर्ष एवं पिछले वर्ष के प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय तथा वित्तीय व्यय के विवरणों को वार्षिक लेखों में उपलब्ध किया गया है।

10.0 आचार संहिता

कामराजर पोर्ट, अपने कर्मचारियों के आचरण के उच्च मानक स्थापित करने के निरंतर प्रयास के तहत, सभी बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए "व्यावसायिक आचरण तथा आचार संहिता" निर्धारित की गई है। सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कामराजर पोर्ट की "व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता" के अनुपालन की पुष्टि की है।

घोषणा

कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए 'व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता' के अनुपालन की पुष्टि की है।

निदेशक मंडल की ओर से

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

हस्ताक्षरकर्ता/-

(श्रीमती जे.पी. आइरीन सिंथिया, आई.ए.एस.)

चेन्नई **प्रबंध निदेशक**

20-05-2025 **(डीआईएन: 08839241)**

11.0 बोर्ड सदस्यों के लिए प्रशिक्षण

आपकी कंपनी ने व्यावसायिक आवश्यकताओं को बेहतर समझने तथा बढ़ावा देने के साथ-साथ व्यावसायिक, सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक वातावरण में जो काम किया जाता है, उसके प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए निदेशकों के प्रशिक्षण की नीति बनाई है।

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 13.08.2025

12.0 लागू कानूनों के अनुपालन का पुनरीक्षण

बोर्ड समय-समय पर कंपनी पर लागू सभी कानूनों की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करता है ताकि सभी लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

13.0 संचार का माध्यम

तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम तुरंत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किए जाते हैं, जहाँ कंपनी के कर-मुक्त बॉण्ड सूचीबद्ध होते हैं तथा बिजनेस स्टैंडर्ड के सभी संस्करणों में प्रकाशित होते हैं। ये परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.kamarajarport.in पर भी प्रस्तुत किए जाते हैं तथा डिबेंचर ट्रस्टियों को भी भेजा जाता है।

वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षित खाते, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, नकदी प्रवाह विवरण और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है, सदस्यों और अन्य पात्र व्यक्तियों को भेजी जाती है और कंपनी की वेबसाइट www.kamarajarport.in पर भी उपलब्ध किया गया है। सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार सभी घटनाएँ/ सूचनाएँ कंपनी की वेबसाइट पर प्रस्तुत किए जाते हैं।

वेबसाइट

कंपनी की वेबसाइट www.kamarajarport.in पर अलग से समर्पित अनुभाग 'निवेशक' है, जिसमें बांडधारकों के लिए जानकारी उपलब्ध है।

पत्राचार के लिए पता

बॉण्डधारक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जवाहर भवन, 17, राजाजी सलाई, चेन्नई - 600 001, द्वितीय तल (उत्तर विंग) एवं तृतीय तल स्थित पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को और इलेक्ट्रॉनिक रूप से cs@kplmail.in पर अपना पत्र भेज सकते हैं। निवेशक अपनी किसी भी शिकायत के निवारण के लिए MUGF इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड), रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट से भी संपर्क कर सकते हैं। उनके पते और संपर्क नंबर का विवरण इस प्रकार है:

पता	:	सी -101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विखोली (पश्चिम), मुम्बई - 400 083
दूरभाष	:	91-22-4918 6000/08108116767,
फैक्स	:	91-22-4918 6060
ईमेल	:	bonds.helpdesk@in.mpms.mufg.com

निदेशक बोर्ड के लिए तथा उनकी तरफ से
कामराजर पोर्ट लिमिटेड
ह/-
सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.,
अध्यक्ष
(डीआईएन : 01310101)

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा का कार्यालय, चेन्नई
भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग
139, महात्मा गांधी रोड, चेन्नई-600034

0ffice of the Principal Director of Commercial Audit, Chennai
Indian Audit and Accounts Department
Indian OiJ Bhavan, Level - 2,
139, Mahatma Gandhi Road, Chennai-600 034

सं: पीडीसीए/सीए-II/4-124/2025-26/294 दिनांक 28.07.2025

सेवा में

अध्यक्ष

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

नं.17, जवाहर बिल्डिंग, राजाजी सालै

चेन्नई – 600 001

महोदय,

विषय : 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरणिकाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

मुझे, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरणिकाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

कृपया अपनी कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन की दो (2) प्रतियों को इस कार्यालय में भेजने की व्यवस्था करें। कृपया वार्षिक सामान्य सभा आयोजित किए जाने की तारीख भी सूचित करें।

उक्त पत्र की पावती भेजें।

भवदीय

ह/-

(एस. वेल्लियंगिरि)

वाणिज्यिक लेखा-परीक्षण के प्रधान निदेशक

संलग्नक : लेखा-परीक्षण प्रमाण-पत्र

Tel: 044-28330147 Fax: 044-2833014 e-mail: pdcachennai@cag.gov.in

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय वविवरणकिाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143(6) (बी) के वित्तीय रिपोर्टिंग की निर्धारित रूपरेखा के अनुसरण में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी है कि वे अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसरण में धारा 143 के अंतर्गत स्वतंत्र लेखा-परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत अपना मत अभिव्यक्त करें। यह उनके द्वारा किया गया है जिसे उनके दिनांक 26.05.2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की तरफ से अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरणिकाओं का अनुपूरक लेखा-परीक्षण किया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागजातों तक पहुंचे बिना स्वतंत्र रूप से यह अनुपूरक लेखा-परीक्षण किया गया है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों की पूछताछ एवं कंपनी के कार्मिकों तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों के चयनित परीक्षण तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखा-परीक्षण के आधार पर मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहता हूं जो मेरे ध्यान में आए और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणिकाओं एवं संबंधित लेखा-परीक्षण रिपोर्ट को समझने के लिए आवश्यक हैं।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी :

टिप्पणी सं. 1

तुलन-पत्र

परिसंपत्तियां-गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार (टिप्पण4ए) : रु.1639.03 लाख

संचित मूल्यह्रास : रु.925.77 लाख

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (टिप्पण 9) : रु.442.82 लाख

परिसंपत्तियों का उपयोग करने के अधिकार भाग में चेन्नई पत्तन प्राधिकरण को किए गए रु.243.75 लाख के भुगतान को प्रतिदेय सुरक्षा जमा के रु.रु.214.97 लाख के उचित मूल्य को शामिल नहीं किया गया है, तदनुसार उक्त पर मूल्यह्रास भी लागू नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, कंपनी में अपनाई गई मूल्यह्रास पद्धति, मानक लेखांकन नीतियों (सीधी रेखा पद्धति) के अनुसरण में नहीं हैं।

उपर्युक्त गैर-अनुपालन से रु.214.97 लाख से परिसंपत्तियों के उपयोग करने के अधिकार का घोर अपकथन हुआ है, रु.173.79 लाख के संचित मूल्यह्रास की अतशयोक्ति तथा रु.193.24 लाख से अन्य वित्ती परिसंपत्तियों की अतिशयोक्ति तथा 195.52 लाख से अन्य ईक्विटी की न्यूनोक्ति हुई है।

टिप्पण सं. 2

अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां (टिप्पण 6) : रु.264.95 लाख

उपर्युक्त में पहले से ही भारतीय लेखांकन मानक 38 के प्रावधानों के विरुद्ध मूल्यह्रासित अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए रु.54.44 लाख के अवशिष्ट मूल्य सम्मिलित किया गया है। इससे अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों की अतिशयोक्ति एवं अन्य ईक्विटियों का रु.54.44 लाख से अतिशयोक्ति हुई है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए तथा की तरफ से

ह/-

(एस. वेल्लियनगिरि)
वाणिज्यिक लेखापरीक्षक के प्रधान निदेशक

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 28.07.2025

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं पर सीएजी द्वारा कृत टिप्पणियों का प्रबंध की तरफ से उत्तर

सी एण्ड ए जी लेखापरीक्षण टिप्पणी	प्रबंधन का जवाब
1. संपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार : ₹.1639.03 लाख, संचित मूल्यह्रास : ₹.925.77 लाख एमडी अन्य वित्तीय संपत्तियां:₹.442.82 लाख।	तथ्यों की पुष्टि हुई। जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया है, आवश्यक सुधार प्रविष्टियाँ वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुसार पारित की जाएँगी।
चेन्नई पत्तन प्राधिकरण को भुगतान की गई ₹.243.75 लाख की वापसी योग्य सुरक्षा जमा राशि का उचित मूल्य ₹.214.97 लाख, उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों में शामिल नहीं था और परिणामस्वरूप उस पर मूल्यह्रास नहीं लगाया गया। इसके अलावा, अपनाई गई मूल्यह्रास पद्धति कंपनी की लेखा नीति (सीधी रेखा पद्धति) के अनुरूप नहीं थी।	उपरोक्त के बावजूद, यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) ('ढांचा') के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संकल्पनात्मक ढाँचे के अनुच्छेद 2.11 के अनुसार, "सूचना महत्वपूर्ण है यदि इसे छोड़ने, गलत तरीके से प्रस्तुत करने या अस्पष्ट करने से सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टों (पैराग्राफ 1.5 देखें) के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं द्वारा उन रिपोर्टों के आधार पर लिए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है, जो किसी विशिष्ट रिपोर्टिंग इकाई के बारे में वित्तीय जानकारी प्रदान करती हैं।"
उपरोक्त गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप सकल उपयोग अधिकार परिसंपत्तियों का ₹214.97 लाख कम, संचित मूल्यह्रास का ₹173.79 लाख अधिक, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का ₹193.24 लाख अधिक और अन्य इक्विटी का ₹195.52 लाख की अतिशयोक्ति की गई।	उपरोक्त तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह भी विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि केपीएल ने वर्ष 2019-20 और 2021-22 में लीज़ जमा किया था और तब से पिछले 5 वर्षों से वर्तमान लेखांकन पद्धति का लगातार पालन किया जा रहा है और संबंधित वर्षों के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकार किया गया है और साथ ही वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के भाग के रूप में भी, जो केपीएल द्वारा अपनाए गए वर्तमान सुसंगत रुख को और पुष्ट करता है। ₹.214.97 लाख और ₹.193.23 लाख की राशि की वर्तमान त्रुटि कंपनी के टर्नओवर का केवल 0.185% और 0.167%, पीपीई के वहन मूल्य का 0.067% और 0.06% और वर्ष के कर-पूर्व लाभ का 0.257% और 0.231% है। मैं आश्वस्त हूँ कि लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई आवश्यक सुधार प्रविष्टियाँ वित्तीय वर्ष 2025-26 में पारित कर दी जाएँगी।
अन्य अमूर्त संपत्तियाँ: ₹ 264.95 लाख। उपरोक्त में पहले से ही भारतीय लेखा मानक के प्रावधानों के उल्लंघन में मूल्यह्रास की गई अमूर्त संपत्तियों का ₹54.4 लाख का अवशिष्ट मूल्य शामिल है। इसके परिणामस्वरूप अन्य अमूर्त संपत्तियों और अन्य इक्विटी को ₹54.44 लाख की अतिशयोक्ति के रूप में दर्शाया गया।	तथ्यों की पुष्टि हुई। जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया है, आवश्यक सुधार प्रविष्टियाँ वित्त वर्ष 2025-26 में पारित की जाएँगी। उपरोक्त के बावजूद, यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) ("ढांचा") के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संकल्पनात्मक ढाँचे के पैरा 2.11 के अनुसार, "सूचना महत्वपूर्ण है यदि इसे छोड़ने, गलत तरीके से प्रस्तुत करने या अस्पष्ट करने से सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग एजेंसियों (अनुच्छेद 1.5 देखें) के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं द्वारा उन रिपोर्टों के आधार पर लिए गए निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है, जो किसी विशिष्ट रिपोर्टिंग इकाई के बारे में वित्तीय जानकारी प्रदान करती हैं।" वर्तमान त्रुटि राशि ₹.54.44 लाख रुपये है, जो कंपनी के कुल कारोबार का केवल 0.047%, पीपीई के वहन मूल्य का 0.017% और वर्ष के कर-पूर्व लाभ का 0.065% है। यह आश्वासन दिया जाता है कि लेखापरीक्षण में देखा गया आवश्यक सुधार प्रविष्टियाँ वित्तीय वर्ष 2025-26 में पारित कर दी जाएँगी।

जसमिंदर सिंह एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के सदस्यों को

भारतीय लेखांकन मानकों के वित्तीय विवरणिकाओं का लेखापरीक्षा रिपोर्ट

मत

1. हमने भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसरण में कामराजर पोर्ट लिमिटेड (''कंपनी'') द्वारा प्रस्तुत विवरणिकाओं का लेखापरीक्षण किया है जिसमें 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरणिका (अन्य विस्तृत आय सहित), ईक्विटी में परिवर्तनों की विवरणिका तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य स्पष्टीकरण सूचनाओं (अब से ''वित्तीय विवरणों'' के रूप में प्रस्तुत) के सहित समाप्त वर्ष के नकद प्रवाहों की विवरणिका एवं वित्तीय विवरणिकाओं के लिए टिप्पणों सम्मिलित हैं।

2. हमारे मत में एवं हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरणिकाओं में, कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की आवश्यकताओं के अनुसरण में सूचनाएं इस प्रकार प्रस्तुत किए गए हैं कि वे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक, यथासंशोधित (भारतीय लेखा-मानक) तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में 31 मार्च 2025 को समाप्त तारीख तक कंपनी की स्थिति एवं उद्धृत तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ, विस्तृत आमदनी, ईक्विटी में परिवर्तन तथा उसके नकद प्रवाह के संदर्भ में सही एवं निष्पक्ष पाए गए।

मत का अधार

3. हमने वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण, अधिनियम के अंतर्गत लेखापरीक्षण मानकों (एसएएस) में उल्लिखत धारा 143(10) के आधार पर किया है। हमारी जिम्मेदारियों को उन मानकों के अंतर्गत हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणिकाओं के लेखापरीक्षण अनुभाग में प्रस्तुत किया गया है। हमने अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत इन आवश्यकताओं एवं भारतीय सनदी लेखाकार संघ (आईसीएआई) के अनुसरण में अन्य आचार जिम्मेदारियों को पूर्ण किया है। हम यह विश्वास रखते हैं कि हमने जिन लेखापरीक्षण सबूतों को इकट्ठा किया है, वे वित्तीय विवरणिकाओं पर हमारे मत के लिए एक उचित आधार बनते हैं।

मामलों पर ज़ोर देते हुए

4. सरकार/ सरकार के स्वामित्व से कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए कई अचल संपत्तियों के संबंध में लंबित हस्तांतरण विलेख/ पंजीकरण विलेख से संबंधित टिप्पण 4 (ए) की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। आगे, विभिन्न एजेन्सियों को देय निश्चित रकम / प्रतिपूर्ति भुगतानों को अंतिम रूप दिया जाना है तथा उक्त विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं,

5. वर्ष के दौरान कंपनी के विरुद्ध बीओटी प्रचालकों में से एक प्रारंभित विवाद प्रक्रण के संबंध में टिप्पण 30(15)(iii) (ए) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें ₹.160841.071 की रकम तक विभिन्न दावों, कंपनी का जवाबी दावा एवं दोनों पार्टियों द्वारा मध्यस्थों को नियुक्त करने तथा समाप्त वर्ष की अवधि तक विवाद प्रक्रणों की स्थिति संबंधी विवरणों का उल्लेख किया गया है। तदनुसार टिप्पण में बताए गए कारणों के अनुसार वर्ष की समाप्ति की अवधि तक बीओटी प्रचालक द्वारा किए गए दावों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

6. परियोजना ठेकेदारों को किए गए ₹.4509.50 लाख के अतिरिक्त भुगतान के संबंध में नोट 11 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसमें अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं - गैर-चालू और आज तक पूंजीकृत नहीं, मद्रास उच्च न्यायालय को भेजे गए लंबित विवाद।

7. ठेकेदार के विरुद्ध मुकद्दमे की कार्यवाही से संबंधित नोट 9 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके लिए कंपनी ने मध्यस्थता निर्णय का 75% (₹.2107.66 लाख और ब्याज सहित) भाग उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास ₹.2860.83 लाख जमा किया है।

उपर्युक्त अनुच्छेद 4 से 7 में उल्लिखित मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

मुख्य लेखापरीक्षण मामले

8. मख्य लेखापरीक्षण मामलों में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणिकाओं के हमारे महत्वूपर्ण लेखापरीक्षण के व्यावसायिक निर्णय सम्मिलित हैं। इन मामलों को समग्र रूप में वित्तीय विवरणिकाओं के हमारे लेखा-परीक्षणों के प्रसंग में इन मामलों पर विचार किया गया जिनपर हमारे मत बने और हम इन मामलों पर अलग से राय प्रस्तुत नहीं करते।

वित्तीय विवरणिकाओं से पृथक जानकारी तथा उनपर लेखापरीक्षण रिपोर्ट

9. कंपनी का निदेशक बोर्ड अन्य जानकारी तैयार करने करने के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चाएं तथा विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट जिसके साथ में संलग्नक, व्यवसाय जिम्मेदारी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट शासन प्रणाली एवं शेयरधारक जानकारी सम्मिलित हैं, लेकिन इनमें समेकित वित्तीय विवरण एवं उनपर हमारे लेखापरीक्षण रिपोर्ट शामिल नहीं हैं।

10. उन वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य जानकारी सम्मिलित नहीं है तथा हम उनपर किसी भी प्रकार के आवश्वासन निष्कर्ष प्रदान नहीं करते हैं।

11. वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के संबंध में अन्य जानकारी पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है तथा ऐसा करते हुए वित्तीय विवरणों के साथ उक्त जानकारी विषयवस्तु की असंगतता या लेखापरीक्षण के दौरान प्राप्त की गई जानकारी अथवा विषयवस्तु के संदर्भ में असंगतता पर विचार किया जाता है।

12. हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर यदि हम इस अन्य जानकारी के संबंध में इस निष्कर्ष पर आते हैं कि वह विषयवस्तु के संबंध में असंगत है, तो हमें उसे रिपोर्ट करना होगा। इस संदर्भ में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन की जिम्मेदारी

13. कंपनी का निदेशक बोर्ड की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे इन वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानकों एवं भारत में स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन के साथ अन्य विस्तृत आमदनी, कंपनी के ईक्विटी एवं नकद प्रवाह में परिवर्तन के बारे में सही एवं निष्पक्ष पहलु प्रस्तुत करें। इन जिम्मेदारियों में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड बनाए रखने के कार्य, धोखेबाज़ी एवं अन्य अनियमितताओं की पहचान करने तथा उन्हें रोकने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं लागू करना, निर्णय एवं प्राक्कलन विवेकपूर्ण एवं औचित्यपूर्ण हों, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन एवं रखरखाव भी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में हों ताकि लेखांकन रिकार्डों की शुद्धता एवं पूर्णता बनाए रखने के लिए प्रभावशाली रूप से प्रचालित किए जाते हैं तथा वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार करने तथा प्रस्तुतीकरण सही एवं शुद्ध हों एवं धोखेबाज़ी या गलती से मूल रूप से गलत होने की स्थिति से दूर हों। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन, चालू संस्था के रूप में बनाए रखने की कंपनी की क्षमता, यथा लागू प्रकटीकरण, चालू संस्था एवं चालू संस्था के लेखांकन आधार का प्रयोग को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है चाहे प्रबंधन, कंपनी को परिसमाप्त करना चाहे या प्रचालनों को बंद करना चाहे अथवा ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या उसके पास कोई वास्तविक संपत्ति नहीं है।

14. कंपनी के निदेशक बोर्ड, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का अनुवीक्षण करने के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणिकाओं के लेखा-परीक्षण के प्रति लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी

15. वित्तीय विवरणिकाओं का पूर्ण रूप से चाहे धोखेबाज़ी या गलती के कारण मूलत: गलत कथन होने से मुक्त होने के लिए सुनिश्चित करते हुए हमारे मत को सम्मिलित करते हुए लेखा-परीक्षक रिपोर्ट जारी करना ही हमारा उद्देश्य है। उचित आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन होता है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि एसएएस के आधार पर किया गया लेखा-परीक्षण हर समय गलतियों के होने से मूल गलतियों को उबारे। धोखेबाज़ी एवं गलती से उभरनेवाले गलत विवरण व्यक्तिगत या समग्र रूप में वित्तीय विवरणिकाओं के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है।

- एसएएस के अनुसरण में किए गए लेखा-परीक्षण के एक भाग के रूप में संपूर्ण लेखापरीक्षण के दौरान हम व्यावसायिक निर्णय लेने के साथ साथ व्यावसायिक संदेह भी बनाए रखते हैं। साथ ही हम :

- वित्तीय विवरणिकाओं में धोखेबाज़ या गलती के कारण होनेवाले मूल गलत कथन की पहचान करते हैं तथा उनके जोखिमों का मूल्यांकन करते हैं, उन जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियाशील लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं की अभिकल्पना, कार्यान्वयन एवं अपनी के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उचित लेखा-परीक्षण सबूत प्राप्त करते हैं। धोखेबाज़ी से पैदा होनेवाले मूलत: गलत कथनों को न पहचानने का जोखिम, गलती से पैदा होनेवाले गलत कथनों से होनेवाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखेबाज़ी से मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का अतिक्रमण हो सकता है।

- परिस्थितियों में उचित होनेवाले लेखा-परीक्षण प्रक्रियाओं से संबद्ध आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की एक अच्छी समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम के धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम, इस राय को भी अभिव्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था अपनाई जाती है या नहीं तथा ऐसे नियंत्रणों को प्रभावी ढंग से प्रचालित किया गया है या नहीं।

- कंपनी में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य को मूल्यांकित करते हैं तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन प्राक्कलनों के औचित्य एवं संबंधित प्रकटीकरणों को भी मूल्यांकित करते हैं।

- लेखांकन एवं प्राप्त किए गए लेखापरीक्षण के आधार पर चालू संस्था के उपयोग में प्रबंधन, घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता हो, जिसके कारण कंपनी की चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है या नहीं, इन औचित्यों पर निष्कर्ष प्राप्त किया जाना है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सामग्री की अनिश्चितता है, हमें अपने लेखापरीक्षण की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण या उन प्रकटीकरणों के अपूर्ण होने अथवा हमारे मत में रूपांतरित किए जाने की ओर ध्यान आकर्षित करना है। हमारे निष्कर्ष, हमारे लेखापरीक्षण रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षण सबूत पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं या परिस्थितियां, कंपनी बंद करवाने या चालू संस्था के रूप में जारी रहने का कारण बन सकती हैं।

- वित्तीय विवरणिकाओं के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना एवं विषयवस्तु के साथ प्रकटीकरणों को मूल्यांकित करते हुए यह पता लगाना कि वित्तीय विवरणिकाएं आधारभूत लेन-देन एवं

घटनाएं इस प्रकार से प्रतिनिधित्व करती हैं कि वे एक निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण के रूप में साबित हों।

16. वित्तीय विवरणिकाओं में सामग्री गलत कथनों का आकार बनती है कि वे व्यक्तिगत या समग्र रूप में वित्तीय विवरणिकाओं के जानकार उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकने की क्षमता रखती हैं। हम परिमाणात्मक सामग्री एवं गुणात्मक पहलुओं (i) अपने लेखापरीक्षण के कार्यक्षेत्र की योजना बनाना तथा अपने कार्य के परिणामों को मूल्यांकित करना तथा (ii) वित्तीय विवरणिकाओं में पहचान किए गए गलत कथनों के प्रभाव को मूल्यांकित करने पर विचार करते हैं।

17. हम उन्हें संप्रेषित करते हैं जो अन्य मामलों के साथ लेखापरीक्षण कार्यक्षेत्र की योजना एवं सटीक सयम तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षण की खोज के साथ आंतरिक नियंत्रण में अन्य कोई महत्वपूर्ण कमियों से संबंधित हैं।

18. हम शासन के अंतर्गत संस्थानों को यह भी संप्रेषित करते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधी नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा यह भी संप्रेषित करते हैं कि सभी संबंधितों एवं अन्य मामलों का असर हमारी स्वतंत्रता पर है और जहां भी लागू हो हमारी सुरक्षा स संबंधित है।

19. शासन के अंतर्गत संस्थानों को संप्रेषित उन मामलों में से हम उन मामलों को निश्चित करते हैं जो वर्तमान अवधि की वित्तीय विवरणिकों के लेखा-परीक्षणों में अत्यंत महत्वपूर्ण थे और वे मुख्य लेखा-परीक्षण मामले बन जाते हैं। हम इन मामलों को अपने लेखा-परीक्षक रिपोर्ट में तब तक सम्मिलित नहीं करते हैं जब तक उक्त मामले के सार्वजनिक प्रकटन के बारे में कोई नियम या निनियमन न हो या किन्हीं विरल परिस्थितियों में हम यह निश्चित करते हैं कि मामले को हमारी रिपोर्ट में उनसे पैदा होनेवाली प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि सार्वजनिक हित में ऐसे संप्रेषणों का महत्व कम पड़ने की प्रत्याशा की जाती है।

अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

20. अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) में उल्लेख किए गए अनुसार अपने रिपोर्ट के संलग्नक ए में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेश / उप-निदेशों का उल्लेख करते हैं।

21. केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसरण में अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 11 के अनुसार हम अपने रिपोर्ट के अनुबंध B में आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों पर यथा लागू अनुसार मामलों पर हमारे कथन प्रस्तुत करते हैं।

22. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसरण में हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

ए) हमने अपनी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर हमारे लेखा-परीक्षण के उद्देश्य से आवयक सभी जानकारी एवं विवरणों की मांग की है तथा उन्हें प्राप्त किया है;

बी) हमारे मत में कंपनी में कानून की आवश्यकताओं के अनुसार लेखा की उचित पुस्तकें रखी हुई हैं जो हमारे लेखापरीक्षण कार्य के लिए आवश्यक थे।

सी) तुलन पत्र, विस्तृत आमदनी सहित लाभ एवं हानि विवरणिका, ईक्विटी में परिवर्तन की विवरणिका एवं नकद प्रवाह की विवरणिका, लेखा पुस्तकों में किए गए उल्लेख के अनुसार हैं।

डी) हमारी राय में उपर्युक्त स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणिकाओं में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 में उद्धृत साथ कंपी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा-मानकों का अनुपालन किया गया है।

ई) कंपनी के निदेशकों से निदेशक बोर्ड द्वारा स्वीकृत 31 मार्च 2023 तक प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों के आधार पर अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसरण में नियुक्त किसी भी निदेशक को 31 मार्च 2023 तक अनर्हक नहीं घोषित किया गया है।

एफ) कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रण की प्रचालनात्मक प्रभावात्मकता के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट के "संलग्नक सी" का संदर्भ

लें। हमारी रिपोर्ट में कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रण की प्रचालनात्मक प्रभावात्मकता पर अपरिवर्तनशील विचारों की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है।

जी) अधिनियम की धारा 197(16) यथा संशोधित, में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए गए अन्य मामलों के संबंण में हमारी राय में

तथा हमारी उत्कृष्ट जानकारी एवं हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अपनू निदेशकों की भुगतानित प्रतिपूर्ति, अधिनियम की धारा 197 के अनुसरण में है।

एच) कंपनी (लेखा-परीक्षण एवं लेखा-परीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में हमारे मत में तथा हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार तथा हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों के

आधार पर:

i. कंपनी ने टिप्पण संदर्भ 30(15) के अनुसार अपने वित्तीय विवरणिकाओं में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकद्दमों का असर प्रकट किया है|

ii. यथा लागू कानून या लेखांकन मानकों की आवश्यकतानुसार कंपनी ने यदि कोई हों तो व्युत्पन्न ठेकों के साथ दीर्घकालिक ठेकों में सामग्रियों की संभावित हानि के लिए प्रावधान बनाया है'।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि के लिए हस्तांतरित की जानेवाली रकम के संबंध में रकम के हस्तांतरणों में कोई विलंब नहीं है|

iv. (ए) प्रबंधन ने यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि उनकी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा (जो सामग्री न पृथक सूतर पर या समग्र रूप में) अग्रिम सूतर पर या ऋण रूप में या निवेश (ऋण पर प्राप्त की गई निधि से अथवा शेयर प्रीमियम या किसी भी प्रकार के अन्य स्रोत निधि से) किसी विदेशी संस्था (''मध्यवर्ती संस्थाएं'') सहित किसी व्यक्ति, संस्था को किसी समझौता के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा कोई भी निधि को प्रदान नहीं की गई है कि मध्यवर्ती संस्थाएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ऋण रूप में अथवा निवेश रूप में पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थानों को किसी भी रूप में या कंपनी की तरफ से (''अंतिम हिताधिकारियों'') या कोई गारंटी, सुरक्षा या उस प्रकार के कोई अंतिम हिताधिकारियों को प्रदान करेंगे;

(बी) प्रबंधन ने यह प्रतिवेदन दिया है कि उसकी पूर्ण जानकारी एवं पूर्ण विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा (जो सामग्री न पृथक सूतर पर या समग्र रूप में) अग्रिम सूतर पर या ऋण रूप में या निवेश (ऋण पर प्राप्त की गई निधि से अथव शेयर प्रीमियम या किसी भी प्रकार के अन्य स्रोत निधि से) किसी विदेशी संस्था ("निधि प्रदान करनेवाली संस्थाओं") से किसी समझौता के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा कोई भी निधि प्राप्त नहीं की गई है कि मध्यवर्ती संस्थाएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ऋण रूप में अथवा निवेश रूप में पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थानों से किसी भी रूप में या कंपनी की तरफ से ("अंतिम हिताधिकारियों") या कोई गारंटी, सुरक्षा या उस प्रकार के कोई अंतिम हिताधिकारियों प्राप्त किया गया है;

(सी) परिस्थितियों में तर्कसंगत एवं उचित पाए गए लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर हमारी दृष्टि में ऐसी कोई बात नहीं आई जिसके कारण हम यह विश्वास करें कि प्रतिवेदन में उपर्युक्त (ए) और (बी) में नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के अनुसरण में मूलत: गलत पाए गए|

V. वित्तीय विवरणिकाओं के टिप्पण 30(20) में दिए गए अनुसार

VI. पूर्व वर्ष में घोषित प्रस्तावित एवं कंपनी द्वारा इस वर्ष भुगतानित अंतिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसरण में जैसा लागू हो सही है| कंपनी लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाता पुस्तकों का रखरखाव करती है जिसमें लेखापरीक्षण प्रवृत्ति रिकार्ड करने (ऐडिट लॉग) की सुविधा है|

मेसर्स जसमिन्दर सिंह एवं असोसियेट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन 016192एन
ह/-
सीए जसमिन्दर सिंह
साझेदार
एम. सं. 096895
यूडीआईएन : 25096895BMG YHC5619

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 26.05.2025

लेखा-परीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट के लिए संलग्नक 'ए'

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणकि पर समसंख्यक लेखा-परीक्षक की स्वतंत्र रिपोर्ट में ''अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में संदर्भित संलग्नक

1.	क्या कंपनी में ऐसी कोई व्यवस्था है कि वह अपने सभी लेखांकन प्रक्रियाओं को आईटी व्यवस्था द्वारा रखा जा सके? यदि नहीं, तो आईटी व्यवस्था से बाहर लेखांकन लेन-देनों के प्रक्रण का असर लेखा की अखंड़ता पर यदि पड़ता है, तो वित्तीय असर के साथ उसका उल्लेख करें।	कंपनी में आईटी व्यवस्था द्वारा ही लेखांकन लेन-देनों का प्रक्रण होता है।
2.	क्या ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए कोई वर्तमान ऋण की पुन:संरचना या ऋण/कर्ज/ ब्याज़ को छूट दिए जाने / बट्टे खाते में डालने के मामले हैं जिसे कंपनी वापस नहीं कर पाया है? यदि हां, तो उसके वित्तीय असर बताएं।	ऐसे कोई मामले जहां ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए कोई वर्तमान ऋण की पुन:संरचना या ऋण/कर्ज/ ब्याज़ को छूट दिए जाने / बट्टे खाते में डाले जाने की स्थिति नहीं हैं जिसे कंपनी वापस नहीं कर पाया हो।
3.	क्या केन्द्र / राज्रू सरकारी एजेन्सियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य निधियों का सही लेखांकन हुआ ई / उनका सही उपयोग उनके शर्त एवं प्रतिबंधों के अनुसरण में हुआ है? विचलनों के मामलों को अधिसूचित करें	पुनरीक्षण के अंतर्गत वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी विशिष्ट योजना के लिए केन्द्र / राज्य सरकार से निधि प्राप्त नहीं किया है।

मेसर्स जसमिन्दर सिंह एवं असोसियेट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन 016192एन
ह/-
सीए जसमिन्दर सिंह
साझेदार
एम. सं. 096895
यूडीआईएन : 25096895BMG YHC5619

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 26.05.2025

लेखा-परीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट के लिए संलग्नक 'बी'

(कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरणकि पर समसंख्यक लेखा-परीक्षक की स्वतंत्र रिपोर्ट में ''अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 20 में संदर्भित संलग्नक)

1. (ए) (i) कंपनी अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के गुणात्मक विवरणों के साथ सही रिकार्डों का रखरखाव कर रही है।

(ii) कंपनी अपने सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरणों के सही रिकार्ड दर्शाते हुए सही रिकार्ड का रखरखाव कर रही है।

(बी) कंपनी में उसकी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों को कवर करते हुए जांच करने हेतु एक प्रोग्राम है जो एक चरणबद्ध तरीके से जांच करती है जो हमारी राय में कंपनी के आकार एवं उसकी परिसंपत्तियों की प्रवृत्ति देखते हुए उचित प्रतीत होता है। कंपनी ने प्रोग्राम के अनुसरण में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की भौतिक जांच की है। हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरणों के अनुसार जांच प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की भौतिक विसंगतियां नहीं हैं।

(सी) कंपनी, टिडको (950.00 एकड़) से प्राप्त किए गए 2,787.27 एकड़ भूमि क्षेत्र, टीएनईबी (1092.20 एकड़), नमक विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार (712.42 एकड़) तथा तमिलनाडु सरकार के (712.42 एकड़) तथा तमिलनाडु सरकार के (47.87 एकड़) भूमि क्षेत्र का स्वामी है, जो कंपनी के स्वामित्व के अधीन है। आगे यह भी कि टिडको से प्राप्त किए गए 297.98 एकड़, टैन्जेड्को से 995.05 एकड़, नमक विभाग से प्राप्त 712.42 एकड़ तथा तमिलनाडु सरकार से प्राप्त 0.69 एकड़ भूमिक्षेत्र सहित स्वामित्व के 2,038.10 एकड़ के कुल भूमि क्षेत्र कंपनी के नाम से पंजीकृत है तथा तमिलनाडु सरकार से प्राप्त 31.96 एकड़ भूमि को पट्टा प्रदान किया गया है तथा शेष भूमिक्षेत्र की पंजीकरण प्रक्रिया जारी है।

(डी) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौराप अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणयाअमूर्तपरिसंपत्तियां(परिसंपत्तियोंकाप्रयोगकरनेका अधिकार सहित) या दोनों का पुन:मूल्यन नहीं करवाया है।

(ई) बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा बेनामी संपत्ति रखने के लिए किसी भी प्रकार के कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है न ही लंबित हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(ई) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

2. (ए) कंपनी, पोर्ट के विकास एवं प्रचालन के कार्यों में लगी हुई है तथा मूल रूप से पोर्ट सेवाएं प्रदान कर रही है। कंपनी के पास कोई भौतिक वस्तुसूची नहीं है। अत: आदेश का खंड 3(ii)(ए) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(बी) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी समय वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से संकलित रूप में पांच करोड़ रुपयों से अधिक कार्यशील पूंजी सीमाओं की स्वीकृति नहीं दी गई है। अत: कंपनी पर आदेश का खंड 3(ii)(बी) लागू नहीं है।

3. (ए) वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी अन्य संस्था को कोई ऋण या ऋण के रूप में किसी भी प्रकार के अग्रिम या कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की है। तदनुसार कंपनी पर आदेश के 3(iii)(ए) और 3(iii)(ई) खंड लागू नहीं होते।

(बी) प्रदत्त ऋण एवं गारंटी के रूप में सभी ऋण एवं अग्रिम द्वारा किए गए निवेश, प्रदत्त गारंटी, सुरक्षा तथा ऋण या ऋण के रूप में किसी भी प्रकार के अग्रिम या सुरक्षा प्रथम दृष्टया, कंपनी के हित के लिए हानिकारक नहीं हैं।

(सी) कंपनी के पास वर्ष के प्रारंभ में कोई ऋण के रूप में बकाया ऋण एवं अग्रिम नहीं है, न ही वर्ष के दौरान ऋण के रूप में ऋण या अग्रिमों को स्वीकृति प्रदान की है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(सी), 3(iii)(सी), 3(iii)(ई) और 3(iii)(एफ) कंपनी पर लागू नहीं होती है।

4. कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा अपनाई गई लेखा-परीक्षण पद्धतियों को के आधार पर कंपनी ने न ही कोई निवेश किया है, कंपनी अधिनियम की धारा 185 एवं 186 का उल्लंघन करते हुए न ही ऋण दिया है, न ही कोई गारंटी या सुरक्षा दी है।

5. कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों तथा धारा 73 से 76 से संबंधित प्रावधानों के अंदर या कंपनी अधिनियम से संबंधित अन्य कोई प्रावधानों के अंदर जमा या कोई रकम प्राप्त की है। तदनुसार, कंपनी पर आदेश के खंड 3(v) के प्रावधान लागू नहीं होते।

6. हमें दी गई जानकारी एवं विवरणों के अनुसार केन्द्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार की सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत रिकार्ड के रखरखाव की लागत को निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार कंपनी पर आदेश का खंड 3(vi) लागू नहीं है।

7. (ए) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी प्राधिकृत अधिकारियों को सामान्यतया नियमित एवं अविवादित रूप से गूड्स एण्ड सर्विस कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय-कर, सर्विस कर, सीमाशुल्क कर, उत्पाद शुल्क, मूल्य योजित कर, उपकर एवं अन्य कोई सांविधिक देय का भुगतान करता आ रहा है। कंपनी द्वारा 31 मार्च 2025 तक सामान्यतया नियमित एवं अविवादित रूप से गूड्स एण्ड सर्विस कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय-कर, सर्विस कर, सीमाशुल्क कर, उत्पाद शुल्क, मूल्य योजित कर, उपकर एवं अन्य कोई सांविधिक देय के भुगतान में नियत तारीख से छह महीनों से अधिक अवधि के लिए कोई बकाया नहीं है।

(बी) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर 31 मार्च 2025 तक प्राधिकृत अधिकारियों के साथ निम्नांकित विवादित कर/ ड्यूटी जमा नहीं किए गए।

सांविधिक	देय की प्रवृत्ति	रकम (रुपए लाखों में)	वह अवधि जिसके अंतर्गत रकम देय है	मंच जिसमें रकम का भुगतान लंबित है	टिप्पण, यदि कोई हो
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	3262.20	वर्ष 2007-08 से वर्ष 2021-22 तक	सीआईटी (अपील)	कोई नहीं
गुड्स एण्ड सर्विस कर	जीएसटी	** 1352.82	वित्त वर्ष 2017-18	जेसी (अपील)	कोई नहीं

** - इसके विरुद्ध, कंपनी ने विरोध दर्शाते हुए र. 9.30 लाख रुपयों को जमा किया है।

8 कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने किसी भी प्रकार के लेन-देन को न प्रकट किया है न ही उन्हें समर्पित किया है जिन्हें पूर्व में वर्ष के दौरान आय के रूप में आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर मूल्यांकन के रूप में लेखा पुस्तकों में रिकार्ड नहीं किया गया है।

9. (ए) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने ऋण या अन्य वापसी में न ही कोई गलती की है न ही ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में कोई गलती की है।

(सी) हमारे मत में हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण के अनुसार कंपनी ने ऋण के रूप में प्राप्त राशि का उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया जिनके लिए राशि प्राप्त की गई।

डी) हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा लागू प्रक्रियाओं तथा कंपनी के वित्तीय विवरणिकों के संपूर्ण जांच के अनुसार यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पकालिक समय आधार पर जुटाए गए निधि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किए गए।

(ई) हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा लागू प्रक्रियाओं तथा कंपनी के वित्तीय विवरणिकों के संपूर्ण जांच के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियां, असोसियेट अथवा संयुक्त प्रयास के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से निधि प्राप्त नहीं की है।

एफ) हमें प्रदान की गई जानकारीएवं विवरण तथा लागू प्रक्रियाओं तथा कंपनी के वित्तीय विवरणिकों के संपूर्ण जांच के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक संस्थानों, संयुक्त प्रयास या असोसियेट कंपनियों के सुरक्षा को गिरवी रखकर ऋण नहीं लिया है।

10 ए) कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर या आगे किसी भी प्रकार के सार्वजनिक ऑफर (ऋण उपकरण सहित) द्वारा ऋण नहीं लिया है, तदनुसार कंपनी पर आदेश का खंड 3(x)(ए) लागू नहीं होता।

(बी) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने वर्तमान वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से रूपांतरित की जानेवाली डिबेन्चरों का अधिमान्य आबंटन या निजी प्राइवेट प्लेसमेण्ट नहीं किया है। तदनुसारकंपनी पर आदेश का खंड 3(x) (बी) लागू नहीं होता।.

11. (ए) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरणों तथा हमारी उत्कृष्ट जानकारी के अनुसार हमारे लेखा-परीक्षण कार्यों की अवधि में कंपनी ने कोई धोखा नहीं किया है न ही ऐसा कुछ देखा गया है।

(बी) वर्तमान वर्ष के दौरान तथा इस रिपोर्ट की तारीख तक केन्द्र सरकार के साथ कंपनी (लेखापरीक्षण एवं लेखा-परीक्षकों नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित एडीटी-4 प्रपत्र में कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं किया है।

(सी) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरणों तथा प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार र्तमान वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई मुखबिर शिकायतें प्राप्त नहीं की हैं।

12. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है तथा उसपर आदेश का अनुच्छेद 3(xii) लागू नहीं होता।

13. कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरणतथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर संबंधित पार्टियों के साथ किए गए लेन-देन जहां भी लागू हो अधिनियम की धारा 177 एवं धारा 188 के अनुपालन में किए गए तथा ऐसे लेन-देनों के विवरणों को भारतीय लेखांकन- मानकों की आवश्यकतानुसार वित्तीय विवरणिकाओं में प्रकट किया गया है।

14. (ए) हमारे मत में तथा की गई जांच के आधार पर कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षण व्यवस्था उसके व्यवसाय के आकार और उसकी प्रवृत्ति के अनुरूप है।

(बी) हमने वर्ष के दौरान एवं आज की तारीख तक के लिए लेखा-परीक्षण के अंतर्गत कंपनी के आंतरिक लेखा-परीक्षण की जांच की है तथा कंपनी को प्रवृत्ति, समय सटीकता एवं हमारे लेखा- परीक्षण प्रक्रियाओं के अनुसार निश्चित करते हुए जारी किया है।

15. कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर-नकद लेन-देन नहीं किया है। तदनुसार कंपनी पर आदेश का अनुच्छेद 3(xv) लागू नहीं होता।

16. (ए) हमारी राय में कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45आईए के अंतर्गत पंजीकृत होने की ्यकता नहीं है। अत: आदेश के खंड 3(xvi)(ए), (बी) और (सी) के अंतर्गत रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

(बी) हमारी राय में कंपनी ग्रुप (रिज़र्व बैंक के कोर निवेश कंपनी निदेश 2016 में दी गई परिभाषा के अनुसार) के अंदर कोर निवेश कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi) (डी) लागू नहीं होता।

17. कंपनी को समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष में तथा इसके पिछले वित्तीय वर्ष नकद हानि नहीं हुई है।

18. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा-परीक्षकों की तरफ से कोई इस्तीफा प्राप्त नहीं हुए। अत: कंपनी पर आदेश का खंड 3(xviii) लागू नहीं होता।

19. वित्तीय अनुपातों के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों का परिपक्वन एवं प्रत्याशित प्राप्ति की तिथि एवं वित्तीय देयताओं के भुगतान, कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणिकाओं के साथ प्रस्तुत अन्य जानकारी के आधार पर निदेशक बोर्ड तथा प्रबंधन की योजना के संबंध में लेखा-परीक्षकों की जानकारी के अनुसार हमारे मत में लेखा-परीक्षण रिपोर्ट की तारीख तक कोई सामग्री अनिश्चितता नहीं है तथा कंपनी तुलन पत्र की वर्तमान तारीख तक तथा जैसे ही तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष तक के लिए देय होने वाली देयताओं को पूरा करने की क्षमता रखती है।

20. (ए) चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य के संबंध में संबंधित अधिनियम की धारा 135 की उप- धारा (5) के द्वितीय नियम के अनुपालन में वित्तीय वर्ष समाप्त होने के छह महीनों के अंदर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में दिए गए अनुसार कंपनी ने अप्रयुक्त रका को निर्धारित निधि में हस्तांतरित किया है।

(बी) चालू परियोजनाओं के संबंध में अधिनियम की धारा 135(6) के प्रावधानों के अनुसराण में उक्त वित्तीय वर्ष की समापृति के 30 दिनों के अंदर कंपनी ने पूर्व वित्तीय वर्ष के अंत में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के निहित अप्रयुक्त रकम को हस्तांतरित किया है।

21. अत: स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणिकाओं के लेखा-परीक्षण के संबंध में कंपनी पर आदेश के खंड 3(xxi) के अंतर्गत रिपोर्ट जारी करने की आवश्यकता नहीं है। अत: इस रिपोर्ट में उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी सम्मिलित नहीं की गई है।

मेसर्स जसमिन्दर सिंह एवं असोसियेट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन 016192एन
ह/-
सीए जसमिन्दर सिंह
साझेदार
एम. सं. 096895
यूडीआईएन25096895BMG YHC5619

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 26.05.2025

लेखा-परीक्षक के स्वतंत्र रिपोर्ट के लिए संलग्नक – सी

(कामराजर पोर्ट लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणकिा पर समसंख्यक लेखा-परीक्षक की स्वतंत्र रिपोर्ट में ''अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 21(एफ) में संदर्भित संलग्नक)

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण के संयोजन में 31 मार्च 2025 तक मेसर्स कामराजार पोर्ट लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा-परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण पर मार्गदर्शन टिप्पण में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। कंपनी के इन जिम्मेदारियों में अधिनियम की आवश्यकताओं के अंतर्गत पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन एवं रखरखाव, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखेबाज़ी एवं गलतियों का रोकथाम, लेखांकन रकार्डो की पूर्णता एवं शुद्धता, समय पर विश्वसनीय जानकारी तैयार करने जैसी जिम्मेदारियां भी सम्मिलित हैं जो उसके व्यवसाय की प्रक्रिया चालू रखने के साथ-साथ कंपनी की नीति का अनुपालन करते हुए व्यवस्था एवं सक्षमता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य हैं और वे सही तरह प्रचालित भी किए जाते थे।

लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम कंपनी के आंतरिक वित्तीस नियंत्रणों पर अपने लेखापरीक्षण कार्य के आधार पर अपना मत व्यक्त करें। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ('मार्गदर्शन नोट') पर वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण पर मार्गदर्शन टिप्पण एवं लेखापरीक्षणों पर मानकों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर यथा लागू निर्धारित मानकों के अनुसरण में लेखापरीक्षण किया है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा-परीक्षण द्वारा लागू होते हैं तथा दोनों को इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड आकाऊंटेण्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। उक्त मानक एवं मार्गदर्शन टिप्पणों के अनुसार यह अनिवार्य है कि हम यह उचित आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू किए तथा ऐसे नियंत्रण सभी सामग्री मामलों में प्रभावशाली ढंग से प्रचालित किए जाते हैं।

हमारे लेखा-परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी प्रभावात्मक प्रचालन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षण सबूत प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया, सामग्री कमज़ोरी की मौजूदगी के जोखिम का मूल्यांकन तथा मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की अभिकल्पना एवं प्रचालन प्रभावात्मकता का मूल्यांकन एवं परीक्षण के कार्य भी सम्मिलित हैं। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणिकाओं में सामग्री संबंधी गलत कथन के जोखिमों का मूल्यांकन, चाहे वे धोखेबाज़ी या गलती के कारण क्यों न हों उसके साथ लेखा-परीक्षक के निर्णय पर आधारित होते हैं।

हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि हमने कंपनी के कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपने लेखा-परीक्षण राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए जो सबूत प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त एवं उचित हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग का अर्थ

कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग वह प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए अपनाई जाती हैं तथा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणिकाएं तैयार की जाती हैं। एक कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रियाओं में वे सभी नीतियां एवं प्रक्रियाएं

सम्मिलित हैं जो (1) उन रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित हैं जो कंपनी के लेन-देन तथा परिसंपत्तियों के निपटान को निष्पक्ष एवं शुद्ध रूप में प्रस्तुत कीतह हैं; (2) लेन-देन के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि उन्हें सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणिकाएं तैयार करने की अनुमति प्रदान करने हेतु आवश्यक पद्धतियों द्वारा रिकार्ड किए जाते हैं, तथा कंपनी की प्राप्तियां एवं व्यय प्रबंधन एवं निदेशकों द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर ही होते हैं (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान को रोकने अथवा समय पर पहचानने का मौका देती हैं जिनकी वजह से वित्तीय विवरणिकाओं पर काफी प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सीमाएं

चूंकि, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों का उल्लंघन करने की संभावना भी शामिल है, गलती या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत कथन हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के तथ्य, स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियां या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा कम हो सकती है।

हमारा मत

हमारी राय में सभी पहलुओं में कंपनी में वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था है तथा ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावशाली ढंग से प्रचालित थे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटेण्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा-परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट में उद्धृत अनिवार्य तत्वों को ध्यान में रखते हुए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदण्ड स्थापित किए।

मेसर्स जसमिन्दर सिंह एवं असोसियेट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन 016192एन
ह/-
सीए जसमिन्दर सिंह
साझेदार
एम. सं. 096895
यूडीआईएन : 25096895BMG YHC5619

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 26.05.2025

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

सीआइएन:यू45203टीएन1999पीएलसी043322

पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल (उत्तर विंग) और तीसरी मंजिल, जवाहर बिल्डिंग, 17, राजाजी सलाई, चेन्नै - 600 001

31 मार्च 2025 तक का तुलन पत्र

(रुपए लाखों में)

विवरण	टिप्पण सं	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
		लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
आस्तियां			
गैर वर्तमान परिसंपत्तियां			
(ए) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	4	322,190.39	312,955.22
(बी) प्रगति पर पूंजीगत कार्य	5	18,446.86	27,438.85
(सी) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	4 A	1,639.03	1,738.53
(डी) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	6	264.95	169.62
(ई) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	7	4,177.43	4,190.31
(ii) ऋण	8	532.21	297.35
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	442.82	442.82
(एफ) कर परिसंपत्ति (निवल)	14	3,258.35	3,261.60
(जी) अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	11	7,217.09	7,634.87
कुल गैर वर्तमान परिसंपत्तियां		**358,169.12**	**358,129.17**
वर्तमान परिसंपत्तियां आस्तियां)			
(ए) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) ट्रेड प्राप्य	12	9,352.57	7,537.95
(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	13A	15,047.35	4,080.19
(iii) नकद एवं नकद समतुल्यों को छोड़कर बैंक शेष	13B	13,000.00	8,000.00
(iv) ऋण	8	129.71	122.42
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	3,201.02	261.63
(b) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	11	3,082.63	1,587.86
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		**43,813.29**	**21,590.05**
कुल परिसंपत्तियां		**401,982.42**	**379,719.22**
ईक्विटी एवं देयताएं			
ईक्विटी			
(ए) ईक्विटी शेयर पूंजी	15	30,000.00	30,000.00
(बी) अन्य ईक्विटी		275,995.01	261,088.98
कुल ईक्विटी		**305,995.01**	**291,088.98**
देयताएं			
गैर वर्तमान देयताएं			
(ए) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	16	41,490.86	44,783.19
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	17	671.47	570.69
(बी) आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	10	24,997.43	9,675.02
(सी) अन्य गैर वर्तमान देयताएं	19	6,868.85	6,390.52
(डी) कुल गैर वर्तमान देयताएं		**74,028.60**	**61,419.42**
वर्तमान देयताएं			
(ए) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	16	3,301.25	3,301.25
(ii) ट्रेड देय			
-सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया	20	638.48	1,605.69
-सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य क्रेडिटरों का कुल	20	5,091.84	6,536.62
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	17	738.58	431.55
(बी) अन्य वर्तमान देयताएं	19	8,359.43	6,465.51
(सी) अन्य प्रावधित देयताएं	18	3,829.23	8,870.19
कुल वर्तमान देयताएं		**21,958.81**	**27,210.82**
कुल ईक्विटी और देयताएं		**401,982.42**	**379,719.22**
लेखांकनों के लिए टिप्पणियां	30		
सामग्री लेखांकन नीतियां एवं प्रमुख लेखांकन अनुमान और निर्णय	1 से 3		
वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणी देखें			

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

ह/-
सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.,
अध्यक्ष
डीआईएन : 01310101

ह/-
जे पी आईरीन सिन्थियाई.ए.एस.,
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08839241

ह/-
सी. एस. वेमन्ना
मुख्य वित्तीय अधिकारी (प्रभारी)

मेसर्स जसमिन्दर सिंह एवं असोसियेट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.- 016192एन

ह/-
सीए. जसमिन्दर सिंह
साझेदार
एम. सं. 096895
यूडीआईएन : 25096895BMGYHC5619

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 26 मई 2025

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

सीआइएन:यू45203टीएन1999पीएलसी043322

(चेन्नई पोर्ट प्राधिकरण की एक कंपनी) "जवाहर बिल्डिंग", नंबर.17, राजाजी सालै, चेन्नई 600 001.

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(रुपए लाखों में)

विवरण		टीप सं	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
आय				
i)	परिचालन से आय	21	113,841.57	106,221.97
ii)	अन्य आय	22	2,182.96	1,921.62
	कुल आय		**116,024.52**	**108,143.59**
व्यय				
i)	परिचालन लागत	23	10,834.67	10,476.64
ii)	कर्मचारी परिलाभ	24	2,438.75	2,074.27
iii)	वित्तीय लागत	25	4,366.81	6,262.61
iv)	मूल्य ह्रास &परिशोधन व्यय	26	8,697.91	7,554.97
v)	अन्य व्यय	27	5,932.79	5,115.95
	कुल व्यय		**32,270.95**	**31,484.44**
कर से पहले लाभ / (हानि)			**83,753.58**	**76,659.15**
	कर व्यय			
	- प्रचलित कर (चालू कर)	10	26,556.13	24,532.63
	- आस्थगित कर	10	3,264.92	2,558.49
			29,821.05	27,091.12
अवधि के लिए लाभ			**53,932.53**	**49,568.03**
अन्य विस्तारित आय				
i)	वे मद जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	ए) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन		-27.86	-218.96
ii)	परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन लाभ (हानि) पर आयकर व्यय		9.73	76.52
	बी)इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन	10	-12.88	39.12
iii)	इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन पर आयकर व्यय		4.50	-13.67
	अन्य व्यापक आय		**-26.50**	**-117.00**
	अवधि के लिये कुल व्यापक आय		**53,906.03**	**49,451.03**
	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन:			
	i) मूल	29	17.98	16.52
	(2) डायल्यूटेड		17.98	16.52
लेखाओं पर टीप		30		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां		1 से 3		
ऊपर संदर्भित टीप इस वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।				

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

ह/-
सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.,
अध्यक्ष
डीआइएन : 01310101

जे पी आईरीन सिन्थियाई.ए.एस.,
प्रबंध निदेशक
डीआइएन : 08839241

मेसर्स जसमिन्दर सिंह एवं असोसियेट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.- 016192एन

ह/-
सी. एस. वेमन्ना
मुख्य वित्तीय अधिकारी (प्रभारी)

ह/-
सीए. जसमिन्दर सिंह
साझेदार
एम. सं. 096895
यूडीआईएन : 25096895BMGYHC5619

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 26 मई 2025

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

सीआइएन:यू45203टीएन1999पीएलसी043322

(चेन्नई पोर्ट प्राधिकरण की एक कंपनी) "जवाहर बिल्डिंग", नंबर.17, राजाजी सालै, चेन्नई 600 001.

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह की विवरणिका

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षित	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षित
ए. प्रचालित क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
कर से पहले निवल लाभ	83,753.58	76,659.15
निमनानसार के लिए समायोजन :-		
उपदानें और छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	75.32	0.00
स्थायी परिसंपत्तियों की हानि / (लाभ) पर विक्रय	-	1.02
म्हास एवं परिशोधन व्यय	8,697.91	7,554.97
वित्तीय लागतें	4,362.32	6,256.55
प्रत्याशित क्रेडिट हानि का प्रावधान	-	1.41
ब्याज आय	(1,709.84)	(1,316.56)
अग्रिम विकास आय	(74.79)	-
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों के पूर्व परिचालन लाभ	**95,104.51**	**89,156.53**
निमनानुसार के लिए समायोजन :-		
ऋण (गैर-वर्तमान)	(234.86)	2.11
अन्य परिसंपत्तियां (गैर वर्तमान)	-	(1.94)
अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	(216.39)	132.10
ट्रेड प्राप्य	(1,814.61)	(1,663.49)
ऋण	(7.29)	(39.79)
अन्य वतुतीय परिसंपत्तियां	(2,860.83)	726.78
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	(1,570.10)	75.92
अन्य वित्तीय देयताएं (गैर वर्तमान)	100.78	19.68
अन्य गैर वर्तमान देयताएं	478.33	(484.43)
ट्रेड देय	(2,411.99)	4,128.31
अन्य वित्तीय देयताएं	307.02	13.88
अन्य वित्तीय देयताएं	1,968.71	639.84
प्रावधान	(5,058.15)	(7,219.74)
प्रचालन क्रियाकलापों से प्राप्त नकद	**83,785.11**	**85,485.77**
आयकर (भुगतानित)/वसूल किया गया	(14,481.15)	(13,034.54)
प्रचालन क्रियकलापों से (में प्रयुक्त) / प्राप्त निवल नकद	**69,303.97**	**72,451.23**
बी. निवेशगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियां, सीडब्लूआइपी का क्रय	(8,302.77)	(28,947.91)
प्राप्त ब्याज	1,631.27	1,316.56
वर्ष के दौरान निवेश	(5,000.00)	-
निवेश क्रियाकलापों से (प्रयुक्त) / प्राप्त निवल नकद	**(11,671.50)**	**(27,631.35)**
सी. वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
भुगतानित लाभांश	(39,000.00)	(24,000.00)
चुकाए गए ऋण	(3,292.33)	(11,239.84)
भुगतानित ब्याज	(4,372.99)	(6,256.55)
वित्तीय क्रियाकलापों से प्राप्त / (प्रयुक्त) निवल नकद	**(46,665.32)**	**(41,496.38)**
डी. नकद एवं नकद समतुल्यों में निवल बढ़ोतरी / (कमी)	**10,967.15**	**3,323.49**
इ. अथशेष नकद एवं नकद समतुल्य	**4,080.19**	**756.70**
एफ. समापन नकद एवं नकद समतुल्य	**15,047.35**	**4,080.19**

1. नोट 13ए देखें
2. गैर-नकद वित्तीय और निवेश गतिविधियाँ

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

ह/-
सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.,
अध्यक्ष
डीआइएन : 01310101

ह/-
जे पी आईरीन सिन्थियाई.ए.एस.,
प्रबंध निदेशक
डीआइएन : 08839241

सी. एस. वेमन्ना
मुख्य वित्तीय अधिकारी (प्रभारी)

मेसर्स जसमिन्दर सिंह एवं असोसियेट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.- 016192एन

ह/-
सीए. जसमिन्दर सिंह
साझेदार
एम. सं. 096895
यूडीआईएन : 25096895BMGYHC5619

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 26 मई 2025

31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए ईक्विटी में परिवर्तनों की विवरणिका

ईक्विटी शेयर पूंजी

(रु. लाखो में)

1 अप्रैल 2024 को शेष	वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2025 को शेष
30,000	-	30,000

1 अप्रैल 2023 को शेष	वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2024 को शेष
30,000	-	30,000

अन्य ईक्विटी

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष को लिये

विवरण	डिबेंचर मोचन रिजर्व	आरक्षिती एवं अधिशेष		ईक्विटी के अन्य घटक		कुल
		सामान्य आरक्षिती	प्रतिधारित अर्जन	निवल परिभाषित लाभ देयता/परिसंपत्ति का पुनर्मापण	एफवीटीओसीआइ - निवेश	
	(रूपये लाख में)					
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	5,044.95	7,902.00	250,172.86	(99.49)	(1,931.34)	261,088.98
लेखांकन नीति / पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल विस्तारित आय	-	-	53,932.53	-	-	53,932.53
वर्ष के लिए अन्य विस्तारित आय	-	-	-	(18.12)	(8.38)	(26.50)
प्रतिधारित आय से हस्तांतरण	456.86	-	(456.86)	-	-	-
अंतिम लाभांश - वित्त वर्ष. 2023-24	-	-	(30,000.00)	-	-	(30,000.00)
अंतिम लाभांश - वित्त वर्ष. 2024-25	-	-	(9,000.00)	-	-	(9,000.00)
सूचनांकन अवधि के अंत में शेष	**5,501.81**	**7,902.00**	**264,648.53**	**(117.61)**	**(1,939.72)**	**275,995.01**

अन्य ईक्विटी

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष को लिये

विवरण	डिबेंचर मोचन रिजर्व	आरक्षिती एवं अधिशेष		ईक्विटी के अन्य घटक		कुल
		सामान्य आरक्षिती	प्रतिधारित अर्जन	निवल परिभाषित लाभ देयता/परिसंपत्ति का पुनर्मापण	एफवीटीओसीआइ - निवेश	
	(रूपये लाख में)					
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	6,575.47	7,902.00	223,074.30	42.96	(1,956.79)	235,637.95
लेखांकन नीति / पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल विस्तारित आय	-	-	49,568.03	-	-	49,568.03
वर्ष के लिए अन्य विस्तारित आय	-	-	-	(142.45)	25.45	(117.00)
प्रतिधारित आय से हस्तांतरण	(1,530.52)	-	1,530.52	-	-	-
अंतिम लाभांश - वित्त वर्ष. 2022-23	-	-	(24,000.00)	-	-	(24,000.00)
अंतिम लाभांश - वित्त वर्ष. 2023-24	-	-	-	-	-	-
सूचनांकन अवधि के अंत में शेष	**5,044.95**	**7,902.00**	**250,172.86**	**(99.49)**	**(1,931.34)**	**261,088.98**

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

सिऐएन: U45203TN1999PLC043322

जवाहर बिल्डिंग, 17, राजाजी सलाई, चेन्नै - 600 001

वित्तीय विवरणिकाओं की टिप्पणियां

1. कॉर्पोरेट जानकारी :

कामराजर पोर्ट लिमिटेड, भारत में अधिवासित कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। कंपनी प्रायः जमीनदार पोर्ट मॉडल की तरह कार्य करता है, इन कार्यों में उनके प्रकार्य, सम्पूर्ण योजना, विकास, पोर्ट एवं सामूहिक अवरसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए निवेश इकत्रित करने तक सीमित हैं। आमतौर पर टर्मिनलों एवं प्रचालनों के विकास कार्यों को निजी प्रचालक/ कैपटिव उपभोक्ताओं को प्रदान किया गया है।

2. तैयारी का आधार :

कंपनी ने 1 अप्रैल 2015 के परिवर्तित तारीख के साथ 01 अप्रैल 2016 से प्रभावी भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा 16 फरवरी 2015 को जारी अधिसूचना के अनुसार कंपनी ने भारतीय लेखांकन नीति को अपनाया है।

वित्तीय विवरणों में ईक्विटी शेयरों को छोड़कर सम्मिलित सभी राशियां भारतीय रुपयों (रुपए लाखों में) में रिपोर्ट किए गए हैं, जिन्हें संख्याओं में अभिव्यक्त किया गया है।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

3.1. प्राक्कलन व अनुमान का प्रयोग:

कंपनी के स्टैंड-अलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान एवं धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, संपत्ति तथा देयताओं की रिपोर्ट की गई रकम एवं प्रकटीकरणों के साथ आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं।

3.2. प्रकार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण मुद्रा :

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों में प्रस्तुत किया गया है जो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है तथा कंपनी का प्रकार्यात्मक मुद्रा है।

3.3. राजस्व मान्यता

1) 1)सेवाओं से प्राप्त राजस्व को प्राप्त या प्राप्त होनेवाले प्रतिफल के कुल छूट के मूल्य पर लिया जाता है जिसमें करों और शुल्कों को शामिल नहीं किया जाता है। प्रदत्त सेवा से प्राप्त राजस्व को सेवाएं पूर्ण करने के बाद उल्लेख किया जाएगा। निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर राजस्व को मान्यता दी जाती है :

i) राजस्व की राशि को विश्वसनीयता के साथ लिया जा सकता है;

ii) यह संभव है कि लेन-देन से संबंधित आर्थिक लाभ, संस्था में मिल जाएंगे;

iii) लेन-देन की लागत और लेन-देन पूरा करने की लागत को विश्वसनीयता से लिया जा सकता है।

iv) इसके संग्रह के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता नहीं है।

राजस्व प्रवाह में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

i) वेसल संबंधित आय

ii) कार्गो संबंधी आय

iii) बीओटी एवं अन्य पोर्ट/ कैप्टिव उपयोगकर्ताओं पर से होनेवाले भूमि एवं जल क्षेत्र द्वारा राजस्व भाग एवं लाइसेन्स शुल्क

iv) समग्र टैरिफ

निम्नलिखित प्रस्तुत विवरण में राजस्व के हर भाग के संबंध में राजस्व मान्यता :

i) वेसल संबंधी आय

वेसल से संबंधित आय में वेसल के प्रबंधन से होनेवाली आय सम्मिलित है। पोत संबंधी प्रचालनों से संबंधित राजस्व का उल्लेख विशिष्ट सेवाएं पूर्ण करने के बाद ही किया जाएगा।

ii) कार्गो संबंधी आय

कार्गो संबंधी आय में कार्गो से संबंधित सेवाएं प्रदान किए जाने पर प्राप्त आय सम्मिलित है तथा संबंधित सेवाएं पूर्ण किए जाने पर ही उनका उल्लेख किया जाएगा।

iii) बीओटी/ कैप्टिव उपयोग के आधार पर भूमि एवं जल क्षेत्र का लीज़

ए) बीओटी प्रचालकों से प्राप्त राजस्व का परिकलन, वितृतीय वर्ष के अंत तक वृद्धि आधार पर छूट / लाइसेन्स करार के अनुसरण में कोट किए गए % पर किया जाता है।

बी) सामान्य मुद्रास्फीति प्रवृत्ति के अनुरूप स्वतः वृद्धि युक्त प्रचालन लीज़ से आय को ठेके के शर्तों के अनुसार हिसाब किया जाता है।

सी) अन्य प्रचालन लीज़ से आय को लीज़ के शर्त के आधार पर उल्लेख किया जाता है।

डी) आकस्मिक किराए को उस अवधि के आय के रूप में उल्लेख किया जाता है जिसमें वे जमा किए जाते हैं।

iv) सम्मिश्र प्रशुल्क

समग्र टैरिफ उस अर्जित आमदनी का प्रतिनिधित्व करता है जो कैप्टिव उपयोगकर्ताओं को समग्र टैरिफ के रूप में देकर प्राप्त किया जाता है।

2) निवेशों से लाभांश आय का वहां उल्लेख किया जाता है जहां कंपनी को भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है तथा यह संभाव्य है कि लेन-देन के साथ संबद्ध आर्थिक लाभ कंपनी में सम्मिलित होते हैं और आय की रकम को विश्वसनीयता के साथ लिया जाता है।

3) ए) वित्तीय लिखतों से ब्याज़ की आय का वहां उल्लेख किया जाता है जहां संभाव्य आर्थिक लाभ कंपनी में सम्मिलित होते हैं और आय की रकम को विश्वसनीयता के साथ लिया जा सकता है। ब्याज से आय, बकाया मूलधन के संदर्भ में एवं लागू प्रभावी ब्याज़ दर द्वारा समय के आधार पर उपचयित होते हैं, वह दर है जो प्रारंभिक मान्यता पर उस साधन की शुद्ध वहन राशि के लिए वित्तीय साधनों के अपेक्षित जीवनकाल के माध्यम से अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को सटीक रूप से छूट देती है।

बी) विलम्बित/विवादित राजस्व पर ब्याज आय को वसूली के आधार पर मान्यता दी जाती है।

3.4. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण :

संचित अवमूलन एवं क्षति, यदि कोई हों तो उन्हें कम करते हुए संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों का उल्लेख किया जाता है। लागत यदि कोई हों तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र एंव उपकरण के उपयोग हेतु तैयार होने तक प्रबंधन की इच्छानुसार सीधे अधिग्रहण के साथ जोड़कर लाभ उठाया जाता है। कंपनी, सीधी-रेखा पद्धति इस्तेमाल करते हुए परिकलित उपयोगी उपयोगी चीज़ों पर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का अवमूलन करता है।

यदि और केवल तभी जब मद के साथ भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होते हैं तथा मद की लागत को विश्वसनीयता के साथ लिया जा सकता है। पिपिई मद की लागत नकद दर है जो उल्लेख की तारीख के समतुल्य है।

पिपिई मद की लागत में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

i) खरीद मूल्य, जिसमें आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य खरीद कर शामिल हैं, व्यापार छूट, छूट, करों/शुल्कों और उपकर को घटाने के बाद, जिस पर पूंजीगत वस्तुओं के लिए इनपुट क्रेडिट का लाभ उठाया गया है

ii) पिपिई को स्थान पर लाने के लिए सीधे लागत से जुड़े और प्रबंधन द्वारा निर्धारित पद्धतियों से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक शर्तें

iii) वस्तु का जिस पर वह स्थित है, उसके विखंडन एवं हटाने तथा उस स्थान को पुन: स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान।

संबंधित परिसंपत्ति वर्ग में वर्ष के दौरान दिए गए वर्ष में परिसंपत्ति के कमिशनिंग की तारीख तक लाभ प्राप्त करने के ऐसे आदेशों पर परियोजना दावे एवं ब्याज़ पर निर्विरोध माध्यूस्थम आदेशों के कारणण कंपनी द्वारा रकम देय हो जाते हैं। ठेकेदार को ऐसे आदेशों पर परिसंपत्ति के कमिशनिंग की तारीख के बाद ब्याज़ देय हो जाते हैं, उन्हें आदेश वर्ष में राजस्व व्यय के रूप में लिया जाता है।

जब संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के मद के भागों के भिन्न भिन्न उपयोग काल होते हैं, उन्हें संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण जैसे अलग-अलग (मुख्य घटक) मदों के अंतर्गत हिसाब किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के मद के निपटानों के लाभ एवं हानि को उनके वहनीय रकम के साथ निपटान से प्राप्ति राशि की तुलना द्वारा बताया जाता है तथा उन्हें लाभ या हानि की के विवरण में ''अन्य आय / अन्य व्यय'' के अंतर्गत नेट मूल्य में उल्लेख किए जाते हैं।

कंपनी ने उल्लेख के लिए लागत मॉडल का चयन किया है तथा उक्त मॉडल को सभी परिसंपत्तियों के वर्ग पर लागू किया जाता है। परिसंपत्ति के रूप में लेख प्राप्त करने के बाद पिपिई के मद को उसकी लागत के साथ बताया जाता है जो किसी भी प्रकार के संचित मूल्यह्रास तथा संचित हानि कम करते हुए किया जाता है।

प्रमुख मरम्मत एवं पूरी जांच मरम्मत की लागत :

कंपनी अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की वहन राशि में मद जिसे प्रतिस्थापित करने की व्ययित लागत, प्रमुख मरम्मत/ पूर्ण जांच मरम्मत की लागत का उल्लेख करती है, जब वे उल्लेख मानदण्डों को पूरा करते हैं। मद की मरम्मत/ पूरी जांच मरम्मत के शेष उपयोगी काल में प्रतिस्थापित भाग एवं मरम्मत की लागत के परिशोधन की वहन राशि को विमान्य किया जाता है।

3.5. अमूर्त परिसंपत्तियां

अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास एवं हानिक यदि कोई हों तो उन्हें कम करते हुए लागत पर उनका उल्लेख किया जाता है।

पहचान करने योग्य अमूर्त परिसंपत्तियों को वहां उल्लेख किया जाता है जहां परिसंपत्ति पर कंपनी का पूरा नियंत्रण होता है; यह संभव है कि संबंधित परिसंपत्तियों से प्रत्याशित भावी आर्थिक लाभ पूर्ण एक आर्थिक अवधि से अधिक समय के लिए कंपनी में सम्मिलित होते हैं। परिशोधन, सीधे लाइन पद्धति (एसएलएम) पर दिया जाता है जो अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों के उपयोगी काल के प्रबंधन आकलन बताता है।

निश्चित काल युक्त अमूर्त परिसंपत्तियों को उपयोगी आर्थिक काल पर परिशोधित किया जाता है तथा जब भी उक्त अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति की हानि हो सकने का संकेत मिले तो उसकी हानि के लिए मूल्यांकित किया जाता है। अन्य परिसंपत्ति के वहन मूल्य के भाग बनने तक निश्चित काल युक्त अमूर्त परिसंपत्तियों के हानि व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में उल्लेख किया जाता है।

3.6. मूल्यह्रास

पिपिई मद की मूल्यह्रास राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित पद्धति में बताए गए अनुसार सीधी रेखा आधार पर आबंटित किया जाता है।

पिपिई के मद के हर भाग की लागत जो परिसंपत्ति की कुल लागत से संबंधित है, वह परिसंपत्ति को अवमूल्यित करता है तथा उक्त भाग का उपयोगी काल परिसंपत्ति के शेष भाग से भिन्न होता है। ऐसे सभी मदों पर मूल्यह्रास उनके ''उपयोग के लिए उपलब्ध'' की तारीख से विक्रय/निपटान की तारीख दिया जाता है जिसमें अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की हानि भी सम्मिलित है। मुक्त भूमि का मूल्यह्रास नहीं होता है। पिपिई मद को निपटान पर या भावी आर्थिक लाभ के नहीं होने पर विमान्यीकृत किया जाता है जब उक्त परिसंपत्ति के सतत उपयोग से होने की आशा की जाती है। पोर्ट विशिष्ट परिसंपत्तियों के मामले में मूल्यह्रास को उस तारीख से निश्चित किया जाता है जहां से उन परिसंपत्तियों के जीवनकाल के अनुरूप ऐसे आदेश पारित और स्वीकृत किए जाते हैं।

3.7. उधार की लागतें

कंपनी, उधार की लागतों से लाभ प्राप्त करता है जो सीधा अधिग्रहण, संकीर्णन या अर्हक परिसंपत्ति से संबद्ध हैं तथा उत्पादन की परिसंपत्ति की लागत के एक भाग हैं। कंपनी, अन्य उधार लागतों का भी उल्लेख किया जाता है जो परिसंपत्ति की की लागत के एक भाग हैं। कंपनी अन्य उधार लागतों को संबंधित अवधि में व्यय के रूप में उल्लेख किया जाता है जिनका व्यय वह वहन करती है। एक अर्हक परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जो आवश्यक रूप से उसके उपयोग या विक्रय के लिए तैयार होने तक की अवधि का समय लेती है।

जहां तक कंपनी उधार लेती है, वह सामान्य रूप से अर्हक परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए उपयोग करती है, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागत की राशि की गणना, व्ययित राशि को पूंजीकरण दर पर लागू करके की जाती है। अर्हक परिसंपत्तियों के क्रय हेतु विशिष्ट रूप से लिए गए उधार को छोड़कर, पूंजीकरण दर को उधार की लागतों के भारित औसत पर निर्धारित किया जाता है। इनमें उधार की लागतों में समायोजन किए जाने तक विनिमय की भिन्नताएं सम्मिलित हैं।

3.8. विदेशी मुद्रा लेन-देन :

प्रकार्यात्मक मुद्राओं को छोड़कर अन्य मुद्रा में किए गए लेन-देनों को लेन-देन की तारीखों में प्रचालित विनिमय दरों उल्लेख की गई है।

हर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय मद वित्तीय मद जिन्हें विदेशी मुद्रा द्वारा अंकित किया गया है, उन्हें रिपोर्ट करने की तारीख पर प्रचालित दरों में रूपांतरित किया गया है।

विदेशी मुद्रा वित्तीय मदों को (अतिदेय प्राप्य का निष्पादन अनिश्चित है, उसे छोड़कर) भारतीय लेखांकन नीति-21 में उल्लिखित परिभाषा के अनुसार अंतिम दर इस्तेमाल करते हुए रूपांतरित किया जाता है। गैर-वित्तीय मदों को लेन-देन की तारीख के विनिमय दर इस्तेमाल करते हुए रिपोर्ट किया जाता है। विनिमय भिन्नता के लाभ/हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में उल्लेख किया गया है।

3.9. सरकारी अनुदान

सराकरी अनुदानों को जहां अनुदान के लिए प्राप्त होने के उचित आश्वासन के साथ संबंधित शर्तों का अनुपालन किया जाता है, वहां उल्लेख किया जाता है। इन अनुदानों को अनुदान की प्रवृत्ति के आधार पर परिसंपत्तियों या राजस्व से संबंधित अनुदान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

आरंभिक स्तर पर मूल्यह्रास योग्य संपत्तियों से संबंधित अनुदान को आस्थगित राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है तथा इसके क्रम में उन्हें ऐसे योगदान से परिसंपत्ति के उपयोगी काल के व्यवस्थित आधार पर आमतौर पर प्राप्त अवक्षयी परिसंपत्तियों पर प्रभारित मूल्यह्रास में उसी अनुपात में लाभ एवं हानि की विवरणिका में उल्लेख किया जाता है। प्राक्कलन में परिवर्तनों को परिसंपत्तियों के शेष जीवनकाल पर उत्तरव्यापी प्रभाव से उल्लेख किया जाता है।

राजस्व अनुदान के रूप में प्राप्त अनुदानों को संबंधित लागतों की अवधि के व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में उल्लेख किया जाता है जिसके लिए उसे क्षतिपूर्ति करनी है, उसका व्यय किया जाना है।

गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में अनुदान जैसे भूमि एवं अन्य स्रोतों को उचित मूल्य के रूप में उल्लेख किया जाता है, जिसे बुनियादी परिसंपत्ति के उपभोग लाभ के पैटर्न में प्रत्याशित उपयोग काल पर लाभ एवं हानि की विवरणिका में आस्थगित आय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

भारत योजना के अंतर्गत सेवा निर्यात (एसईआईएस) के अंतर्गत अनुदानों का वहां उल्लेख किया जाता है जहां अनुदान के साथ संलग्न शर्त पूर्ण किए गए हैं और यह कि अनुदान प्राप्त होने के उचित आश्वासन हैं। इन्हें उस अवधि में उल्लेख किया जाता है जिसमें उन्हें प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है यानी वह वर्ष जिसमें एसईआईएस अनुदान के लिए योग्य सेवाएं प्रदान की गई।

3.10. प्रावधान

प्रावधानों का वहां उल्लेख किया जाता है जहां कंपनी को पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान देयताएं (कानूनी अथवा निर्माणात्मक) हैं, संभव है कि दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता है तथा दायित्व की राशि से एक विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है।

प्रावधानों का हर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पुनरीक्षण किया जाता है तथा उन्हें वर्तमान उत्कृष्ट प्राक्कलन को का उल्लेख करने के लिए समायोजित किया जाता है। प्रावधान को तब वापस लिया जाता है जब दायित्व को निपटाने के लिए बाह्य प्रवाह के संगठनात्मक आर्थिक लाभों की आवश्यकता होने की संभावना नहीं है।

यदि वित्त के समय मूल्य का प्रभाव मातृक है प्रावधानों को वर्तमान पूर्व-कर दर इस्तेमाल करते हुए छूट दिया जाता है जो औचित्य के अनुसार देयताओं के लिए विशिष्ट खतरों को का उल्लेख करता है। जब छूट प्रदान करने की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है समय बीतने के साथ-साथ प्रावधान में बढ़ोतरी को वित्तीय लागत के रूप में उल्लेख किया जाता है।

3.11.आकस्मिक देयताएं/आस्तियां:

आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताओं का उल्लेख नहीं किया जाता है लेकिन उन्हें लेखा टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है जब कंपनी के पूर्व घटनाओं के कारण संभाव्य देयताएं हैं तथा देयताओं का अस्तित्व भावी घटनाओं के होने या न होने पर आधारित है जो पूर्ण रूप से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है।

आकस्मिक देयताओं का सतत मूल्यांकन, आर्थिक स्रोतों के बाह्य प्रवाह के होने या न होने की संभावनाओं को निश्चित करने के लिए किया जाता है। यदि बाह्य प्रवाह संभाव्य है तो वित्तीय विवरणिकाओं में संबद्ध प्रावधानों का उल्लेख किया जाता है।

जहां इकाई संयुक्त रूप से एवं पृथक रूप से दायित्व के लिए उत्तरदायी है, दायित्व का वह हिस्सा जो अन्य पार्टियों द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित है उसे भी एक आकस्मिक दायित्व के रूप में माना जाता है। इकाई किसी प्रावधान को देयता के उस भाग में उल्लेख किया जाता है जिसके लिए आर्थिक लाभ को रूप देनेवाले संसाधनों का बाह्य प्रवाह होना संभाव्य बन जाता है, केवल उन्हीं विरल स्थितियों को छोड़कर जहां कोई विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां:

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणिकाओं में उल्लेख नहीं की जाती है न ही उन्हें टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

3.12. कर्मचारी लाभ:

i) परिभाषित लाभ योजना :

उपादान, छुट्टी नकदीकरण/ लाभ एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान, अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि इस्तेमाल करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक लाभ एवं हानि युक्त पुन: मापन, परिसंपत्ति सीमा पर परिवर्तन का प्रभाव तथा ब्याज़ को छोड़कर योजना संपत्तियों पर वसूली (यदि लागू हो) को जिस अवधि में वे होते हैं उस अवधि में अन्य विस्तृत आय में चार्ज या क्रेडिट के साथ तुरंत वित्तीय स्थिति की विवरणिका में व्यक्त किया जाता है। पुन:मापन को अन्य विस्तृत आय में बताया जाता है जिसका आरक्षित आय में तुरंत उल्लेख किया जाता है तथा उसे लाभ या हानि की विवरणिका में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

ii) परिभाषित अंशदान योजना :

भविष्य निधि में अंशदान को वृद्धि आधार पर व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

iii) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ :

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ देयताओं को छूट रहित आधार पर लिया जाता है तथा संबंधित सेवाएं प्रदान किए जाने पर व्ययित होते हैं। यदि कंपनी द्वारा कर्मचारी प्रदत्त पूर्व सेवा के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या निर्माणात्मक दायित्वों की राशि का भुगतान किया जाना है तथा दायित्वों का प्राक्कलन विश्वसनीयता के साथ किया जाता है तो दायित्वों के प्रत्याशित भुगतान रकम का उल्लेख अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के अंतर्गत किया जाता है।

3.13. कर-निर्धारण

आयकर व्यय, वर्तमान कर एवं आस्थगित कर जोड़ का प्रतिनिधित्व करता है।

वर्तमान कर

वर्तमान कर, वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। लाभ और हानि विवरणिका तथा अन्य विस्तारित आय में रिपोर्ट किए गए अनुसार 'कर

योग्य लाभ" लाभ पूर्व कर से भिन्न है तथा उनका वर्गीकरण आगामी वर्षों में कर योग्य अथवा काट जा सकनेवाले आय या व्यय के मद में तथा कर योग्य न होने अथवा नहीं काटे जाने के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। कंपनी के वर्तमान कर का आकलन कर दर का प्रयोग करते हुए किया जाता है जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया जाता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को रिपोर्ट की जानेवाली तारीख वित्तीय उद्देश्यों के लिए तुलन पत्र पद्धति इस्तेमाल करते हुए कर आधार एवं परिसंपत्तियों के बीच स्थायी भिन्नताएं तथा वहन राशियों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है।

हर रिपोर्टिंग तारीख पर वहन राशि के आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनरीक्षण किया जाता है तथा उसे उस हद तक घटाया जाता है जहां तक परिसंपत्ति के पूर्ण अथवा किसी भाग के उपयोग की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ होने की कोई संभावना नहीं है। हर रिपोर्टिंग तारीख पर अमान्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुन: पुनरीक्षण किया जाता है तथा वहां तक मान्यता दी जाती है जहां तक वे आगामी कर योग्य लाभ, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को वसूल करने की अनुमति देंगे।

आस्थगित कर देयताओं एवं परिसंपत्तियों को उन कर दरों पर मापा जाता है जिन्हें उन कर दरों को अधिनियमित अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित किए गए हैं जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उस अवधि में लागू किए जाने की प्रत्याशा होती है जिसमें देयता को निपटाया गया हो अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की गई।

यदि वर्तमान आयकर देयताओं के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों को निर्धारित करने का वैधानिक प्रवर्तनीय अधिकार है जहां आस्थगित कर परिसंपत्तियां एवं आस्थगित कर देयताओं को निर्धारित किया जाता सकता है तथा आस्थगित कर, वही कर योग्य मद एवं वही कर निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित है।

आस्थगित कर देयताओं एवं परिसंपत्तियों को निपटाने के बाद उनके प्रमुख घटकों के पृथकों के रूप में तुलन पत्र की तारीख प्राप्त की जाती है।

वर्ष के लिए वर्तमान एवं आस्थगित कर

वर्ष के लिए वर्तमान एवं आस्थगित कर उन मदों से संबंधित हैं जो अन्य विस्तृत आय में या सीधे इक्विटी में उल्लेख किए जाते हैंलाभ या हानि में वर्तमान एवं आस्थगित कर का उल्लेख किया जाता है तथा इस मामले में वर्तमान एवं आस्थगित कर भी अन्य विस्तृत आय में या सीधे ईक्विटी में मान्य बन जाते हैं। जहां किसी व्यावसायिक संयोग के लिए प्रारंभिक लेखा से वर्तमान कर या आस्थगित कर निर्धारित होते हैं, कर प्रभाव, व्यावसायिक संयोग के लिए लेखा में सम्मिलित किए जाते हैं।

3.14. नुकसान :

यदि किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि (या नकद पैदा करनेवाली इकाई/ अचल संपत्ति) को उसकी वहन राशि से कम बताया जाता है तो परिसंपत्ति की वहन राशि (या नकद पैदा करनेवाली इकाई) को उसकी वसूली योग्य राशि तक कम किया जाता है।

वसूली योग्य राशि, निपटान की लागत और उपयोग में मूल्य घटा उचित मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्यांकन मूल्य में प्राकलित भावी नकद प्रवाह को रकम के समय मूल्य के वर्तमान मार्केट मूल्यांकन बतानेवाले पूर्व-कर छूट दर एवं परिसंपत्ति के वे विशिष्ट जोखिम जिनके भावी नकद प्रवाह के प्राक्कलनों को समायोजित नहीं किया गया है, उनका प्रयोग करते हुए उनके वर्तमान मूल्य तक छूट दी जाती है।

जब नुकसान के उत्क्रमण को परिसंपत्ति की वहन राशि (या नकद पैदा करनेवाली इकाई) को उसकी वसूली योग्य राशि के पुनरीक्षित प्राक्कलन तक बढ़ाया जाता है ताकि बढ़ी हुई वहन राशि, मूल वहन राशि से अधिक न हो जाए जिससे कि पूर्व वर्षों में परिसंपत्ति (या नकद राशि पैदा करनेवाली इकाई) के लिए नुकसान न होने की स्थिति बताई जाए। किसी हानि के उत्क्रमण का उल्लेख तब तक लाभ एवं हानि की विवरणिका में तुरंत किया जाता है जब तक संबंधित परिसंपत्ति को पुन:मूल्यित राशि में लाया न जाए, तथा इस मामले में हानि के उत्क्रमण को पुन:मूल्यांकन बढ़ोतरी के रूप में लिया जाता है।

हर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी अपने मूर्त, अमूर्त परिसंपत्तियों की वहन राशियों का पुनरीक्षण करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन परिसंपत्तियों की हानि हुई है या नहीं। यदि कोई ऐसा संकेत मिलता है तो परिसंपत्ति की वसूली की राशि सही है या नहीं। यदि ऐसा कोई संकेत है तो परिसंपत्ति की वसूली की राशि का प्राक्कलन किया जाता है ताकि हानि की स्थिति (यदि कोई हो) निश्चित की जा सके। जब किसी निश्चित परिसंपत्ति की वसूली राशि का प्राक्कलन किया जाना संभव नहीं है तो कंपनी नकद पैदा करनेवाली इकाई की वसूली राशि का प्राक्कलन करती है जिसके अंतर्गत उक्त परिसंपत्ति आती है।

कम से कम वर्ष में एक बार या जब भी परिसंपत्ति की हानि के संकेत मिलने पर हानि के अनिश्चित उपयोग काल युक्त अमूर्त परिसंपत्ति एवं उपयोग हेतु अनुपलब्ध अमूर्त परिसंपत्तियों का परीक्षण किया जाता है।

3.15.प्रति शेयर अर्जन:

प्रति इक्विटी के मूल आय परिकलन, अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कंपनी के इक्विटी धारकों को मिलने वाले शुद्ध लाभ को विभाजित करते हुए किया जाता है। प्रति इक्विटी की

सुसृत कमाई का परिकलन, कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण होने वाले शुद्ध लाभ को प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करते हुए किया जाता है जो सभी संभाव्य सुसृत कमाई इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किए जाते हैं।

3.16. वित्तीय उपकरण :

i) गैर-व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण :

गैर-व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों में :

- वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद एवं नकद समतुल्य, व्यवसाय प्राप्ति, कर्मचारी अग्रिम, अन्य अग्रिम, सुरक्षा जमा, इक्विटी सुरक्षाओं में निवेश तथा अन्य अर्हक वर्तमान/गैर-वर्तमान वरिसंपत्तियां सम्मिलित हैं;
- वित्तीय देयताओं में दीर्घ/ अल्पकालिक ऋण, ऋण, व्यवसाय भुगतान राशियां, सुरक्षा जमा, अवरोधन एवं अन्य अर्हक वर्तमान/ गैर-वर्तमान वरिसंपत्तियां सम्मिलित हैं;

गैर-व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों का उल्लेख, आरंभ में उचित मूल्य में किया जाता है जिसमें उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर लाभ एवं हानि की विवरणिका में मापित उचित मूल्य पर मापित वित्तीय उपकरणों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों को अमान्य तब किया जाता है जब वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व पारितोषों के पर्याप्त जोखिम एवं प्राप्तियों को हस्तांतरित किया गया है। उन मामलों में जहां परिसंपत्तियों के जोखिम एवं पारितोष न ही हस्तांतरित हैं, न ही कायम रखे जाते हैं, वहां वित्तीय परिसंपत्तियों को तभी अमान्य किया जाता है जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण कायम नहीं किया है।

प्रारंभिक मान्यता के क्रम में गैर-व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों का वर्णन निम्नानुसार किया जाता है

ए) निवेश :

सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम एवं असोसियेट कंपनियों के ईक्विटी शेयरों को भारतीय लेखांकन मानक 27 – पृथक वित्तीय विवरणिकाओं की आवश्यकताओं के अनुसार लागत के अंतर्गत उल्लेख किया जाता है। जहां भी लागू हो, भारतीय लेखांकन मानक 36 – परिसंपत्तियों की हानि के अनुसार ऐसे निवेशों के मूल्य में हानि के लिए प्रावधान किया जाता है। हर रिपोर्टिंग तारीख पर इन निवेशों की वहन राशि का पुनरीक्षण किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किसी नुकसान का संकेत है या नहीं। यदि ऐसा कोई संकेत मिलता है तो निवेश की वसूल योग्य राशि का आकलन किया जाता है और यदि कोई नुकसान हों तो उन्हें लाभ एवं हानि की विवरणिका में डाला जाता है।

अन्य किसी भी ईक्विटी निवेशों के प्रारंभिक मान्यता पर जिसे ट्रेडिंग के लिए नहीं रखा गया हो, कंपनी ने कंपनी ने अपरिवर्तनीय रूप से निवेश के उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को ओसीआई (एफवीओसीआई - इक्विटी निवेश के रूप में नामित) में प्रस्तुत करने का चुनाव किया है। यह चुनाव, निवेश-दर-निवेश के आधार पर किया जाता है। ऐसे निवेशों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मापा जाता है तथा उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को अन्य विस्तृत आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि ऐसे निवेशों के निपटान पर लाभ या हानि में स्थानांतरित नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें इक्विटी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभांश को लाभ या हानि में तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, बशर्ते कि वे निवेश पर प्रतिफल दर्शाते हों।

अन्य सभी इक्विटी निवेशों को प्रारंभिक मान्यता के समय एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि उपकरण को इक्विटी के लिए एफवीओसीआइ के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अपरिवर्तनीय नाम नहीं दिया जाता है।

बी) ऋण व प्राप्य

ऋण एवं प्राप्तियां, सक्रिय मार्केट में कोट नहीं किए गए नियत अथवा निर्धारित करने योग्य गैर-व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां हैं। उन्हें वर्तमान परिसंपत्तियों में प्रस्तुत किया जाता है, केवल उन्हें छोड़कर जो 12 महीनों से अधिक अवधि के बाद में मैच्यूरिटी होते हैं तथा उन्हें रिपोर्टिंग तारीख के बाद गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में प्रस्तुत किया जाता है। आरंभ में ऋण एवं प्राप्तियों को उचित मूल्य जोड़ सीधे रोप्य लेन-देन लागतों के रूप में उल्लेख किया जाता है तथा किसी भी प्रकार की हानि को घटाकर प्रभावी ब्याज दर पद्धतियों का इस्तेमाल करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऋण एवं प्राप्तियों में व्यवसाय प्राप्तियां, बिल नहीं किए गए राजस्व, कर्मचारी अग्रिम, सुरक्षा जमा भुगतान एवं अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं।

कंपनी, कंपनी के प्राप्य योग्य ऐतिहासिक भुगतान पैटर्नों, ग्राहक

कॉन्सनट्रेशन, ग्राहक क्रेडिट क्षमता एवं वर्तमान आर्थिक प्रवृत्तियों द्वारा इकत्रित नहीं हो पाने वाले लेखाओं का प्राक्कलन करता है। यदि ग्राहक की वित्तीय स्थिति खराब होती है, यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त भत्ताओं के लिए मूल्यांकित किया जाता है।

सी) व्यवसाय एवं अन्य भुगतान :

आरंभ में व्यवसाय एवं अन्य भुगतानों को उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है तथा उसके बाद प्रभावी ब्याज़ पद्धति इस्तेमाल करते हुए परिशोधित लागत में किया जाता है। इन वित्तीय उपकरणों के लिए वहन राशियां इन उपकरणों की अल्पकालिक मेच्यूरिटी के कारण लगभग उचित मूल्य के समतुल्य होते हैं।

डी) सुरक्षा जमा

प्रारंभ में सुरक्षा जमाओं को उचित मूल्य जोड सीधे सीधे रोप्य लेन-देन लागतों में उल्लेख किया जाता है तथा बाद में उसे किसी भी प्रकार की हानि कम करते हुए प्रभावी ब्याज़ पद्धति द्वारा परिशोधित लागत में मापा जाता

ई) कर मुक्त बॉण्ड :

प्रारंभ में कर मुक्त बॉण्डों को लेन-देन लागतों के उचित मूल्य लागतों में उल्लेख किया जाता है। आगामी अवधियों में कर मुक्त बॉण्डों को प्रभावी ब्याज़ पद्धति इस्तेमाल करते हुए परिशोधित लागत में प्रस्तुत किया जाता है। ब्याज़ व्ययों को प्रभावी ब्याज़ दर इस्तेमाल करते हुए परिशोधित लागतों में बताया जाता है। ब्याज़ व्ययों को प्रभावी ब्याज़ दर इस्तेमाल करते हुए कर मुक्त बॉण्डों के जीवनकाल पर वित्तीय व्यय के रूप में लाभ या हानि की विवरणिका में बताया जाता है।

ii) वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

लाभ एवं हानि द्वारा उचित मूल्य की वित्तीय परिसंपत्तियों (एफवीटीपीएल) से अलग ये वित्तीय परिसंपत्तियों को हर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में हानि के संकेतकों को मूल्यांकित किया जाता है। उन वित्तीय परिसंपत्तियों को हानि के अंतर्गत बताया जाता है जब वित्तीय परिसंपत्ति की प्रारंभिक मान्यता के बाद होनेवाली एक या उससे अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप उद्देश्यपरक सबूत होने पर, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्राक्कलित भावी राशि प्रभावित हुए हैं तब उन्हें नष्ट माना जाता है। विक्रय के लिए उपलब्ध निवेश (एएफएस) हेतु अपनी लागत से कम सुरक्षाओं के उचित मूल्य में काफी अधिक या काफी समय के लिए ह्रास दिखाई देते हैं।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि के उद्देश्यपरक सबूत में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकते हैं :

- जारी करनेवाले अथवा प्रतिस्थानी में अत्यधिक वित्तीय कठिनाई;
- ब्याज़ अथवा प्रधान भुगतानों में गलती या अपचार जैसा ठेका उल्लंघन;
- वित्तीय कठिनाइयों के कारण संभव है कि ऋणी दिवाला या वित्तीय पुनर्गठन के लिए जाएंगे; अथवा उक्त वित्तीय परिसंपत्ति हेतु सक्रिय मार्केट लुप्त हो।

व्यवसाय प्राप्ति जैसे वित्तीय परिसंपत्तियों के कुछ वर्गों को पृथक पृथक रूप में हानि के लिए मूल्यांकित किया जाता है। प्राप्यताओं के पोर्टफोलियो में उद्देश्यपरक सबूत की हानि में कंपनी के भुगतान इकत्रीकरण में पूर्व अनुभव के साथ साथ राष्ट्रीय या स्थानीय आर्थिक स्थितियों में प्राप्यताओं पर व्यतिक्रम के साथ संबद्धता स्थापित करते हैं।

उन वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो लागत पर वहन किए जाते हैं, उनके लिए हानि की राशि को वहन राशि युक्त परिसंपत्तियां एवं ऐसी ही वित्तीय परिसंपत्ति के लिए वसूली के वर्तमान मार्केट दर पर प्राक्कलित भावी नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बीच भिन्नता को हानि के रूप में लिया जाता है। आगामी अवधियों में ऐसी हानि का उत्क्रम नहीं किया जाएगा।

व्यवसाय प्राप्यों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्ति की वहन राशि को सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए सीधे हानि द्वारा कम किया जाता है, ऐसी हानि को संबंधित वित्तीय परिसंपत्ति के लिए एक भत्ता लेखा के उपयोग द्वारा कम किया जाता है। जब व्यवसाय प्राप्य को इकत्रित न कर पाने के अंतर्गत माना जाता है तथा उसे भत्ता लेखा के अंतर्गत भट्टे खाते में डाला जाता है। भट्टे खाते में डाले उसके बाद की वसूली राशियों को भत्ता लेखा के अंतर्गत क्रेडिट किया जाता है। भत्ता लेखा की वहन राशि में परिवर्तनों का उल्लेख लाभ एवं हानि की विवरणिका में किया जाता है।

परिशोधित लागत में मापित वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए यदि बाद की अवधि में हानि कम होती है और हानि की पहचान करने के बाद में होनेवाली घटना के साथ में उद्देश्यपरक रूप से उस कमी के साथ में संबद्धता बताया जा सकता है, पूर्व में मान्य हानि को उस हद तक लाभ एवं हानि की विवरणिका में उत्क्रमित किया जाता है जहां तक हानि के उत्क्रमण की तारीख के निवेश पर वहन राशि परिशोधित लागत से अधिक न हो यदि उस हानि की पहचान नहीं की जाती।

iii) वित्तीय परिसंपत्तियों का विमान्यीकरण

कंपनी, एक वित्तीय परिसंपत्ति को तब विमान्यीकृत करती है जब परिसंपत्ति से नकद प्रवाह तक ठेके के अधिकार लुप्त हो जाते हैं या जब वित्तीय परिसंपत्ति तथा मांग एवं स्वामित्व के पारितोषों को किसी दूसरे पार्टी को हस्तांतरित किया जाता है। यदि कंपनी सभी जोखिमों एवं

स्वामित्व के पारितोषों को न ही हस्तांतरित करती है और न ही अपने पास कायम रखती है और उन्हें हस्तांतरित परिसंपत्ति को नियंत्रित करती है, कंपनी अपनी कायम रखी वस्तु को पहचानती है तो परिसंपत्ति एवं संभाव्य देयताओं की रकम का भुगतानों में अपनी दिलचस्पी प्रकट करती है। यदि कंपनी हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं स्वामित्व के पारितोषों को कायम रखती है तथा परिसंपत्ति को सतत मान्यता देती है तो वह प्राप्तियों के लिए संपार्श्विक उधार को भी मान्यता देती है।

किसी समग्र वित्तीय परिसंपत्ति के विमान्यीकरण पर परिसंपत्ति की वहन राशि एवं प्राप्त एवं प्राप्य प्रतिफल तथा संचित लाभ या हानि के जोड़ के बीच भिन्नता जिसे अन्य विस्तृत आय एवं इक्विटी में संचय को लाभ या हानि में उल्लेख किया जाता है।

3.17. खण्ड सूचना

कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को भारतीय लेखांकन मानक-108, ''प्रचालनात्मक खण्ड'' प्रस्तुत परिभाषा के अनुसार मुख्य निर्णय लेनेवाले (सीओडीएम) व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। कंपनी के सीएमडी पृथक वित्तीय विवरणिकाओं पर आधारित खण्डों के आधार पर मूल्यांकित करता है। प्रबंधन, भारत में प्रदत्त ''पोर्ट सेवाओं'' को एक एकल रिपोर्टेबल व्यवसाय / भौगोलिक खण्ड मानता है। पूर्व अवधि

3.18. पूर्व अवधि

पूर्व अवधि (अवधियों) से संबद्ध सामग्री राशि में गलतियों को पूर्व अवधि गलतियों की प्रवृत्ति युक्त नोट द्वारा प्रकट किया जाता है, ऐसी प्रत्येक पूर्व अवधि के सुधार की मात्रा उस हद तक जो प्रति शेयर के मूल एवं सुस्त कमाई व्यावहारिक परिवर्तन के साथ पूर्वव्यापी रूप से प्रस्तुत की गई हो। तथापि, जहां पूर्वव्यापी पुन:विवरणिका किसी विशिष्ट अवधि के लिए व्यावहारिक नहीं है, ऐसी परिस्थितियों तक ले जानेवाली स्थिति तथा गलती कैसे और कब हुई के विवरणों के साथ उन्हें ठीक करते हुए लेखा पर टिप्पणी में प्रकट किया जाता है।

3.19 पट्टा

कंपनी, ठेके के प्रारंभ में ठेके के विवरण उसकी सटीकता एवं लीज़ जैसे विवरणों को मूल्यांकित करती है। अर्थात् क्या वह ठेका किसी पहचान की गई परिसंपत्ति किसी निश्चित रकम के बदले में निश्चित अवधि के लिए उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

पट्टेदार के रूप में

कंपनी, अल्पकालिक लीज़ एवं निम्न-मूल्य परिसंपत्तियों के लीज़ों को छोड़कर सभी लीज़ों पर एक ही प्रकार की मान्यता एवं मापन पद्धति लागू करती है। साथ ही कंपनी द्वारा लीज़ भुगतान करनेवाली देयताओं तथा विचाराधीन आठ प्रकार के परिसंपत्ति उपयोग अधिकार संबंधी लीज़ का उल्लेख किया गया है।

i) परिसंपत्ति उपयोग अधिकार

कंपनी, परिसंपत्ति उपयोग अधिकार ("आरओयू परिसंपत्तियां") का उल्लेख लीज़ (यानी वह तारीख जिसमें विचाराधीन परिसंपत्ति उपयोग हेतु उपलब्ध है) की प्रारंभिक तारीख पर करती है। परिसंपत्ति उपयोग अधिकार को लागत पर,मूल्यह्रास एवं हानि घटाकर, तथा लीज़ देयताओं के पुन: मापन के लिए समायोजन पर मापा जाता है। परिसंपत्ति उपयोग अधिकार की लागत में मान्य पट्टा देयताएं, व्ययित प्रारंभिक सीधी लागतें तथा प्रारंभिक तारीख से पहले या बाद में भुगतानित लीज़ घटाकर प्राप्त पट्टा प्रोत्साहन सम्मिलित हैं। परिसंपत्ति उपयोग अधिकार का मूल्यह्रास का आकलन, अल्पकालिक पट्टा अवधि की सीधी रेखा आधार पर किया जाता है तथा परिसंपत्तियों के उपयोगकाल पर प्राक्कलन किया जाता है।

यदि पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों का स्वामित्व कंपनी को लीज़ अवधि के अंत में हस्तांतरित किए गए हैं, तो लागत क्रय विकल्प के अधिकार बताती है तथा परिसंपत्ति के प्राक्कलित उपयोगकाल इस्तेमाल करते हुए मूल्यह्रास का प्राक्कलन किया जाता है। परिसंपत्तियों के परिसंपत्ति उपयोग अधिकार पर भी हानि लागू होती है। कृपया गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के अनुभाग (I) की लेखा नीतियों का संदर्भ लें।

ii) पट्टा की देयताएं

पट्टा की प्रारंभिक तारीख पर कंपनी, पट्टा देयताओं का उल्लेख पट्टा की अवधि पर किए जानेवाले पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य किया जाता है। पट्टाभुगतानों में नियत भुगतान (निश्चित नियत भुगतानों के साथ) सम्मिलित हैं, प्राप्य कोई पट्टाप्रोत्साहन, किसी इंडेक्स या दर पर निर्भर विविध पट्टा भुगतान को घटाकर मापा जाता है तथा भुगतान की जानेवाली राशियों को शेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत किया जाता है। पट्टाभुगतानों में कंपनी द्वारा निश्चित रूप से किए जानेवाले कुछ क्रय विकल्प के विकल्प प्रयोग मूल्य तथा यदि पट्टा की अवधि पट्टा समाप्त करने के लिए देयताएं भी सम्मिलित हैं। वे विविध पट्टा भुगतान जो किसी इंडेक्स या दर पर निर्भर नहीं है, उन्हें उस अवधि के व्यय में उल्लेख किया जाता है जिसमें वह घटना या स्थिति, भुगतान की स्थिति पैदा करता है। पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य के आकलन में कंपनी, पट्टा प्रारंभ की तारीख पर अपने वृद्धिशील ऋण दर का प्रयोग करती है क्योंकि पट्टा में अस्पष्ट ब्याज़ दर सीधे निर्धारित नहीं किया जा सकता। प्रारंभिक तारीख के बाद पट्टादेयताओं की राशि में वृद्धि की जाती है ताकि ब्याज़ का संचयन बताया जा सके तथा

भुगतानित पट्टा भुगतानों के लिए कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त पट्टा देयताओं की वहन राशि को तब मापा जाता है जब पट्टा अवधि में रूपांतरण, परिवर्तन (उदाहरण के लिए भावी भुगतानों में परिवर्तन जो ऐसे भुगतानों को निर्धारित करने के लिए इंडैक्स या दर में परिवर्तन का प्रयोग किया जाता है) होने पर या कोई विचाराधीन परिसंपत्ति के क्रय विकल्प के लिए मूल्यांकन में परिवर्तन होता है। पट्टा देयताओं को ''अन्य वित्तीय देयता'' शीर्ष के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

iii) अल्पकालिक पट्टा एवं निम्न-मूल्य परिसंपत्तियों के लिए पट्टा

कंपनी अपने अल्पकालिक पट्टों (यानी वे लीज़ जिसमें प्रारंभ की तारीख से 12 महीने या उससे कम अवधि की लीज़ अवधि हो तथा उसमें क्रय विकल्प नहीं होता) पर पट्टा मान्यता छूट लागू करता है। इसपर निम्न-मूल्य परिसंपत्ति मान्यता छूट भी लागू करता है जिन्हें निम्न-मूल्य माना जाता है। अल्पकालिक भुगतानों पर पट्टा भुगतान एवं निम्न-मूल्य की परिसंपत्तियों को पट्टा अवधि पर सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में उल्लेख किया जाता है।

पट्टा दाता के रूप में

वे लीज़ जिसमें कंपनी किसी परिसंपत्ति के सभी जोखिम एवं स्वामित्व पारितोष को हस्तांतरित नहीं करती, उन्हें प्रचालित पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रचालित लीज़ों से किराए आय को संबंधित पट्टा की अवधि पर सीधी रेखा पर लिया जाता है। आरंभिक सीधी लागतें जो बातचीत में तथा प्रचालन पट्टा की व्यवस्था करने के लिए व्ययित होती हैं, उन्हें परिसंपत्ति की वहन राशि के साथ जोड़ा जाता है तथा उन्हें किराए आय की तरह उसी आधार पर उल्लेख किया जाता है। आकस्मिक किरायों को अर्जन की अवधि में राजस्व के रूप में उल्लेख किया जाता है। है। आकस्मिक भाड़ों को उस अवधि में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वो अर्जित होते हैं।

पट्टा को वित्तीय लीज़ के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब कंपनी से परिसंपत्ति के सभी जोखिम एवं स्वामित्व के पारितोषों को ठेकेदार को हस्तांतरित करती है। ठेकेदार से वित्तीय पट्टा से राशियों का उल्लेख पट्टा में कंपनी के कुल निवेशों पर प्राप्य के रूप में उल्लेख किया जाता है। वित्त पट्टा आय को लेखा अवधियों में आबंटित किया जाता है ताकि पट्टा के संबंध में बकाया कुल निवेश पर वसूली के स्थिर आवधिक दर बताया जा सके।

3.20 प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण:

कंपनी, तुलन पत्र में वर्तमान / गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करता है, यदि :

ए) वह कंपनी के सामान्य साइकिल में उनके वसूल किए जाने अथवा बेचे जाने अथवा उपभोग किए जाने की प्रत्याशा है;

बी) इस मूल रूप से ट्रेड करने के लिए रखा जाता है ;

सी) इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद में बारह महीनों के अंदर वसूल किए जाने की संभावना है; अथवा

डी) यह नकद है अथवा नकद के समतुल्य है, इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों तक के लिए देयता निपटाने के लिए गदला जाता है या उसका उपयोग किया जाता है।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एक देयता को वर्तमान के रूप में तभी वर्गीकृत किया जाता है यदि :

(ए) उसे सामान्य प्रचालन साइकिल में निपटाए जाने की संभावना है;

(बी) इस मूल रूप से ट्रेड करने के लिए रखा जाता है ;

(सी) इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद में बारह महीनों के अंदर वसूल किए जाने की संभावना है;

(डी) रिपोर्टिंग अवधि के बाद में कम से कम बारह महीनों के लिए देयता निपटान को विलंबित करने की कोई शर्त रहित अधिकार नहीं है अन्य सभी देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा नकद में तथा नकद के समतुल्य रूप में उनके प्रक्रण एवं वसूली के बीच में निहित समय को ही प्रचालन साइकिल माना जाता है।

कंपनी का सामान्य प्रचालन चक्र बारह महीने है।

3.21 शेयरहोल्डरों में लाभांश वितरण :

बोर्ड के निदेशकों द्वारा प्रस्तावित लाभांशों को वित्तीय विवरणिकाओं में तब उल्लेख किया जाता है जब उन्हें वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरहोल्डरों का अनुमोदन मिल जाता है।

3.22. पूर्व भुगतानित व्यय

हर शीर्ष के अंतर्गत राजस्व व्यय को वर्तमान वर्ष में तथा रकम के रु.20,000 से अधिक होने पर पूर्व भुगतानित में अलग किया जाता है।

3.23.मोचन निषेध के लिए प्रीमिया

ऋणों या कोई भी अन्य भाग के लिए मोचन निषेध के लिए प्रीमिया का उल्लेख वर्ष के वित्तीय लागत के अंतर्गत उल्लेख किया जाता है जिसमें मोचन निषेध प्रभावित हुआ है।

3.24. परिनिर्धारित नुकसान

परिनिर्धारित नुकसान को असंशय आधार पर उल्लेख किया जाता है।

3.25. नकद प्रवाह विवरणिका

नकद प्रवाह विवरणिका को अप्रत्यक्ष पद्धति इस्तेमाल करते हुए रिपोर्ट किया जाता है। नकद प्रवाह के विवरणिका के उद्देश्य के लिए नकद एवं नकद के समतुल्य में, बैंक में उपलब्ध तथा बैंक में मांग जमा, कुल बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट भी सम्मिलित हैं जो मांग पर चुकाने योग्य होते हैं और कंपनी की नकदी प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माने जाते हैं।

4. संपत्ति, संयंत्र व उपकरण

(रुपये लाखो में)

विवरण	1 अप्रैल 2024 को सकल वहन मूल्य	जोड़	निपटान / समायोजन	1 मार्च 2025 को सकल वहन मूल्य	1 अप्रैल 2024 तक संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	निपटान / समायोजन	31 मार्च 2025 तक संचित मूल्यह्रास	31 मार्च 2025 तक वहन मूल्य
भूमि	63,952.64	-	-	63,952.64				-	63,952.64
भवन, शेड और अन्य संरचनाएं	21,999.52	115.61	-	22,115.14	2,480.36	480.69	-	2,961.04	19,154.09
वार्फ्स एवं सीमाएं	64,485.91	-	-	64,485.91	12,722.70	1,536.35	-	14,259.04	50,226.86
रोड	30,048.76	331.26	-	30,380.02	7,435.19	2,615.35	-	10,050.54	20,329.48
रेलवे ट्रैक और सिग्नलिंग व्यवस्था	8,795.38	16,612.50		25,407.88	4,518.49	1,454.63	-	5,973.12	19,434.76
डॉक, सीवॉल, पायर और ब्रेक वॉटर	72,034.64	-	-	72,034.64	14,946.55	937.10	-	15,883.65	56,150.98
नैविगेशनल हायता	381.67	-	-	381.67	316.83	6.61	-	323.45	58.22
वाहन	198.41	15.53	-	213.94	124.35	21.66	-	146.00	67.93
इलेक्ट्रिकल संस्थापन	2,521.92	338.70	-	2,860.62	1,626.08	148.57	-	1,774.65	1,085.97
पानी, संचार के संस्थापन	306.19	-	-	306.19	184.51	8.69	-	193.19	113.00
इलेक्ट्रिकल अप्लायेन्स	261.52	23.01	-	284.53	181.24	18.98	-	200.22	84.31
कार्यालय उपकरण	457.85	50.18	-	508.03	220.54	53.73	-	274.28	233.75
फर्नीचर और फिटिंग	1,150.01	0.23	-	1,150.24	737.88	89.78	-	827.66	322.58
कंप्यूटर	1,161.73	150.13	-	1,311.86	941.21	77.86	-	1,019.07	292.79
पोर्ट बेसिन और प्रवेश चैनल	104,965.37	-	-	104,965.37	15,219.76	934.96	-	16,154.71	88,810.65
संयंत्र एवं मशीनरी	3,222.28	163.53	-	3,385.81	1,357.38	172.97	-	1,530.35	1,855.46
सुरक्षा परिसंपत्ति	93.16	-	-	93.16	68.66	7.61	-	76.27	16.89
कुल	**376,036.94**	**17,800.69**	**0.00**	**3,93,837.63**	**63,081.74**	**8,565.51**	**0.00**	**71,647.25**	**322,190.39**
पूर्व वर्ष	**326,981.85**	**49,066.20**	**-11.11**	**3,76,036.94**	**55,760.52**	**7,329.28**	**-8.08**	**63,081.72**	**312,955.22**

(i) a) कंपनी के पास तमिलनाडु सरकार, टीएनईबी, टीआईडीसीओ और वाणिज्य मंत्रालय के नमक विभाग से अधिगृहीत 2802.49 एकड़ जमीन है, जिसमें से 2787.27 एकड़ कंपनी के कब्जे में है, शेष 15.22 एकड़ जमीन पर अभी कब्जा लिया जाना बाकी है तथा उक्त जमीनें मुकदमे के अधीन थे। मुकदमे के तहत 15.22 एकड़ जमीन में से, श्रीमती पप्पा और थिरु पी. सेल्वराज ने क्रमश: दो रिट याचिकाएं डब्ल्यूपी संख्या 26041/2001 और 26042/2001 दायर किया, जिनसे भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जमीन वापस प्राप्त किया गया। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 19.11.2019 के फैसले द्वारा जहां तक याचिकाकर्ताओं की भूमि का संबंध था, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत अधिसूचना को तथा धारा 6 के अंतर्गत घोषणा को रद्द किया। न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत नई अधिसूचना जारी कर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नए सिरे से शुरू करने की सलाह दी।

b) कंपनी ने डबल्यू.पी. संख्या 26041/2001 और 26042/2001 के मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 19.11.2019 के निर्णय के विरुद्ध अपील न करने का निर्णय लिया

(ii) a) कंपनी ने टिड्को से 950 एकड़ भूमि खरीदी, जिसमें से 297.98 एकड़ भूमि कंपनी के नाम पर पंजीकृत है, 2.02 एकड़ सरकारी पोरोमबोक भूमि है, जिसके लिए हस्तांतरण प्रक्रिया जारी है तथा शेष 650 एकड़ भूमि के लिए स्वामित्व हस्तांतरण प्रक्रिया जारी है।

b) कंपनी ने टैनजेडको से 1092.20 एकड़ की भूमि का क्रय किया है जिसमें से 995.05 ऐकड़ की भूमि को कंपनी के नाम से पंजीकृत किया गया तथा शेष 97.15 एकड़ की सरकारी पोरमबोक भूमि की सवामितव हसतांतरण प्रक्रिया जारी है।

c) कंपनी ने लवण विभाग से 712.42 एकड़ भूमि का क्रय किया है तथा उसे कंपनी के नाम से पंजीकृत किया है।.

d) कंपनी ने तमिलनाडु सरकार से 31.96 भूमि का क्रय किया है जिसमें से 0.31 एकड़ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पुन: प्राप्त किया गया तथा उक्‍त की प्रतिपूर्ति गलती से श्री एतिराज को प्रदान किया गया। इस मामले को माननीय मद्रास उचच नयायालय के समक्ष प्रसतुत किया गया तथा माननीय उचच नयायालय ने श्री एतिराज को प्रतिपूर्ति की रकम वापस करने का निदेश दिया। रकम वापस प्राप्त की गई तथा उसे उप-नयायालय, पोन्नेरी में जमा किया गया। तिरुवल्लूर के जिला कलेकटर ने नयायालय के निदेश पर उप-नयायालय पोन्नेरी से जमा की गई प्रतिपूर्ति रकम को वसूल करने के लिए कार्रवाई शुरु कर दी है।

e) कंपनी ने रेलवे साइडिंग के लिए तमिलनाडु सरकार से 0.69 एकड़ भूमि का क्रय किया है तथा पट्टा प्राप्त किया है।

(iii) कंपनी ने मेसर्स ऐन्नोर टैंक टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ऐन्नोर कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड तथा मेसर्स एसआइडब्ल्यूएल आयर्न ओर टर्मिनलस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अदानी कंटेयनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ऐन्नोर अल्क टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आइओसी एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे बीओटी प्रचालकों को क्रमश: 40.11, 134.06, 116.75, 95.08, 42.41, 128.51 & 5.00 (कुल 561.92 एकड़) को आबंटित किया है। पोर्ट ने मेसर्स आईओसीएल को बृहत् फार्मेट खुदरा ईंधन आऊटलेट संस्थापित करने के लिए दिनांक 09.09.2024 से 60 वर्षों की अवधि तक के लिए 22,500 वर्गमीटर (5.50 एकड़) भूमि को पट्टे पर प्रदान किया है।

5. मुख्य प्रगतिशील कार्य

विवरण	1 अप्रैल 2024 का अथशेष	वर्ष के दौरान जोड़/ समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत/ समायोजन	31 मार्च 2025 को शेष
सीडब्ल्यूआइपी - भवन, शेड एवं अन्य संरचनाएं	972.92	1,090.26	-	2,063.19
सीडब्ल्यूआइपी - वार्फ्स एवं सीमाएं	-	-	-	-
सीडब्ल्यूआइपी - रोड	289.69	41.57	-331.26	-
सीडब्ल्यूआइपी - रेलवे ट्रैक एवं सिगनलिंग व्यवस्था	20,638.82	702.65	-16,612.50	4,728.97
सीडब्ल्यूआइपी - डॉक, सीवॉल, पायर्स एवं ब्रेक वॉटर	-	-	-	-
सीडब्ल्यूआइपी - नेविगेशनल सहायता	-	-	-	-
सीडब्ल्यूआइपी - वाहन	-	-	-	-
सीडब्ल्यूआइपी - इलेक्ट्रिकल संस्थापनाएं	1,802.18	442.57	-398.70	1,846.05
सीडब्ल्यूआइपी - पोर्ट बेसिन एवं प्रवेश चैनल	3,660.23	4,057.22	-	7,717.45
सीडब्ल्यूआइपी - संयंत्र एवं मशीनरी	75.00	927.20	-163.53	838.67
सीडब्ल्यूआइपी - फर्नीचर एवं फिटिंग	-	-	-	-
सीडब्ल्यूआइपी - कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	-	-	-	-
कुल	**27438.85**	**8611.27**	**(17603.26)**	**18446.86**
पूर्व वर्ष	**43763.51**	**32077.31**	**(48401.97)**	**27438.85**

5. (ए) परिसंपत्तियों का प्रयो का अधिकार

विवरण	1 अप्रैल 2024 तक सकल वहन मूल्य	जोड़	निपटान / समायोजन	31 मार्च 2025 तक सकल वहन मूल्य	1 अप्रैल 2024 तक संचित मूल्यहास	वर्ष के लिए मूल्यहास	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2025 संचित मूल्यहास	31 मार्च 2025 तक वहन मूल्य
पंजीकृत कार्यालय के पट्टे की परिसंपत्तियां	2,564.80	-	-	2,564.80	826.26	99.50	-	925.77	1,639.03
कुल	**2,564.80**	-	-	**2,564.80**	**826.26**	**99.50**	-	**925.77**	**1,639.03**
पूर्व वर्ष	**2,564.80**	-	-	**2,564.80**	**730.39**	**95.87**	-	**826.26**	**1,738.53**

6. अमूर्त परिसंपत्तियां - सॉफ्टवेयर

विवरण	1 अप्रैल 2024 तक सकल वहन मूल्य	जोड़	निपटान / समायोजन	31 मार्च 2025 तक सकल वहन मूल्य	1 अप्रैल 2024 तक संचित मूल्यहास	वर्ष के लिए मूल्यहास	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2025 संचित मूल्यहास	31 मार्च 2025 तक वहन मूल्य
पंजीकृत कार्यालय के पट्टे की परिसंपत्तियां	1,232.79	128.24	-	1,361.03	1,063.18	32.90	-	1,096.08	264.95
कुल	**1,232.79**	**128.24**	-	**1,361.03**	**1,063.18**	**32.90**	-	**1,096.08**	**264.95**
पूर्व वर्ष	**1,104.73**	**128.07**	-	**1,237.79**	**933.37**	**129.81**	-	**1,063.18**	**169.62**

7. निवेश

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
गैर-वर्तमान		
लागत पर किया गया निवेश		
एसोसिएट्स के इक्विटी उपकरणों में निवेश		
कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड के इक्विटी शेयर (रु.10/- प्रति शेयर के कुल 20,000 ईक्विटी शेयर, पूर्व वर्ष - रु.10/- प्रति शेयर के कुल 20,000 ईक्विटी शेयर)	2.00	2.00
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया गया निवेश		
सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इक्विटी शेयर #	3,000.00	3,000.00
घटा : निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	-3000.00	-3000.00
चेन्नई एन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड के इक्विटी शेयर	3400.00	3400.00
(रु.10/- प्रति शेयर के 3,40,00,000 ईक्विटी शेयर; पूर्व वर्ष - रु.10/- प्रति शेयर के 3,40,00,000 ईक्विटी शेयर)	720.00	720.00
भारतीय पत्तन रेल निगम लिमिटेड के ईक्विटी शेयर (रु.10/- प्रति शेयर के 72,00,00,000 ईक्विटी शेयर; पूर्व वर्ष - (रु.10/- प्रति शेयर के 72,00,00,000 ईक्विटी शेयर)	1.00	1.00
(रु.1515.15/- प्रति शेयर के 66 ईक्विटी शेयर; पूर्व वर्ष - रु.1515.52/- प्रति शेयर के 66 ईक्विटी शेयर)		
उद्धृत निवेश		
भारतीय ड्रेड्जिंग निगम में 10,000 शेयर (31 मार्च 2025 तक मार्केट मूल्य - रु. 54,52,500/- पूर्व वर्ष - रु. 67,30,500/-)	54.43	67.31
कुल	**4177.43**	**4190.31**

#. चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर 14.09.2007 से निकर्षण कार्य स्थगित है और तबसे इस परियोजना में कोई आगे की प्रगति नहीं है, प्रबंधन ने सेतुसमुद्रम निगम लिमिटेड के इक्विटी शेयर में निवेश पर ह्रास के लिये प्रावधान किया है।

8. ऋण व अग्रिम

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
गैर-वर्तमान		
सुरक्षित (अच्छा माना जाता है)		
कर्मचारियों को अग्रिम (गृह निर्माण अग्रिम)	525.27	283.99
कर्मचारियों को अग्रिम (वाहन अग्रिम)	6.93	13.35
कुल	**532.21**	**297.35**
वर्तमान		
सुरक्षित (अच्छा माना जाता है)		
कर्मचारियों को अग्रिम (गृह निर्माण अग्रिम)	101.64	65.60
कर्मचारियों को अग्रिम (वाहन अग्रिम)	9.48	2.78
कर्मचारियों को अग्रिम (अन्य)	18.59	20.54
कर्मचारियों को अग्रिम (बाढ़ अग्रिम)	-	33.50
कुल	**129.71**	**122.42**

कर्मचारियों को अग्रिम (घर निर्माण अग्रिम) टाइटल डीड जमा करने के ज्ञापन के लंबित होने तक - रु.248.77 लाख (पिछले वर्ष शून्य)।

9. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां\

(रुपए लाखों में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2025 को	यथा 31 मार्च, 2024 को
गैर-वर्तमान		
जमा		
- संबंधित पार्टियों को छोड़कर अन्य अग्रिम	183.16	183.16
- संबंधित पार्टियों के अग्रिम	259.66	259.66
कुल	**442.82**	**442.82**
वर्तमान		
- अल्पकालिक सावधि जमा	2,860.83	37.08
-संबंधित पार्टियों के अग्रिम	-	-
प्राप्य आय	340.19	224.54
कुल	**3201.02**	**261.63**

अल्पावधि जमा रु.2860.83 लाख, उच्च न्यायालय में जमा राशि को दर्शाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मध्यस्थता निर्णय का 75% है।

10.कर व्यय

विवरणिका के लाभ और व्यय में पहचाना गया कर

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
वर्तमान आयकर		
वर्तमान वर्ष के संबंध में	26,556.13	24,532.63
उप योग (ए)	**26,556.13**	**24,532.63**
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी भिन्नताओं की उत्पत्ति और उलटाव	3,264.92	2,558.49
उप कुल (बी)	**3,264.92**	**2,558.49**
कुल (ए+बी)	**29821.05**	**27091.12**

अन्य व्यापक आय में पहचान किया गया कर

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
परिभाषित हित योजना बीमांकिक लाभ (हानि)	9.73	76.52
ईक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन	4.50	-13.67
कुल	**14.24**	**62.84**

वर्ष के दौरान आस्थगित कर शेष में परिवर्तन तथा श्रेणीवार ब्यौरा

रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
विलंबित कर देयता		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	(40,329.11)	(37,093.88)
उप कुल	**(40,329.11)**	**(37,093.88)**
विलंबित कर परिसंपत्तियां		
खराब एवं संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	1,359.75	1,359.75
एमएटी क्रेडिट अर्हकता	12,340.23	24,411.95
परिभाषित हित योजना की ओर	174.80	133.66
निवेश में घटा	1,048.32	1,048.32
अन्य	408.59	465.18
उप कुल	15331.68	27418.86
निवल घटा कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)	**(24,997.43)**	**(9,675.02)**

11. अन्य आस्तियां

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
अप्रचलित		
ठेकेदारों को अग्रिम	-	-
पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम	6,783.44	7,417.61
पूर्व भुगतानित व्यय	176.56	82.94
आस्थगित कर्मचारी लागत	257.09	129.08
परिभाषित हित योजना परिसंपत्ति/(देयताएँ) - उपदान	-	5.24
परिभाषित हित योजना परिसंपत्ति/(देयताएं) अर्जित अवकाश नकदीकरण	-	-
योग	**7217.09**	**7634.87**
वर्तमान		
ठेकेदारों को अग्रिम	1,741.02	770.69
पूर्व भुगतानित व्यय	235.53	135.58
जीएसटी इनपुट क्रेडिट	1,106.07	681.59
अन्य परिसंपत्तियां	-	-
योग	**3082.63**	**1587.86**

गैर-वर्तमान के अंतर्गत पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम में रु.4509.50 लाख शामिल हैं, जो दिनांक 22.06.2001 को चेन्नई पत्तन प्राधिकरण से परिसंपत्ति एवं देनदारों पर अधिग्रहण प्राप्त करते समय मद्रास उच्च न्यायालय को संदर्भित परियोजना ठेकेदारों को भुगतानित अतिरिक्त भुगतान है।

12 व्यापार प्राप्य

(रुपए लाखों में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2025 को	यथा 31 मार्च, 2024 को
ट्रेड प्राप्य		
असुरक्षित		
- अच्छे माने गए	9,352.57	7,537.95
- क्रेडिट हानि	3,891.22	3,891.22
अन्य ऋणी (छह मास से कम)	**-3,891.22**	**-3,891.22**
कुल	**9352.57**	**7537.95**

13. (ए) नकदी व नकदी समतुल्य (तुल्यांश)

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
नकदी हाथ में	0.58	0.35
चेक, ड्राफ्ट हाथ में	-	-
बैंकों में शेष राशि	4,946.77	2,079.84
उप-योग (ए)	**4947.35**	**2080.19**
अन्य बैंक शेष		
- सावधि जमा		
- 3 माह से कम	10,100.00	2,000.00
कुल	**15047.35**	**4080.19**

13 (बी) नकद एवं नकद समतुल्यों को छोड़कर अन्य बैंक शेष

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
नकद एवं नकद समतुल्यों को छोड़कर अन्य बैंक शेष - सावधि जमा - 3 माह से अधिक लेकिन 12 महीनों से कम	13,000.00	8,000.00
कुल	**13000.00**	**8000.00**

14. वर्तमान कर परिसंपत्तियां

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
अग्रिम कर एवं स्रोत पर कर कटौती	121,452.50	106,971.36
आयकर के लिए प्रावधान	-118,194.16	-103,709.75
कुल	**3258.35**	**3261.60**

15. इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
प्रधिकृत रु.10/- प्रति ईक्विटी शेयर **500,000,000 इक्विटी शेयर**	**50,000.00**	**50,000.00**
निर्गमित, अभिदत्त व पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर 10 रूपये- प्रति 300,000,000 इक्विटी शेयर	30,000.00	30,000.00
	30,000.00	**30,000.00**

शेयर पूंजी का समाधान:

विवरण	31 मार्च 2025 तक	
	शेयरों की संख्या	रकम
अथशेष ईक्विटी शेयर	300000000	3000000000
जोड़ : वर्ष में जारी / अभिदत्त शेयरों की संख्या, शेयर पूंजी	-	-
समापन शेष	**300000000**	**3000000000**

विवरण	यथा 31 मार्च, 2024 को	
	शेयरों की संख्या	राशि
प्रारंभिक इक्विटी शेयर	**300000000**	**3000000000**
जोड़: शेयरों की संख्या, वर्ष की अवधि में निर्गमित/अभिदत्त शेयर पूंजी	-	-
समापन शेष	**300000000**	**3000000000**

5 प्रतिशत से अधिक अंशधारण कर रहे अंशधारक द्वारा कंपनी में धारित शेयर

अंशधारक का नाम	%	यथा 31 मार्च, 2025 को	यथा 31 मार्च, 2024 को
चेन्नई पत्तन प्राधिकरण	100%	30,000	30,000

भारत सरकार ने दिनांक 25.03.2020 को शेयर क्रय करार द्वारा कंपनी में धारित अपने संपूर्ण इक्विटी शेयर, चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी को विनिवेशित कर दिया।

16. उधार

(रुपये लाखों में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2025 को	यथा 31 मार्च, 2024 को
सुरक्षित - गैर वर्तमान		
सावधि ऋण		
चेन्नई पत्तन प्राधिकरण	11,301.25	13,602.50
कर मुक्त बॉण्ड		
(i) श्रृंखला 2012-13	1,166.95	1,166.02
(ii) श्रृंखला 2013-14	28,522.66	28,514.67
असुरक्षित - गैर वर्तमान		
सावधि ऋण		
एचडीएफसी बैंक से ऋण	500.00	1,500.00
कुल	**41490.86**	**44783.19**
सुरक्षित - वर्तमान		
गैर वर्तमान ऋण की वर्तमान मेच्यूरिटी		
- चेन्नई पत्तन प्राधिकरण	2,301.25	2,301.25
- कर मुक्त बॉण्ड - क्रम 2013-14	-	-
- कर मुक्त बॉण्ड - क्रम 2012-13	-	-
असुरक्षित - वर्तमान		
गैर वर्तमान ऋण की वर्तमान मेच्यूरिटी		
एचडीएफसी बैंक से ऋण	1,000.00	1,000.00
कुल	3301.25	3301.25

सुरक्षित मोचनीय गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड

(i) सममूल्य पर मोचनीय, कुल राशि रु.11,71,56,000/- युक्त रु.1000/- अंकित मूल्य के 117156, 15 वर्षीय बॉण्ड, दिनांक 25.03.2028 को खुदरा निवेशकों के लिए क्रमशः 7.51% और 7.67% की ब्याज दर और अन्य निवेशकों के लिए क्रमशः 7.01% और 7.17% की वार्षिक ब्याज दर पर देय हैं। उक्त बॉण्ड दिनांक 25.03.2013 को पंजीकृत बाण्ड ट्रस्ट डीड की शर्तों के आधार पर स्मॉल क्रेफ्ट जेट्टी-1, 2 एवं 3 तथा सामान्य कार्गो बर्थ जैसी परिसंपत्तियों से सुरक्षित किए गए हैं।

(ii) सममूल्य पर मोचनीय, कुल राशि रु. 79,49,51,000/- युक्त रु.1000/- अंकित मूल्य के 794951, 10 वर्षीय बॉण्ड, दिनांक 25.03.2024 को देय थे तथा बॉण्ड धारकों को नियत तारीख पर भुगतान किया गया। आगे, कुल राशि रु.191,66,30,000/- /- युक्त रु.1000/- अंकित मूल्य के 1916630, 15 वर्षीय बॉण्ड, दिनांक 25.03.2029 को खुदरा निवेशकों के लिए क्रमशः 8.61%, 9% और 9% की ब्याज दर तथा अन्य निवेशकों के लिए 8.75% ब्याज दर पर वार्षिक स्तर पर देय हैं। उक्त बॉण्ड दिनांक 19.03.2014 को पंजीकृत बाण्ड ट्रस्ट डीड की शर्तों के आधार पर नार्थ ब्रेक वॉटर जैसी कंपनी की परिसंपत्तियों से सुरक्षित किए गए हैं।

चेन्नई पत्तन प्राधिकरण से सावधि ऋण

चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को देय सावधि ऋण में वर्ष 2001-02 में परिसंपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के समय परिवर्तन किया गया तथा इसे दिनांक 30.06.2012 से प्रारंभ होनेवाले 60 समान तिमाही किश्तों में चुकाया जाना है। इस अवधि के दौरान आज तक किश्तों का भुगतान किया जा चुका है। उपरोक्त ऋण कंपनी की विशेष रूप से चिह्नित अचल संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित है। कंपनी ने मूल ऋण की समान शर्तों पर क्रमशः दिनांक 18.06.2018 एवं 29.09.2018 को रु.70 करोड़ एवं रु.20 करोड़ की अतिरिक्त राशि का उधार लिया

एचडीएफसी बैंक से सावधि ऋण

एचडीएफसी बैंक ने 27 जुलाई 2021 को 91 दिनों की टी बिल प्लस 1.80% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर रु.50 करोड़ का असुरक्षित रुपया सावधि ऋण के लिए संस्वीकृति प्रदान की है, जिसकी पुनर्भुगतान अवधि तिमाही आधार पर होगी तथा एक वर्ष की मोहलत सहित पाँच वर्षों के अंदर चुकाना होगा। वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने पूंजीगत परियोजनाओं के लिए रु.40 करोड़ ऋण प्राप्त किया है।

17. अन्य वित्तीय देयताएं

(रुपए लाखों में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2025 को	यथा 31 मार्च, 2024 को
गैर वर्तमान		
सुरक्षित जमा	671.47	570.69
देय प्रतिधारण राशि	-	-
कुल	**671.47**	**570.69**
वर्तमान		
सुरक्षा जमा	410.05	148.11
देय प्रतिधारण राशि	169.69	156.10
अन्य देयताएं	158.84	127.35
कुल	**738.58**	**431.55**

18. प्रावधान

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
अ-प्रचलित		
कर्मचारी लाभ के लिए		
छुट्टी नकदीकरण	80.80	61.50
उपदान	23.91	-
कार्य-निष्पादन आधारित वेतन	271.00	258.00
उप कुल (ए)	**375.71**	**319.50**
अन्य		
व्यय		
- राजस्व	3073.02	8550.69
- पूंजी	380.50	-
उप कुल (बी)	3453.52	8550.69
कुल (ए+बी)	**3829.23**	**8870.19**

19. अन्य देयताएं

(रुपए लाखों में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2025 को	यथा 31 मार्च, 2024 को
गैर चर्तमान		
अग्रिम में प्राप्त आय	-	-
अग्रिम पट्टा प्रभार	6,385.19	5,882.87
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ - सुरक्षा जमा	483.66	507.65
कुल	**6868.85**	**6390.52**
वर्तमान		
अग्रिम में प्राप्त आय	708.07	610.35
अन्य सांविधिक भुगतान	4,319.35	2,737.60
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	2,697.97	2,484.28
अग्रिम पट्टा प्रभार	440.05	462.88
अन्य देयताएं	193.98	170.40
कुल	**8359.43**	**6465.51**

अ-प्रचलित के अंतर्गतप्राप्त आय रु.5094.01 लाख रूपये के अग्रिम में इंडियन ऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड से दिनांक 31 जुलाई 2015 को हुए अनुज्ञप्ति समझौते के अनुसार एलएनजी टर्मिनल के निर्माण के लिये आवंटित 5,20,000 वर्ग मीटर भूमि के लिये 30 वर्ष हेतु अग्रिम अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में प्राप्त राशि सम्मिलित है।

20. देय ट्रेड

(रुपये लाखो में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों के कारण कुल बकाया देय	638.48	1,605.69
सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों को छोड़कर क्रेडिटरों को देय बकाया	5,091.84	6,536.62
कुल	**5730.33**	**8142.32**

21. प्रचालनों से राजस्व

(रुपये लाखो में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
पट्टे से आय		
कोयने पर समग्र टैरिफ	34,189.70	33,303.25
ऐस्टेट आय	2,826.96	2,617.24
राजस्व भाग	42,985.60	39,097.05
समुद्री सेवाएं		
वेसल संबंधी आय	23,887.75	23,717.62
कार्गो संबंधी सेवाएं		
वार्फेज	7,206.15	5,485.24
रॉयल्टी	1,996.11	1,616.38
अन्य प्रचालन राजस्व		
अन्य सेवाएं	749.31	385.18
कुल	**1,13,841.57**	**1,06,221.97**

22.अन्य आय

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
बैंकों से ब्याज	1,395.92	1,197.85
कर्मचारी अग्रिमों पर ब्याज	49.50	31.31
ब्याज - अन्य	264.42	87.40
आयकर वसूली पर ब्याज	-	118.02
अन्य गैर प्रचालित आय		
वैयक्तिक एवं वाहन प्रवेश पास	101.10	102.94
चल परिसंपत्तियों के क्रय से लाभ	-	1.02
अन्य आय	372.02	383.08
कुल	**2182.96**	**1921.62**

23.प्रचालन लागत

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
टाइम चार्टर क्रेफ्ट	3,398.60	3,245.08
परामर्श सेवाएं - प्रचालन	128.09	109.99
पवर एवं पानी प्रभार	348.87	337.96
पर्यावरण	446.60	508.10
अनुसंधान एवं विकास व्यय	-	28.88
ईंधन व्यय	1,169.48	1,358.55
मैनिंग सर्विसेज	966.29	844.06
सर्वेक्षण और रखरखाव ड्रेजिंग	9.96	125.04
मरम्मत और रखरखाव	1,651.12	1,260.89
प्रोत्साहन	2,382.43	2,354.96
बीमा	333.24	303.13
कुल	**10,834.67**	**10,476.64**

24. कर्मचारी लाभ व्यय

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वेतन और मजदूरी	1,744.65	1,531.15
भविष्य निधि में योगदान	134.37	125.48
कर्मचारी कल्याण व्यय	14.26	14.45
प्रदर्शन संबंधी वेतन	279.73	260.42
कर्मचारी चिकित्सा व्यय	60.38	42.27
टर्मिनल लाभ	205.37	100.50
कुल	**2438.75**	**2074.27**

25. वित्त लागत

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
ब्याज व्यय :		
- बैंकों से	150.36	150.60
- करमुक्त बंधपत्र - 2012-13	89.60	83.92
- करमुक्त बंधपत्र - 2013-14	2,541.99	3,229.17
- अन्य	1,580.37	2,792.86
अन्य उधारी लागतें:		
- करमुक्त बंधपत्र व्यय	4.49	6.07
कुल	**4366.81**	**6262.61**

26. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(रुपये लाखो में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन		
मूर्त परिसंपत्ति	8,565.51	7,329.28
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ	99.50	95.87
अमूर्त परिसंपत्तियां	32.90	129.81
योग	**8697.91**	**7554.97**

27. अन्य व्यय

(रुपये लाखो में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
AMC - सॉफ्टवेयर व्यय	437.15	365.58
- सांविधिक लेखापरीक्षा	7.00	6.00
- कर लेखापरीक्षण शुल्क	1.00	1.00
- अन्य सेवाओं के लिए भुगतान	2.60	1.60
- व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.70	0.60
इलेक्ट्रिसिटी एवं पानी के प्रभार	54.87	126.83
कानून एवं व्यावसायिक प्रभार	256.30	315.33
विविध व्यय	412.68	283.03
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	15.93	21.78
किराया, दर एवं कर	163.45	77.10
रक्षा एवं सुरक्षा व्यय	1,411.50	1,321.70
कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी व्यय	1,444.81	983.07
सदस्यता और सदस्यता शुल्क	257.91	162.32
संचार व्यय	45.96	77.19
यात्रा और परिवहन	57.02	34.79
वाहन प्रचालन खर्च	389.58	373.65
विज्ञापन और प्रचार व्यय	124.63	251.07
मैनिंग अनुबंध - व्यवस्थापक	849.71	711.91
अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान	-	1.41
कुल	**5932.79**	**5115.95**

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

ए. जहां कंपनी, कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत आती है, वहां सीएसआर गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित का खुलासा किया जाएगा:

(रुपए लाखों में)

क्रम सं	क्रियाकलाप का नाम	व्ययित रकम
(i) (ii)	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि, व्ययित राशि	1255.04 745.11
(iii)	वर्ष के अंत में कमी,	509.92
(iv)	पिछले वर्षों की कुल कमी	कमी नहीं है
(v)	कमी का कारण	लागू नहीं
(vi)	सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति,	शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण विकास आदि।
(vii)	संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण, उदाहरण के लिए, प्रासंगिक लेखांकन मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान	कोई नहीं
(viii)	जहां संविदात्मक दायित्व में प्रवेश करने से उत्पन्न देयता के संबंध में प्रावधान किया जाता है, वहां वर्ष के दौरान प्रावधान में होने वाले परिवर्तनों को अलग से दर्शाया जाएगा।	509.92

बी. वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि: (रुपए लाखों में)

क्रम सं	विवरण	नकद में भुगतान किया जाना है
(i)	किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	0.00
(ii)	उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	745.11
	कुल	745.11

28. अति विशिष्ट मद

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
अति विशिष्ट मद - तट संरक्षण संरचना	-	-
योग	-	-

29. प्रति शेयर अर्जन

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के लिये कुल व्यापक आय	5,390,602,592.45	4,94,51,03,406.91
शेयरों की भारित औसत संख्या - मूल	300000000	300000000
शेयरों की भारित औसत संख्या - अवमिश्रित	300000000	300000000
प्रति शेयर अर्जन – मूल	17.98	16.52
प्रति शेयर अर्जन - अवमिश्रित	17.98	16.52

नोट 30: टिप्पणी प्रकीकरण

1. प्रतिबद्धताएं:

पूंजी प्रतिबद्धताएं:

पूंजीगत व्यय (अग्रिमों का निवल) पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि रु.56115.73 लाख है (पिछले वर्ष यह रु.8378.61 लाख था)।

2. सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान

(रुपये लाखो में)

विवरण	2024-25	2023-24
संपरीक्षा शुल्क	7.00	6.00
कर संपरीक्षा शुल्क	1.00	1.00
प्रमाणन शुल्क	2.60	1.60
वापसी: - अपने पास से किया गया व्यय	0.70	0.60

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के क्रम में अतिरिक्त जानकारी

(रुपये लाखो में)

क्र सं	विवरण	2024-25	2023-24
ए	निम्नलिखित पर विदेशी मुद्रा में व्यय :		
	i. व्यावसायिक एवं परामर्श शुल्क	- -	- -
	ii. दौरे एवं यात्रा	5.70	0.63
	iii. बचाव निधि सहित विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज	-	-
	iv. अन्य		
बी	विदेशी मुद्रा में आय	-	-

3. 31 मार्च 2025 तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों संबंधी जानकारी :

(रुपये लाखो में)

क्रमांक	विवरण	2024-25	2023-24
1	किसी भी आपूर्तिकार के अभुगतानित रकम का शेष : ए) प्रधान राशि बी) उस पर ब्याज	638.48 -	1605.69 -
2	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि, साथ ही नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को भुगतानित राशि;	कोई नहीं	कोई नहीं
3	भुगतान करने में आवधिक विलंब के लिए देय व देय राशि (जो भुगतान किया गया है, लेकिन वर्ष के नियत दिन से परे भुगतान किया गया है), किंतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना;	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4	संचित ब्याज एवं शेष अभुगतानित रकम	कोई नहीं	कोई नहीं
5	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु उस तिथि तक बकाया और आगामी वर्षों में भी देय ब्याज की राशि, जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दिया जाता है।	कोई नहीं	कोई नहीं

कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम के उद्यमियों का वर्गीकरण किया गया है।

भारतीय लेखांकन मानकों की आवश्यकतानुसार प्रकटीकरण

5. भारतीय लेखांकन मानक 107 संबंधी प्रकटीकरण – वित्तीय उपकरण

5.1 वर्गो के अनुसार वित्तीय उपकरण

वित्तीय लिखतों का अग्रणीत मूल्य व उचित मूल्य श्रेणीवार निम्नानुसार था:

(31 मार्च, 2025 को राशि लाख में)

विवरण	परिशोधित लागत	लागत पर	लाभ एवं हानि द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं	ओसीआई द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/ देयताएं	कुल उचित मूल्य	कुल उचित मूल्य
आस्तियां:						
गैर वर्तमान निवेश (संदर्भ टिप्पणी सं.7)	-	2.00	4121.00	54.43	4177.43	4177.43
नकद एवं नकद तुल्य (संदर्भ टिप्पण सं 13ए)	15047.35		-	-	15047.35	15047.35
नकद एवं नकद तुल्यों को छोड़कर बैंक में शेष (संदर्भ टिप्पण सं 13बी)	13000.00	-	-	-	13000.00	13000.00
ट्रेड प्राप्य (संदर्भ टिप्पण सं 12)	9352.57		-	-	9352.57	9352.57
ऋण एवं अग्रिम (संदर्भ टिप्पण 8)	661.92		-	-	661.92	661.92
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ टिप्पण सं 9)	3643.85		-	-	3643.85	3643.85
देयताएं :						
चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट से सावधि ऋण (संदर्भ टिप्पण सं 16)	13602.50		-	-	13602.50	13602.50
कर मुक्त बांड (संदर्भ नोट संख्या 16)	29689.61	-	-	-	29689.61	29689.61
कर मुक्त बॉण्ड (संदर्भ टिप्पण सं 16)	1500.00		-	-	1500.00	1500.00
सूक्ष्म एवं सूक्ष्म उद्यमों को ट्रेड देय-बकाया देय (संदर्भ टिप्पण सं 20)	638.48		-	-	638.48	638.48
सूक्ष्म एवं सूक्ष्म उद्यमों को छोड़कर अन्य को ट्रेड देय-बकाया देय (संदर्भ टिप्पण सं 20)	5091.84		-	-	5091.84	5091.84
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ टिप्पण सं 17)	1410.04		-	-	1410.04	1410.04

(31 मार्च, 2024 को राशि लाख में)

विवरण	परिशोधित लागत	लागत पर	लाभ एवं हानि द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं	ओसीआई द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/ देयताएं	कुल उचित मूल्य	कुल उचित मूल्य
परिसंपत्तियां :						
गैर वर्तमान निवेश (संदर्भ टिप्पणी सं.7)	-	2.00	4121.00	67.31	4190.31	4190.31
नकद एवं नकद तुल्य (संदर्भ टिप्पण सं 13ए)	4080.19		-	-	4080.19	4080.19
नकद एवं नकद तुल्यों को छोड़कर बैंक में शेष (संदर्भ टिप्पण सं 13बी)	8000.00	-	-	-	8000.00	8000.00
ट्रेड प्राप्य (संदर्भ टिप्पण सं 12)	7537.95		-	-	7537.95	7537.95
ऋण एवं अग्रिम (संदर्भ टिप्पण 8)	419.77	-	-	-	419.77	419.77
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ टिप्पण सं 9)	704.45		-	-	704.45	704.45
देयताएं :						
चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट से सावधि ऋण (संदर्भ टिप्पण सं 16)	15903.75	-	-	-	15903.75	15903.75
कर मुक्त बॉण्ड (संदर्भ टिप्पण सं 16)	29680.69	-	-	-	29680.69	29680.69
एचडीएफसी बैंक से ऋण (संदर्भ टिप्पण सं 16)	2500.00		-	-	2500.00	2500.00
सूक्ष्म एवं सूक्ष्म उद्यमों को ट्रेड देय-बकाया देय (संदर्भ टिप्पण सं 20)	1605.69	-	-	-	1605.69	1605.69
सूक्ष्म एवं सूक्ष्म उद्यमों को छोड़कर अन्य को ट्रेड देय-बकाया देय (संदर्भ टिप्पण सं 20)	6536.62	-	-	-	6536.62	6536.62
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ टिप्पण सं 17)	1002.24		-	-	1002.24	1002.24

5.2. उचित मूल्य पदानुक्रम

- **स्तर 1 -** समान आस्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।
- **स्तर 2 -** स्तर 1में सम्मिलित उद्धृत मूल्यों के अतिरिक्त अन्य विनिष्टियां जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात मूल्यों के रूप में) (अर्थात मूल्यों से व्युत्पन्न) आस्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।
- **स्तर 3 -** उन आस्तियों अथवा देयताओं के लिये आगत, जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अलक्ष्य आगत) पर आधारित नहीं हैं।

निम्नलिखित तालिका उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य पदानुक्रम प्रस्तुत करती है :

(रुपये लाखो में)

	वर्ष 31.03.2025 के लिये				वर्ष 31.03.2024 के लिये			
विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
वित्तीय परिसंपत्तियां								
अनुद्धृत इक्विटी उपकरणों में निवेश	-	-	4,123.00	4,123.00	-	-	4,123.00	4,123.00
उद्धृत इक्विटी उपकरणों में निवेश	54.43	-	-	54.43	67.31	-	-	67.31

ब्याज दर जोखिम:

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो किसी वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में मार्केट ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव करेगा। मार्केट ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम का जोखिम मुख्य रूप से अस्थिर ब्याज दरों वाले दीर्घकालिक ऋण दायित्वों से संबंधित है।

कंपनी को चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त ऋणों पर ब्याज दर जोखिम है, क्योंकि यह वार्षिक ब्याज दर पुनर्निर्धारण भारतीय स्टेट बैंक की एमसीएलआर दर में होने वाले परिवर्तन से जुड़ा हुआ है।

कंपनी ने एचडीएफसी बैंक से टर्म लोन लिया है क्योंकि वार्षिक ब्याज दर का निर्धारण 91 दिनों के T बिलों में होने वाले परिवर्तन पर आधारित है।

रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, कंपनी के ब्याज-असर वाले वित्तीय साधनों की ब्याज दर प्रोफ़ाइल निम्नानुसार है :

(रुपये लाखो में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-
- बैंक के साथ सावधि जमा	23100.00	10000.00
- कर्मचारी अग्रिम	643.33	365.73
वित्तीय देयताएं		
- कर मुकत बॉण्ड	29689.61	29680.69
परिवर्तनीय दर उपकरण		
- चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट से ऋण	13602.50	15903.75
- विदेशी मुद्रा ऋण	-	-
- एचडीएफसी बैंक	1500.00	2500.00

5.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी की गतिविधियाँ सीमित वित्तीय जोखिमों के संपर्क में हैं: मार्केट जोखिम, क्रेडिट जोखिम और परिसमापन जोखिम। कंपनी का प्राथमिक ध्यान वित्तीय मार्केट की अप्रत्याशितता का पूर्वानुमान लगाना और अपने वित्तीय निष्पादन पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है।

बी) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम का तात्पर्य प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्व से चूकने के जोखिम से है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि होती है। चूंकि, कंपनी आमतौर पर प्रमुख बंदरगाह सेवाओं के लिए अपनी आय के संबंध में पूर्व भुगतान निर्धारित करती है, सामान्यतया किसी को कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता है। ऐसे मामलों में कोई क्रेडिट डिफ़ॉल्ट जोखिम नहीं होता है। हालाँकि, जहाँ कंपनी कुछ सहायक / समर्थन सेवाएँ प्रदान करती है, वहाँ चालान बनाए जाते हैं, जब भी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं और उपयोगकर्ता शुल्क, लाइसेंस शुल्क आदि पर असहमति के मामलों में विवादों के निपटान पर और इन मामलों में, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट जोखिम का एक तत्व हो सकता है।

ट्रेड प्राप्य

कंपनी के 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 की तिथियों की बकाया व्यापार प्राप्तियां, क्रमशः रु. 9352.57 लाख और रु. 7537.95 लाख है। व्यापार प्राप्तियां आमतौर पर असुरक्षित होती हैं और ग्राहकों से प्राप्त राजस्व से प्राप्त होती हैं। चूँकि, अधिकांश बंदरगाह सेवाएँ अग्रिम में संग्रह करके पूर्व-वसूली के आधार पर प्रदान की जाती हैं, इसलिए व्यापार प्राप्तियां ज्यादातर एस्टेट किराए और संबद्ध सेवाओं के लिए अभुगतानित राजस्व बकाया होती हैं। विवादित ऋणों के लिए प्रावधान प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर समीक्षा की जाती है तथा मामले के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

कंपनी ने दिनांक 24.07.2023 को एसआईओटीएल के परिसमापक के समक्ष परिचालन ऋणदाता की हैसियत से फॉर्म सी में 65.29 करोड़ रुपये का दावा किया है। परिसमापक ने दिनांक 03.08.2023 के ई-मेल द्वारा उक्त दावे को आंशिक रूप से खारिज किया है। परिसमापक के समक्ष रु.65.29 करोड़ रुपये के दावे में से, लाइसेंस शुल्क पर बकाया राशि के रूप में रु.9.37 करोड़ विलंबित भुगतानों पर ब्याज के रूप में रु.14.97 करोड़ तथा अन्य के रूप में रु.2.05 करोड़ राशि को लेखा नीति के अनुसार लेखांकन पुस्तकों में

ए) बाजार जोखिम

मार्केट जोखिम वह जोखिम है जिसमें वित्तीय साधनों के भावी नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में, मार्केट मूल्य में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा।

कंपनी के पास मार्केट जोखिम के रूप में ब्याज दर जोखिम है। कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्ति नहीं होने के कारण कंपनी को अपने वित्तीय साधनों पर मूल्य जोखिम नहीं है।

(रुपए लाखों में 31 मार्च 2024 तक)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीनों से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 से अधिक वर्ष	कुल
(i) अविवादित व्यापार प्राप्तियां अच्छा समझा गया	4516.10	19.90	30.73	3.24	33.27	**4603.24**
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां जिनके क्रेडिट जोखिम में अत्यधिक वृद्धि है	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां - खराब क्रेडिट	-	-	-	915.55	2975.67	**3891.22**
(iv) अविवादित व्यापार प्राप्तियां - अच्छा समझा गया	274.56	84.89	149.75	638.38	1787.12	**2934.70**
(v) अविवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनके क्रेडिट जोखिम में अत्यधिक वृद्धि है	-	-	-	-	-	-
(vi) अविवादित व्यापार प्राप्तियां - खराब क्रेडिट	-	-	-	-	-	-

व्यापार प्राप्तियों की हानि के लिए प्रावधान प्रत्येक मामले के आधार पर उस वर्ष में किया जाता है जब कंपनी की वसूली के विश्लेषण के आधार पर वसूली योग्यता को संदिग्ध माना जाता है या रियायतकर्ता करारों के कुछ खंडों की व्याख्या पर विवादों के संभावित परिणाम पर आधारित होता है। कंपनी उन सभी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर विचार करती है जो क्षतिग्रस्त नहीं हैं और समीक्षाधीन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के लिए देय हैं और वे अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता की हैं।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

नकदी एवं नकदी समतुल्य से संबंधित ऋण जोखिम को नगण्य माना जाता है क्योंकि बैंक हमारे प्रतिपक्ष हैं। हम बैंकों के साथ सावधि जमा की ऋण गुणवत्ता पर विचार करते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक निगरानी के अधीन हैं, और हम इन बैंकिंग संबंधों को निरंतरता के आधार पर समीक्षा करते हैं। कर्मचारी ऋण से संबंधित ऋण जोखिम को नगण्य माना जाता है क्योंकि ऋण या तो संपत्ति के शीर्षक विलेख के बंधक के रूप में या उस वाहन के बंधक के रूप में सुरक्षित है जिसके लिए कर्मचारियों को ये ऋण दिए गए हैं। इसके अलावा, कंपनी के पास कर्मचारियों के कारण टर्मिनल लाभों पर विनियोजन अधिकार है। इसलिए, इन वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि के प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है। हम रिपोर्टिंग तिथियों पर उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को अच्छी ऋण गुणवत्ता वाला मानते हैं।

सी) चक्रनिधि जोखिम

हमारे चक्रनिधियों की आवश्यकताओं का अनुवीक्षण प्रतिमाह एवं वार्षिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। नकदी तथा नकदी समकक्ष, परिचालन से उत्पन्न नकदी कंपनी के तरलता के मुख्य स्रोत हैं,

हम नकदी प्रवाह के सतत अनुवीक्षण से पर्याप्त नकदी और नकदी समकक्ष बनाए रखते हुए अपनी चक्रनिधियों की आवश्यकताओं का प्रबंधन करते हैं। किसी भी कमी का पता लगाने के लिए शुद्ध नकदी आवश्यकताओं की तुलना उपलब्ध नकदी से की जाती है।

अल्पावधि चक्रनिधि की आवश्यकता में मुख्य रूप से व्यापार देय, देय व्यय, कर्मचारी बकाया, ऋणों की वर्तमान परिपक्वताओं का पुनर्भुगतान आदि के निपटान हेतु आवश्यक संसाधन शामिल हैं, जो प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार व्यवसाय के सामान्य क्रम के दौरान उत्पन्न होते हैं। हम अपनी अल्पावधि चक्रनिधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी और नकदी समकक्षों में पर्याप्त संतुलन बनाए रखते हैं।

हम समय-समय पर दीर्घकालिक परिसमापन आवश्यकताओं का आकलन द्वारा आंतरिक स्रोतों के माध्यम से उनका प्रबंधन किया जाता है। हमारी गैर-वर्तमान देनदारियों में चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट से उधार, कर मुक्त बॉण्ड और एचडीएफसी बैंक से सावधि ऋण, देय प्रतिधारण राशि और सुरक्षा जमा शामिल हैं।

नीचे दी गई तालिका गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता के विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। यह तालिका वित्तीय देनदारियों के बिना छूट वाले नकदी प्रवाह के आधार पर तैयार की गई है, जो कि उस प्रारंभिक तिथि पर आधारित है जिस पर कंपनी को भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है। तालिका में मूलधन और ब्याज दोनों के नकदी प्रवाह शामिल हैं।

(रुपए लाखों में 31 मार्च 2025 तक)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष तक	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी ऋण	1150.62	1150.62	4602.48	4602.48	2096.30	**13602.50**
एचडीएफसी से ऋण	500.00	500.00	500.00	-	-	**1500.00**
कर मुक्त बॉण्ड	-	-	1171.56	19166.30	9351.75	**29689.61**
प्रतिधारण धन	169.69	-	-	-	-	**169.69**
सुरक्षा जमा	-	410.05	-	-	671.47	**1081.52**
अन्य देयताएं	-	158.84	-	-	-	**158.84**
कुल	1820.31	2219.51	6274.04	23768.78	12119.52	**46202.16**

(रुपए लाखों में 31 मार्च 2024 तक)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष तक	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी ऋण	1150.62	1150.62	4602.48	4602.48	4397.55	**15903.75**
एचडीएफसी से ऋण	500.00	500.00	1500.00	-	-	**2500.00**
कर मुक्त बॉण्ड	-	-	-	20332.32	9348.37	**29680.69**
प्रतिधारण धन	156.10	-	-	-	-	**156.10**
सुरक्षा जमा	-	148.11	-	-	570.69	**718.80**
अन्य देयताएं	-	127.35	-	-	-	**127.35**
कुल	1806.72	1926.08	6102.48	24934.80	14316.61	**49086.69**

वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए ट्रेड देय की नियत तारीख अनुसूची

(रुपए लाखों में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	638.48	-	-	-	638.48
(ii) अन्य	4479.47	197.76	104.74	309.87	5091.84
(iii) विवादित देय – एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय – अन्य	-	-	-	-	-

तृतीय वर्ष 24-25 के लिए ट्रेड देय की नियत तारीख अनुसूची

(रुपए लाखों में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	1605.69	-	-	-	1605.69
(ii) अन्य	6121.30	104.81	141.82	168.69	6536.62
(iii) विवादित देय – एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय – अन्य	-	-	-	-	-

क्रेडिट जोखिम खुलासा

(रुपए लाखों में 31 मार्च 2025 तक)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीनों से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 से अधिक वर्ष	कुल
(i) अविवादित व्यापार प्राप्तियां अच्छा समझा गया	6003.73	87.28	4.11	0.33	32.53	**6127.99**
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां जिनके क्रेडिट जोखिम में अत्यधिक वृद्धि है	-	-	-	-	-	
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां — खराब क्रेडिट	-	-	-	-	3891.22	**3891.22**
(iv) अविवादित व्यापार प्राप्तियां – अच्छा समझा गया	68.90	220.98	359.45	149.75	2425.50	**3224.58**
(v) अविवादित व्यापार प्राप्तियां — जिनके क्रेडिट जोखिम में अत्यधिक वृद्धि है	-	-	-	-	-	-
(vi) अविवादित व्यापार प्राप्तियां — खराब क्रेडिट	-	-	-	-	-	-

6. भारतीय लेखांकन मानक संबंधी प्रकटीकरण (आईएनडी एएस)-21 ''विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव''

लाभ एवं हानि विवरण में डेबिट की गई विनिमय अंतर (निवल) राशि अन्य व्यय के अंतर्गत शून्य (पिछले वर्ष - शून्य) है।

7. भारतीय लेखांकन मानक संबंधी प्रकटीकरण (आईएनडी एएस)-36 '' परिसंपत्तियों की हानि''

वर्ष के दौरान, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक-36 के अनुसरण में परिसंपत्तियों की हानि के लिए अपनी अचल परिसंपत्तियों की समीक्षा की है और यह पाया गया कि वर्तमान वित्त वर्ष में परिसंपत्तियों की कोई हानि नहीं हुई है (शून्य) (पिछले वर्ष - शून्य)।

8. भारतीय लेखांकन मानक संबंधी प्रकटीकरण (आईएनडी एएस)-20'' सरकारी अनुदानों का लेखाकन एवं सरकारी सहायता का प्रकटीकरण

(रुपए लाखों में)

के लिए प्राप्त अनुदान	2024-25	2023-24
सरकारी अनुदान	-	-
कुल प्राप्त अनुदान	-	-

9. भारतीय लेखांकन मानक के संबंध में प्रकटीकरण आईएनडी एएस)-19 '' कर्मचारी लाभ''

ए) भविष्य निधि :

कंपनी की भविष्य निधि को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा किया जाता है। कंपनी भविष्य निधि में पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान का भुगतान करती है।

बी) उपदान :

कंपनी का एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने लगातार पांच साल या उससे अधिक समय तक की सेवा प्रदान की है, उसे सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति तथा विकलांगता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ता) के हिसाब से उपदान प्राप्त करने का अधिकार है। इस उद्देश्य के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किया जा रहा है जिसके लिए कंपनी ने एक मास्टर पॉलिसी ली है।

यह योजना, कंपनी द्वारा वित्तपोषित है तथा बीमाकर्ता, यानी भारतीय जीवन बीमा निगम को उनकी मांग के अनुसार अंशदान का भुगतान किया जाता है। परिभाषित लाभ योजना के लिए शुद्ध दायित्व की पहचान और भारतीय लेखा मानक-19 के अंतर्गत आवश्यक जानकारी का खुलासा बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार किया जाता है।

सी) सेवानिवृत्ति योजना :

कंपनी ने एक गैर-अंशदायी कर्मचारी समूह सेवानिवृत्ति पेंशन योजना लागू की है जिसका प्रबंधन भी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। कंपनी द्वारा नामांकित कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% योगदान निगम को दिया जाता है।

इस अवधि के लिए योजना में योगदान को प्रोद्भवन आधार पर कर्मचारी लागत के अंतर्गत समूहीकृत किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के मामले में, पेंशन अंशदान की गणना ऋणदाता संगठन/भारत सरकार के नियमों के अनुसार की जाती है तथा इसका लेखा-जोखा प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

डी) छुट्टी :

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्द्ध-वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के हिसाब से अर्जित होते हैं। अर्जित अवकाश को एक कैलेंडर वर्ष में एक बार नकद किया जा सकता है, जबकि पात्रता के अनुसार अधिकतम 30 दिनों की अवधि के लिए सेवा में रहते हुए तथा सेवानिवृत्ति पर, अधिकतम 300 दिनों तक सीमित किया जा सकता है।

अर्जित अवकाश पर देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

बी. लाभ और हानि विवरण, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) और बैलेंस शीट और अन्य प्रकटीकरणों में

मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

(रुपए लाखों में)

विवरण		उपदान वित्त पोषित)	छुट्टी नकदीकरण (वित्त पोषित)
परिभाषित लाभ दायित्व	सी. वाई.	594.04	522.12
	पी. वाई.	502.47	454.15
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	सी. वाई.	570.13	441.32
	पी. वाई.	507.71	392.65
वित्तपोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	सी. वाई.	23.91	80.80
	पी. वाई.	(5.24)	61.50
परिसंपत्ति की अधिकतम सीमा का प्रभाव	सी. वाई.	0	0
	पी. वाई.	0	0
शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्तियां/(देयताएं)	सी. वाई.	23.91	80.80
	पी. वाई.	(5.24)	61.50

परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन

(रुपए लाखों में)

विवरण		उपदान वित्त पोषित)	छुट्टी नकदीकरण (वित्त पोषित)
वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	सी. वाई.	507.72	392.65
	पी. वाई.	491.79	414.57
ब्याज़ आय	सी. वाई.	37.45	28.97
	पी. वाई.	36.19	29.27
नियोकृता अंशदान	सी. वाई.	30.84	23.89
	पी. वाई.	39.07	107.81
भुगतानित लाभ	सी. वाई.	(7.39)	(5.47)
	पी. वाई.	(58.99)	(157.37)
पुन: मापन – योजना परिसंपत्तियों पर वापसी	सी. वाई.	1.52	1.27
	पी. वाई.	(0.33)	(1.62)
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	सी. वाई.	570.13	441.32
	पी. वाई.	507.72	392.65

लाभ और हानि एवं अन्य विस्तृत आय के विवरण में स्वीकृत राशि

(रुपए लाखों में)

विवरण		उपदान वित्त पोषित)	छुट्टी नकदीकरण (वित्त पोषित)
वर्तमान सर्विस लागत	सी. वाई	33.62	31.49
	पी. वाई.	32.11	39.26
पूर्व सर्विस लागत – योजना संशोधन	सी. वाई	-	-
	पी. वाई.	-	-
कटौती लागत/ (क्रेडिट)	सी. वाई	-	-
	पी. वाई.	-	-
निपटान लागत/ (क्रेडिट)	सी. वाई	-	-
	पी. वाई.	-	-
सर्विस लागत (ए)	सी. वाई	33.62	31.49
	पी. वाई.	32.11	39.26
निवल परिभाषित लाभ देयता/ (परिसंपत्तियों) पर निवल ब्याज (बी)	सी. वाई	(1.49)	3.57
	पी. वाई.	(5.31)	(5.91)
लाभ एवं हानि में स्वीकृत राशि (ए+बी)	सी. वाई	32.13	43.19
	पी. वाई.	26.79	194.06
ओसीआई में कुल प्रतिपूर्ति	सी. वाई	27.86	-
		58.26	-

सुग्राहिता विश्लेषण

(रुपए लाखों में 31 मार्च 2025 तक)

पूर्वधारणा	पूर्वधारणा में परिवर्तन	उपदान (निधि प्राप्त)	छुट्टी (निधि प्राप्त)
वेतन में वृद्धि दर	1.00%	631.27	548.18
	-1.00%	557.58	497.77
क्षयण दर	1.00%	603.09	523.76
	-1.00%	583.91	520.36
छूट की दर	1.00%	547.89	501.09
	-1.00%	646.60	545.02
मृत्यु दर	10.00%	594.47	522.20
	-10.00%	593.61	522.04

(रुपए लाखों में 31 मार्च 2024 तक)

पूर्वधारणा	पूर्वधारणा में परिवर्तन	उपदान (निधि प्राप्त)	छुट्टी (निधि प्राप्त)
वेतन में वृद्धि दर	1.00%	536.89	477.44
	-1.00%	466.37	432.42
क्षयण दर	1.00%	511.3	456.01
	-1.00%	492.62	452.15
छूट की दर	1.00%	461.59	435.41
	-1.00%	549.18	474.58
मृत्यु दर	10.00%	502.87	454.23
	-10.00%	502.07	454.07

बीमांकिक पूर्वधारणा

विवरण		उपदान (वित्त पोषित)	छुट्टी (वित्त पोषित)
प्रयुक्त पद्धति	सी.वाई.	पीयूसी	पीयूसी
	पी.वाई.	पीयूसी	पीयूसी
छूट की दर	सी.वाई	6.79%	6.79%
	पी.वाई.	7.21%	7.21%
वेतन वृद्धि दर	सी.वाई.	5%	5%
	पी.वाई.	5%	5%
योजना परिसंपत्ति की वापसी दर	सी. वाई	-	-
	पी. वाई.	-	-
आहरण दर	सी. वाई	1% से 3%	1% से 3%
	पी. वाई.	1% से 3%	1% से 3%

विवरण		उपदान (वित्त पोषित)	छुट्टी (वित्त पोषित)
सेवानिवृत्ति की आयु	सी. वाई	60 वर्ष	60 वर्ष
	पी. वाई.	60 वर्ष	60 वर्ष
औसत भविष्य सेवा	सी. वाई	13.02	13.02
	पी. वाई.	13.85	13.85
मृत्यु दर	सी. वाई	आईएएलएम (2012-14) तालिका	आईएएलएम (2012-14) तालिका
	पी. वाई.	आईएएलएम (2006-08) तालिका	आईएएलएम (2006-08) तालिका
विकलांगत दर	सी. वाई	कोई स्पष्ट लोडिंग नहीं	कोई स्पष्ट लोडिंग नहीं
	पी. वाई.		
सेवाकाल में छुट्टी नकदीकरण दर	सी. वाई	-	10.00%
	पी. वाई.	-	10.00%
छुट्टी लेने का दर	सी. वाई	-	2.00%
	पी. वाई.	-	2.00%

योजना परिसंपत्तियों में निवेश का वर्ग

निवेश वर्ग	योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का %
बीमा पॉलिसी	100%

10. भारतीय लेखांकन मानक के संबंध में प्रकटीकरण (आईएनडी एएस)-108 ''प्रचालनात्मक खण्ड''

कंपनी मुख्य रूप से एक खंड - बंदरगाह सेवाएं प्रदान करती है तथा इसमें कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक खंड नहीं है।

कंपनी निम्नलिखित ग्राहकों से राजस्व प्राप्त करती है जो कंपनी के राजस्व का 10 प्रतिशत या उससे अधिक है। अन्य ग्राहकों के संबंध में, उनका व्यक्तिगत हिस्सा कंपनी के राजस्व का 10% से कम है।

(रुपए लाखों में)

ग्राहक	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
टीएनपीजीसीएल (पूर्व में टैन्जेडको)	16775.40	19508.14
एनटीईसीएल (टीएनपीजीसीएल एवं एनटीपीसीएल का जेवी)	17414.29	13795.11
एनटीईसीएल (टीएनपीजीसीएल एवं एनटीपीसीएल का जेवी)	20613.90	18945.53
अदानी ऐन्नोर कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड	13076.85	12311.06

11. भारतीय लेखांकन मानक के संबंध में प्रकटीकरण (आईएनडी एएस)-23 " उधार की लागत"

वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण/ प्रगतिशील पूंजीगत कार्यों (सीडब्ल्यूआईपी) की संबंधित वहन राशि में 131.23 लाख रुपये (पिछले वर्ष रु.131.23 लाख) है।

12. भारतीय लेखांकन मानक 24 के संबंध में प्रकटीकरण ''संबंधित पार्टी प्रकटीकरण''

ए. सरकारी संबंधी संस्थाओं से अलग अन्य के लिए प्रकटीकरण

(ए) संबंधित पार्टियों की सूची :

मुख्य प्रबंध व्यक्ति :

नाम	पदनाम
श्री सुनील पालीवाल, आईएएस,	अध्यक्ष
श्रीमती जे. पी. आइरीन सिन्थिया, आईएएस,	प्रबंध निदेशक
श्री एस. विश्वनाथन आईएएस,	नामांकित निदेशक
श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव, एफसीए, डीआईएसए (आईसीएआई)	स्वतंत्र निदेशक (दिनांक 05.11.2024 तक)
श्री आर. एम. नारायणन, एफसीए, सीपीए, पीजीपीजीडीएम	स्वतंत्र निदेशक (दिनांक 13.11.2024 से)
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती सरला बालगोपाल,, आईटीआरएस (सेवानिवृत्त)	स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती कविता सात्वी	मुख्य वित्त अधिकारी
श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी (30.04.2025 तक)

मुख्य प्रबंध व्यक्तियों के लिए प्रतिपूर्तिमेसर्स कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
पारिश्रमिक एवं लघु-अवधि परिलाभ	117.24	103.70
रोजगार पश्चात् लाभ	12.56	9.26
अन्य दीर्घकालिक लाभ	-	-
शेयर आधारित भुगतान	-	-
बैठक शुल्क	-	-
बैठक शुल्क	24.40	15.40
कुल	**154.20**	**128.36**
वर्ष के दौरान ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	-	-
वर्ष के दौरान जारी अग्रिम	-	-
ऋण एवं अग्रिमों का अंतिम शेष	-	-

बी. अन्य संस्थाएं :

- **मेसर्स कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड,**

सी. चेन्नई पोर्ट प्राधिकरण

अन्य संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन :

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
भुगतानित ब्याज़	1553.20	1782.42
चुकाया गया ऋण	2301.25	2301.25
लीज़ किराया व्यय	52.60	50.36
परियोजना प्रबंधन सेवाएं	144.91	43.43
अंतरिम एवं अंतिम लाभांश	39000.00	24000.00
कार्मिकशक्ति	609.86	472.93
अन्य	161.78	129.72
सावधि ऋण का अंतिम शेष	13602.50	15903.75
भुगतानित ब्याज़	259.66	259.66

13. भारतीय लेखांकन मानक 116 के संबंध में प्रकटीकरण ''पट्टा''

ए. प्रचालित पट्टा

i) पट्टेदार के रूप में

- अग्रिम शुल्क भुगतान को छोड़कर गैर-रद्द करने योग्य प्रचालित पट्टों के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
1 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं	-	-
1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से अधिक नहीं	-	-
5 वर्षों से अधिक	-	-

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
न्यूनतम पट्टे भुगतान	-	-

पट्टों की व्यवस्था :

कंपनी ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट से कार्यालय परिसर, अग्रिम प्रीमियम पट्टे भुगतान पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर लिया है।

ii. पट्टाकार के रूप में

- गैर-रद्द करने योग्य प्रचालित पट्टे के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टा प्राप्य

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये
1 वर्ष पश्चात नहीं	3749.896	3571.33
1 वर्ष पश्चात, किंतु 5 वर्ष पश्चात नहीं	21756.57	20720.54
5 वर्ष पश्चात	70420.47	75206.40

- **पट्टे की व्यवस्था :**

कंपनी द्वारा अपनाए गए व्यवसाय मॉडल के अनुसार, कार्गो टर्मिनलों के विकास, संचालन, विपणन और रखरखाव का काम 30 साल के लाइसेंस/रियायती समझौते पर कैप्टिव/पीपीपी बीओटी ऑपरेटरों को दिया गया है। कंपनी ने लाइसेंस/रियायती समझौते के अनुसार बीओटी ऑपरेटरों/कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के माध्यम से बर्थ के विकास के लिए जल क्षेत्र **एवं भूमि क्षेत्र को पट्टे पर दिया है।**

14. भारतीय लेखांकन मानक 33 के संबंध में प्रकटीकरण '' अर्जन

प्रति शेयर(ईपीएस)''

ए) मूलभूत ईपीएस

मूल ईपीएस की गणना में प्रयुक्त साधारण शेयरों की आय और भारित औसत संख्या निम्नानुसार है:

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के लिए कंपनी के मालिकों को देय लाभ (हानि)	53932.53	49568.03
प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त आय (ए)	**53932.53**	**49568.03**
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य के लिए साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या (बी)	300000000	300000000
मूल ईपीएस (ए/बी) - रु.	**17.98**	**16.52**

बी) डायल्यूटेड ईपीएस

डायल्यूटेड ईपीएस की गणना में प्रयुक्त साधारण शेयरों की आय और भारित औसत संख्या निम्नानुसार है:

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिये
वर्ष के लिए कंपनी के मालिकों को देय लाभ (हानि)	53932.53	49568.03
प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त आय (ए)	**53932.53**	**49568.03**
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य के लिए साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या (बी)	300000000	300000000
मूल ईपीएस (ए/बी) - रु.	**17.98**	**16.52**

15. भारतीय लेखांकन मानक 37 संबंधी प्रकटीकरण ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां''

आकस्मिक देयताएं

(i) विवादित कर मांग :

विवादित कर मामले की कुल रकम रु. 6542.40 लाख (पूर्व वर्ष रु. 2647.08 लाख है) है जिसे अपील अधिकारियों के समक्ष समाधान हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

(ii) ठेका / आपूर्ति कार्य :

हमारी परियोजनाओं में निर्माण/आपूर्ति और कार्यों के निष्पादन के लिए कुछ ठेकेदारों ने कंपनी पर कुल रु. 3873.34 लाख (पिछले वर्ष: रु. 4116.44 लाख) का दावा किया है, जिसमें ठेके मूल्य में वृद्धि, मूल्य वृद्धि के साथ कार्य अनुसूची में संशोधन, कार्य की विस्तारित अवधि के लिए मुआवजा, निष्क्रिय शुल्क आदि की मांग की गई है। इन दावों को कंपनी द्वारा संबंधित ठेके के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य नहीं होने के रूप में उन पर विवाद चल रहा है। कंपनी इन दावों के निपटान के लिए ठेके में उल्लेख किए गए विवाद समाधान तंत्र के तहत विभिन्न विकल्पों का अनुसरण कर रही है।.

(iii) (ए) पीपीपी रियायतग्राहियों के साथ राजस्व ठेके – मेसर्स एईसीटीपीएल :

केपीएल ने कंटेनर टर्मिनल के विकास के लिये 15.03.2014 मेसर्सअडानी एन्नोर कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ पीपीपी डीएफबीओटी विधि के अंतर्गत 30 वर्ष के लिये समझौता किया था।

केपीएल ने 30 वर्ष की अवधि के लिए कंटेनर टर्मिनल के विकास हेतु दिनांक 05.03.2014 को पीपीपी डीएफबीओटी मोड के अंतर्गत मेसर्स अदानी एन्नोर कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ रियायत समझौता करार पर हस्ताक्षर किया है।

रियायतग्राही द्वारा विवाद और दाव के कारण निम्नानुसार हैं :

(ए) परियोजना के चरण-I में देरी केपीएल के कारण हुई है

(बी) परियोजना के चरण-II में देरी केपीएल के कारण हुई है, इसलिए केपीएल द्वारा लक्ष्य-चिह्नों में संशोधन किया जाना चाहिए।

(सी) चरण I और चरण II में एल.डी. अप्रवर्तनीय हैं तथा केपीएल द्वारा वापस किया जाना चाहिए।

(डी) केपीएल द्वारा परामर्श नोटिस जारी करना तथा उसे पुन: प्रवर्तित करना गैरकानूनी है।

(इ) 1405 करोड़ रुपये का दावा करने वाले कानून में परिवर्तन का आह्वान तथा रियायत समझौते का विस्तार और संशोधन।

(एफ) वास्तविक परियोजना लागत, अनुमानित परियोजना लागत तथा वित्तीय दस्तावेजों को वैध और लागू करने योग्य घोषित करना और केपीएल द्वारा उन्हें रिकॉर्ड में लेना।

(जी) एईसीटीपीएल द्वारा भुगतान किए गए पट्टा किराये और रॉयल्टी की वापसी

(एच) ब्याज का दावा

कंपनी ने रियायतग्राही के दावों का पूर्ण रूप से अस्वीकार किया है तथा रु.16781 लाख की रकम का प्रतिदावा प्रस्तुत किया है।

मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 28.05.2024 को एक निर्णय पारित किया तथा निर्णय में एक बहुमत निर्णय एवं असहमति निर्णय शामिल था। बहुमत निर्णय ने दावेदार (मेसर्स एईसीटीपीएल) के सभी दावों को स्वीकार किया है तथा कंपनी (केपीएल) द्वारा दायर सभी प्रतिदावों को अस्वीकार किया है। जबकि असहमतिपूर्ण निर्णय ने मेसर्स एईसीटीपीएल के सभी दावों को खारिज किया है तथा केपीएल के सभी प्रतिदावों को स्वीकार किया है। अब, कंपनी ने बहुमत के निर्णय को चुनौती देते हुए मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत वैधानिक अपील दायर किया है और यह माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष लंबित है क्योंकि बहुमत का निर्णय कानून के तहत स्पष्ट रूप से अवैध और विकृत है।

बी) पीपीपी रियायतग्राहियों के साथ राजस्व ठेके – मेसर्स एसआईओटीएल :

कामराजर पोर्ट लिमिटेड (कंपनी) ने दिनांक 11.7.2016 को मेसर्स एसआईसीएएल आयरन ओर टर्मिनल एग्रीमेंट (एसआईओटीएल) के साथ पीपीपी-डीबीएफओटी आधार पर "मौजूदा आयरन ओर टर्मिनल में कोयला संचालन में संशोधन" हेतु लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किया है। इसकी क्षमता 12 मिलियन टन प्रति वर्ष है। यह करार 27 वर्षों की अवधि के लिए निर्धारित किया गया जिसकी अनुमानित परियोजना लागत रु.229 करोड़ है और राजस्व-साझाकरण मॉडल 52.524% है। परियोजना की कार्यान्वयन अवधि 12 महीने निर्धारित की गई थी।

जून 2021 तक, 71.62% भौतिक कार्य पूर्ण किया गया। एसआईओटीएल के ऋणदाता, यस बैंक और यूको बैंक ने दिसंबर 2020 में वित्तीय चूक की घोषणा की, जिससे परियोजना के वित्तपोषण अस्थिर हो गया जिससे कंपनी ठेका समाप्त करने के लिए बाध्य होना पड़ा। ठेका समाप्ति के बाद, एसआईओटीएल के अधूरे दस्तावेज़ों और उसके बाद के कानूनी विवादों के कारण परिसंपत्ति हस्तांतरण एवं मुआवजे की गणना में विलंब हुआ।

इस बीच, मेसर्स यस बैंक लिमिटेड ने दिनांक 16.12.2022 को असाइनमेंट डीड द्वारा केपीएल और मेसर्स एसआईओटीएल के बीच लाइसेंस करार के तहत परियोजना संबंधी प्रदतृत ऋण को मेसर्स जेसी फ्लावर्स एआरसी को सौंप दिया। मेसर्स यस बैंक लिमिटेड द्वारा उपरोक्त असाइनमेंट, केपीएल को बिना किसी सूचना/अनुमोदन के, एसएआरएफएईएसआइ अधिनियम 2002 के तहत किया गया था।.

एसआईओटीएल ने वर्ष 2022 में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) प्रारंभ किया, जो बाद में जून 2023 में जारी एनसीएलटी आदेश के तहत परिसमापन में परिवर्तित हुआ। परिणामस्वरूप:

आकस्मिकता देयताओं का सारांश:

- परियोजना की संपत्तियाँ आंशिक रूप से परिसमापक के अधीन हैं, तथा वर्थ अभी भी कंपनी परिसर में "जैसी है" स्थिति में है। इसका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं हुआ है।
- चालू कानूनी विवादों के कारण मुआवजा लंबित है।
- कंपनी ने एसआईओटीएल के विरुद्ध रु. 65.29 करोड़ प्रचालनात्मक दावा दायर किया है, जिसे परिसमापक द्वारा आंशिक स्वीकृति दी गई है तथा एनसीएलटी के समक्ष अपील लंबित है।
- लाइसेंस करार के अनुसार मुआवज़ा देने के लिए परिसमापक द्वारा दायर रिट अपील मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित है। कंपनी मुआवज़ा और संपत्ति अधिग्रहण की सुविधा के लिए परियोजना परिसंपत्तियों का नए सिरे से मूल्यांकन करने की योजना बना रही है।

(सी) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) :

राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष मूल आवेदन माननीय दायर किया गया, जिसमें एनसीटीपीएस द्वारा फ्लाई ऐश के अवैध निर्वहन एवं केपीएल द्वारा बकिंघम नहर एवं कोसास्थलैयार नदी में ड्रेज्ड मिट्टी के कथित डंपिंग तथा कोसास्थलैयार नदी के अतिक्रमण एवं केपीएल तथा एनसीटीपीएस द्वारा ड्रेज्ड मिट्टी के डंपिंग से संबंधित मुद्दे उठाए गए, जिससे मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका प्रभावित हुई हैं। माननीय एनजीटी ने 20.01.2020 को अपना आदेश पारित किया जिसमें कंपनी को एनजीटी द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर सुधार के उद्देश्य से अंतरिम पर्यावरण मुआवजे के रूप में 8.34 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया। एनजीटी के आदेश से व्यथित होकर, कंपनी ने माननीय एनजीटी के समक्ष एक समीक्षा आवेदन दायर किया। दिनांक 06.11.2020 को समीक्षा आदेश पारित किए गए जिसके तहत दिनांक 20.01.2020 के पूर्वआदेश को इस सीमित सीमा में संशोधित किया और कंपनी को अंतरिम मुआवजे के रूप में 4 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया। कंपनी द्वारा दिनांक 26.12.2020 के समीक्षा आदेश को चुनौती देते हुए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सिविल अपील दायर की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 05.01.2021 को एनजीटी के आदेशों पर रोक लगाई है तथा प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। मामला अंतिम सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

आकस्मिक देयताओं का सारांश :

(रुपए लाखों में)

विवरण	2024-25	2023-24
विवादित कर मांग लेकिन ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	6542.40	2647.08
कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया - एनजीटी - ठेका / आपूर्ति कार्य	400.00 3873.34	400.00 4116.44
कुल	**10815.74**	**7163.52**
पीपीपी रियायतग्राहियों के साथ राजस्व अनुबंध के विरुद्ध दावे	161533.31	162968.63

16. प्रत्याशित क्रेडिट हानि ('ईसीएल')

हानि प्रावधान, प्राप्य राशियों की अपेक्षित समयावधि एवं संग्रह के अपेक्षित समय पर चूक के जोखिम के मूल्यांकन पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने और हानि गणना के लिए इनपुट चुनने में विवेक का उपयोग करती है, जो कंपनी के संग्रह के पिछले इतिहास, ग्राहक की ऋण पात्रता, वर्तमान मार्केट स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के अनुमानों पर आधारित है।

17. सीडबल्यूआईपी परिपक्वन अनुसूची

(31 मार्च 2025 तक रुपए लाखों में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिशील परियोजनाएं	7589.67	5430.07	1079.44	3606.09	17705.28
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	741.58	741.58
कुल	**7589.67**	**5430.07**	**1079.44**	**4347.67**	**18446.86**

(31 मार्च 2024 तक रुपए लाखों में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिशील परियोजनाएं	5881.01	102.44	19503.22	1210.60	26697.27
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	741.58	741.58
कुल	**5881.01**	**102.44**	**19503.22**	**1952.18**	**27438.85**

18. शेष राशि की पुष्टि :

व्यापार प्राप्य/देय, सावधि ऋण तथाअग्रिम, जीएसटी इनपुट क्रेडिट/ जीएसटी एवं जमा, पुष्टि और समाधान के अधीन हैं।

19. पूंजी प्रबंधन :

कंपनी की पूंजी में इक्विटी शेयर पूंजी, प्रतिधारित आय एवं अन्य ईक्विटी, ईक्विटी धारकों के लिए आरोप्य है। उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना ही कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक ध्येय है। कंपनी अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है तथा आर्थिक एवं मार्केट स्थितियों में बदलाव को मद्देनजर रखते हुए इसमें समायोजन करती है।

कंपनी, गियरिंग अनुपात का उपयोग करते हुए पूंजी का अनुवीक्षण करती है, जो कुल पूंजी जोड़ शुद्ध ऋण से विभाजित निवल ऋण है। निवल ऋण में नकदी एवं बैंक शेष राशि को घटाकर दीर्घकालिक और अल्पकालिक उधार शामिल हैं। इक्विटी में इक्विटी शेयर पूंजी और रिजर्व शामिल हैं जिन्हें पूंजी के रूप में प्रबंधित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में गियरिंग निम्नानुसार है :

(रुपये लाखो में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
कुल ऋण	44792.11	48084.44
घटा : नकद एवं नकद समतुल्य	15047.35	4080.19
निवल ऋण	29744.76	44004.25
कुल ईक्विटी	305995.01	291088.98
निवल ऋण से ईक्विटी अनुपात	9.72%	15.12%

20.31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभांशों की सूचना :

वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इक्विटी शेयर पूंजी के 100% दर पर अंतिम लाभांश का भुगतान किया, अर्थात् रु.10 प्रति इक्विटी शेयर, जो कुल रु.300 करोड़ है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इक्विटी शेयर पूंजी के 30% दर से अंतरिम लाभांश का भी भुगतान किया, अर्थात् रु.3 प्रति इक्विटी, जो कुल 90 करोड़ है।

21. अतिरिक्त विनियामक सूचना

ए. विश्लेषणात्मक अनुपात

अनुपात	अंश-गणक	विभाजक	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	% भिन्नता *
वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियां	वर्तमान देयताएं	1.91	0.79	141.77%
ऋण – ईक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरहोल्डर्स ईक्विटी	0.15	0.17	(11.76%)
ऋण सर्विस कवरेज अनुपात	ऋण सर्विस के लिए अर्जन (कर के बाद लाभ + अवमूल्यन + वित्त लागत + संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के विक्रय से लाभ)	ऋण सर्विस (ब्याज + मूलधन की चुकौती)	8.74	7.26	20.39%
लाभांश (आरओई)	निवल लाभ	शेयरहोल्डरों की ईक्विटी	18.07%	17.81%	1.46%
व्यापार प्राप्य टर्नोवर अनुपात (टाइम में)	प्रचालनों से आय	व्यापार प्राप्यताएं	13.48	15.84	(14.90%)
निवल लाभ अनुपात	निवल लाभ	प्रचालनों से आय	46.5%	45.84%	1.44%
नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई)	ब्याज से पहले अर्जन, विशिष्ट मद एवं कर	निवल मूल्य + ऋण	28.46%	28.13%	1.17%

सभी लागू अनुपातों को प्रकट किया गया है।

* भिन्नता के कारण :

वर्तमान अनुपात: मुख्य रूप से नकदी और नकदी समकक्षों और व्यापार प्राप्य (राजस्व हिस्सा प्राप्य) में वृद्धि और चालू देयताओं में कमी (कर मुक्त बांड के मोचन के कारण) के कारण वृद्धि हुई है।

22. मेसर्स कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड

कंपनी ने कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड (केकेपीएल) की चुकता पूंजी का 40% हिस्सा के 2 लाख रुपये इक्विटी का निवेश किया है, साथ ही वीओसी-टीपीटी (40%) और चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी (20%) का भी निवेश किया है। वर्तमान में केकेपीएल परियोजना-पूर्व गतिविधियां कर रहा है। केकेपीएल एक सहयोगी कंपनी है अत: इसके वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखांकन मानकों 27 के अनुसरण में समेकित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2023-24 की अवधि मे केकेपीएल में कोई महत्वपूर्ण आय/व्यय नहीं था।

कंपनी ने कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड (केकेपीएल) की चुकता पूंजी का 40%, वीओसी-टीपीटी (40%) तथा चेन्नई पोर्ट प्राधिकरण (20%) के साथ, रु.2 लाख इक्विटी का निवेश किया है। केकेपीएल परियोजना-पूर्व गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया में है। तथापि, कामराजर पोर्ट लिमिटेड (केपीएल) एक सहयोगी कंपनी है, कंपनी अधिनियम की धारा 2(6) के अनुसार, कंपनी का केकेपीएल प्रबंधन पर नियंत्रण नहीं है और इसलिए, इसके वित्तीय विवरणों को भारतीय मानक ब्यूरो -110 - समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार समेकित करने की आवश्यकता नहीं है।

23. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो वहां उन्हें पुन:स्थापित किया गया है।

24. वित्तीय विवरणिकाओं का अनुमोदन

निदेशक मंडल ने वित्तीय विवरणिकों को अनुमोदन प्रदान किया है तथा 26 मई 2025 को जारी करने के लिए अधिकृत किया है।

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

ह/- **सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.,** अध्यक्ष डीआइएन : 01310101	ह/- **जे पी आईरीन सिन्थियाई.ए.एस.,** प्रबंध निदेशक डीआइएन : 08839241	**मेसर्स जसमिन्दर सिंह एवं असोसियेट्स के लिए** सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं.- 016192एन
स्थान : चेन्नई दिनांक : 26 मई 2025	ह/- **सी. एस. वेमन्ना** **मुख्य वित्तीय अधिकारी (प्रभारी)**	ह/- **सीए. जसमिन्दर सिंह,** **साझेदार** **एम. सं. 096895** **आईएन : 25096895BMGYHC5619**

प्रपत्र एओसी -1

[कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के क्रम में]

सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं से युक्त विवरण

भाग "बी": असोसियेट्स एवं संयुक्त उद्यम

सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के क्रम में विवरण

क्रम सं	असोसियेट /संयुक्त उद्यम का नाम	कन्नियाकुमरी पोर्ट लिमिटेड
1	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की तिथि	31.03.2025
2	वह तिथि जिसमें असोसियेट या संयुक्त उद्यम संबद्ध हुआ या अधिग्रहित हुआ	11.02.2019
3	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित असोसियेट/संयुक्त उद्यमों के शेयर	
A	संख्या	20,000 शेयर
B	असोसियेट /संयुक्त उद्यम में निवेश की तिथि	₹.2,00,000/-
C	होल्डिंग की सीमा %	40%
4	किस प्रकार इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है	नगण्य प्रभाव
5	असोसियेट/संयुक्त उद्यम को एकीकृत न किए जाने का कारण	असोसिएट को एकीकृत करने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है।
6	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य	(10,81,767)
7	वर्ष के लिए लाभ /हानि	
A	एकीकरण पर विचार	कोई नहीं
B	एकीकरण के लिए विचार नहीं किया गया	(17,537)

उन असोसियेट कंपनियों के नाम जिन्होंने अभी तक प्रचालन शुरु नहीं किया है:

क्रम सं	सीआइएन /अन्य कोई पंजीकरण संख्या	उन असोसियेट और संयुक्त उद्यमों के नाम जिन्होंने अभी तक प्रचालन शुरु नहीं किया है
1	यू61100टीएन2019जीओ।127401	कन्नियाकुमरी पोर्ट लिमिटेड

वर्ष के दौरान समाप्त हो चुके या असोसियेट या संयुक्त उद्यम न रहे असोसियेट या संयुक्त उद्यमों की संख्या – शून्य

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

ह/-
सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.,
अध्यक्ष
डीआईएन : 01310101

ह/-
जे. पी. आईरीन सिन्थिया, आई.ए.एस.,
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08839241

ह/-
कविता सात्वी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
आर. रूपा
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

Construction of Classroom Building at Chinnasekkadu High School under Nammaku Namme Thittam

Construction of Classroom Building at GCC Middle School, Padasalai Street,
Manali under Nammaku Namme Thittam

Kamarajar Port Limited

(A Company of Chennai Port Authority)

(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)

Corporate cum Registered Office :
"Jawahar Building", 2nd Floor,
(North Wing) & 3rd Floor,
17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.

Port Office :
Vallur Post, Chennai - 600120
Tel : 044-2795 0030 - 40
Fax : 044-2795 0002

Email : info@kplmail.in
Website : www.kamarajarport.in
facebook.com/kamarajarport
twitter@kamarajarport